Wednesday, 13th March, 1968

चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22 बुधवार, 13 मार्च, 1968/23 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 22, Wednesday, March 13, 1968/Phalguna 23, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
599.	वियतनाम के सम्बन्ध में अमरीकी राष्ट्रपति जानसन की पांच सूत्री नीति	President Johnson's Five Point Policy regarding Vietnam	153–154
601.	कीनिया तथा अन्य अफ्रीकी देशों से निकाले गये भारतीय	Indians Deported from Kenya and other African Countries	157—160
602.	विदेशों को सद्भावना शिष्टमंडल	Godwill Delegations to Foreign Countries	160—163
603.	कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव	Pak. Concentration on Kutch Border	163—165
624.	दक्षिण वियतनाम के विदेश मंत्री के साथ बातचीत	Discussion with the Foreign Minister of South Vietnam	154—157

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

Short Notice Q. No.

8.	मुनीरका (दिल्ली) में मकान गिरने की दुर्घटना	House collapse in Munirka, Delhi	165—170

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

STARRED Q. No.

600.	भारतीय अप्रवासियों का ब्रिटेन में प्रवेश	Indian Immigrants entering Britain	170
604.	वियतनाम के युद्ध में मारे गये और घायल हुए भारतीय	Indians killed and injured in Vietnam War	170–171

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
605.	अन्दमान द्वीप समूह की रक्षा	Defence of Andaman Islands . .	171
606.	अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण	Compulsory Military Training .	171–172
607.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन —2 में काश्मीर का प्रश्न	Kashmir Issue at UNCTAD-II .	172
608.	दूसरी प्रतिरक्षा योजना	Second Defence Plan . . .	172–173
609.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों का स्थायीकरण	Confirmation of Staff Artistes of AIR	173
610.	एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में विदेशी सैनिक अड्डे	Foreign Military Bases in Asia, Africa and Latin America.	173–174
611.	चीन की परमाणु शक्ति	Chinese Nuclear Power . .	174
612.	आणविक शक्ति के प्रसार के लिये कनाडा	Canadian Help in the Development of Atomic Power	174–175
613.	बनिहाल के निकट सैनिक गाड़ियों का नष्ट हो जाना	Destruction of Army Convoy near Banihal	175
614.	योजना आयोग के सचिवालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission's Secretariat	175-176
615.	मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण	Allocation of business to Ministers .	176
616.	हैवी इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के चेयरमैन की नियुक्ति	Appointment of Chairman, Heavy Industries Corporation.	176
617.	रेडियो लाइसेंस शुल्क एकत्र करने सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for collection of Radio Licence Fee . . .	177
618.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाकिस्तान का दावा	Pak. clai on Andaman and Nicobar Islands .	177
619.	तंजानिया से भारतियों का प्रत्यर्पन	Extradition of Indians from Tanzania	177–178
620.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाना	Shifting of the office of the National Sample Survey from Calcutta to Delhi	178–179

तारां० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
621.	जंजीबार में एशियाई लोगों के मकानों का जब्त किया जाना	Confiscation of Houses of Asians in Zanzibar	179
622.	भारतीय नौसेना का विस्तार कार्यक्रम	India's Naval Expansion Programme	179
623.	इसरायल के साथ वस्तु विनिमय करार	Barter Agreement with Israel .	180
625.	सुरक्षा परिषद् को पाकिस्तान का पत्र	Pak. letter to Security Council	180–181
626.	भारत सरकार के कार्यालयों में कार्य करने की प्रक्रिया	Procedure for Transacting Business in the Government of India Offices	181
627.	पाकिस्तान से परमाणु खतरा	Nuclear threat from Pakistan .	182

अतारांकित प्रश्न संख्या — UNSTARRED Q. No.

3847.	आकाशवाणी में संगीत के लिए उम्मीदवारों का चयन	Selection of Candidates for Music in AIR . . .	182–183
3848.	पी. फार्म विनियमन	'P' Form Regulations	183
3849.	हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे	Military Bases in Indian Ocean	184
3850.	उड़ीसा में मोनाजाइट	Monazite in Orissa. . .	184
3851.	प्रधान मंत्री का मद्रास यात्रा	Prime Minister's visit to Madras	184–185
3852.	भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक सम्पर्क	Indo-Indonesia Cultural links .	185
3853.	कोटा स्थित परमाणु बिजली घर में स्थानीय लोगों की नियुक्ति	Appointment of Local people in Atomic Power Plant, Kota . .	185
3854.	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of Orissa	185-186
3855.	मद्रास में राष्ट्रीय छात्रसेना दल	N.C.C. in Madras	186
3856.	उड़ीसा में प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग	Defence based Industries in Orissa	186
3857.	रूसी और अमरीकी फिल्मों का आयात	Import of Russian and American Films	186-187

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3858.	रेडियो धर्मी उत्पादों का उत्पादन	Production and Export of Radioactive Products	187
3859.	भारतीय वायु सेना के विमान का गुम हो जाना	Loss of IAF Plane . .	188
3860.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिये आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम	Special AIR Programmes for UNCTAD Delegates	188
3861.	बम्बई, कानपुर, तथा कलकत्ता में टेलिविजन केन्द्र	Television Station in Bombay, Kanpur and Calcutta . . .	189
3862.	सैनिक विमानों में सैनिक अधिकारियों की यात्रा के बारे में अनुदेश	Instructions regarding travel of Military Officers in Military Aircraft	189
3863.	उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Scheduled Tribes and Backward Regions in Orissa	189-190
3864.	काश्मीर के मामले में पाकिस्तान को चीन का समर्थन	Chinese support to Pakistan on Kashmir Issue . . .	190
3867.	मलयालम भाषा में विदेश प्रसारण सेवा	External Service Broadcasts in Malayalam	190-191
3868.	सशस्त्र सेनाओं के सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन दरें	Pension Rates of retired Armed Forces Personnel. . . .	191
3869.	आकाशवाणी के एनाउन्सरों के वेतन मान	Pay Scales of AIR Announcers .	191-192
3870.	त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर तथा कालीकट आकाशवाणी केन्द्रों में लगाये गये ट्रान्समिटर	Transmitters Installed in Trivandrum, Trichur and Calicut, AIR Station.	192-193
3871.	केरल में बड़ा शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगाना	Setting up of a High Power Transmitter in Kerala . . .	193
3872.	नागालैंड में प्रसारण तथा प्रचार का माध्यम	Medium of Broadcasting and Publicity in Nagaland. . . .	193
3873.	नये आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in new ordnance Factories	194

अता० प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3874.	फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by Film Finance Corporation	194
3875.	क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, मधुबनी	Field Publicity Office, Madhubani .	194-195
3876.	श्रीलंका में बैजों का पकड़ा जाना	Seizure of a Consignment of Badges in Ceylon	195
3877.	स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के बारे में वृत चित्र	Documentary Film on the Late Dr. Ram Manohar Lohia . . .	195
3878.	आयुध कारखानों में नियुक्ति के समय आचरण सम्बन्धी जांच	Character Verification for Appointments in Ordnance Factories .	196
3879.	सैनिकों को समुद्रपार भत्ता	Overseas Allowance to Army Personnel	196-197
3880.	पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रवदा में लेख	Article in Pravada on West Bengal Political Situation . . .	197
3881.	भारतीय वायु सेना के हैलीकाप्टर का मजबूर हो कर उतरना	Forced Landing of IAF Helicopter	197
3882.	श्री बीजू पटनायक को पासपोर्ट	Passport to Shri Biju Patnaik . .	198
3883.	इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी	Electronic Engineering . . .	198
3884.	भारतीय वायुसेना के विमानों के लिये इंधन	Fuel for IAF Aricrafts	198-199
3885.	संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र	Newspapers Published by Joint Stock Companies	199
3886.	मध्यम तरंग के अतिशक्तिशाली प्रसारण केन्द्र	Medium Wave Super Power Radio Broadcasting Stations . . .	199
3887.	चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के लिये नियतन	Fourth Plan Allocations to Himachal Pradesh	199
3888.	भारतीय दूतावासों के अध्यक्षों के लिये अवकाश सम्बन्धी नियम	Leave Rules for Heads of Indian Missions	200

अता० प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3889.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Hindi Knowing Officers in the Ministry of Information and Broadcasting	200
3890.	प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Defence Ministry	201
3891.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में संसद् सहायक	Parliament Assistants in Information and Broadcasting Ministry . .	201
3892.	हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारी	Employees trained under Hindi Training Scheme . . .	201-202
3893.	भारत का क्षेत्रफल	Area of India	202
3894.	दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का सम्मेलन	Conference of South East Asian countries	202
3895.	रिजर्व घोषित किये गये सैनिक	Soldiers declared as Reservists . .	202-203
3896.	आण्विक ऊर्जा स्थान द्वारा थोरियम नाइट्रेट का निर्यात	Export of Thorium Nitrate by Atomic Energy Establishment . . .	203
3897.	येरुसलम में भारतीय यात्रियों के लिये विश्राम स्थल	Indian Hospice in Jerusalem . . .	203-204
3899.	आकाशवाणी के संगीत और नाटक प्रभाग में नियुक्त कलाकार	Aristes employed in Songs and drama division of the AIR	204
3900.	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारी	Staff of Indian Embassies Abroad . .	204-205
3901.	हिंडन नदी (गाजियाबाद) के निकट भूमि	Land near Hindon River (Ghaziabad) .	205
3902.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित साहित्य के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन	Publication of Hindi Edition of the Literature published by the Ministry of Information and Broadcasting . .	205
3903.	बाल चलचित्रों में अनुसंधान	Research in Children's Films . . .	206
3904.	विदेशी सहयोग से बाल चलचित्रों का निर्माण	Production of Children's Films with Foreign Collaboration	206

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3905.	मंत्रालय द्वारा विभिन्न मामलों का आपरेशनल तथा नान आपरेशनल के रूप में वर्गीकरण	Classification of various matters such as operational and Non-operational by a Ministry	206
3906.	केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड	Central Board of Film Censors . .	207
3907.	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड	Central Board of Film Censors . . .	207-208
3908.	कोटा के निकट चांदमारी क्षेत्र	Shooting Range near Kota . . .	208
3909.	जूनियर कमीशंड अफसरों तथा अन्य सैनिकों की पेंशन	Pension of J.C.Os. and ORs . . .	208-209
3910.	आकाशवाणी द्वारा ग्रामीण समस्याओं के बारे में हिन्दी में साप्ताहिक कार्यक्रम	Weekly Programme in Hindi on Rural Problems by AIR	209
3911.	धार्मिक प्रसारणों के लिए आकाशवाणी का कार्यक्रम	Programme for Religious Broadcasts by AIR	209
3912.	सेना मुख्यालय में निम्नतर विरचना कर्मचारी	Lower Formation Staff of Army Headquarters	210
3913.	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में सिविलियन विविध कर्मचारी	Civilian Clerical Staff in Defence Instalations	210-211
3914.	नेपाल में चीनी प्रचार	Chinese Propaganda in Nepal	211
3915.	चौथी योजना में बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की योजनायें	Schemes for Fourth Plan in respect of Bihar, West, and Rajasthan	211
3916.	भारतीय तथा नेपाली नागरिकों के बीच विवाद	Dispute between Indian and Nepalese Citizens	212
3919.	महेश योगी का आश्रम	Mahesh Yogi's Ashram	212
3920.	कनाडा के डिफेंस कालेज के दल की यात्रा	Visit of Canadian Defence College Team	213
3921.	आकाशवाणी	AIR	213
3922.	आकाशवाणी के कलाकारों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Artistes of AIR .	213-214
3923.	भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के उपाय	Security measures on Indo-Nepal Border	214

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3924.	ब्लिट्ज के सम्पादक को दण्डित किये जाने की खबर का प्रसारण	Broadcasting of the News of conviction of the Editor of Bilitz	214
3925.	भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए मध्य प्रदेश से सैनिक कर्मचारी	Army personnel from Madhya Pradesh Killed during Indo-Pak conflict . .	214-215
3927.	प्रतिरक्षा तथा हथियारों के विकास में अनुसंधान	Research in Defence and Arms Development	215
3928.	प्रतिरक्षा अनुसंधान कार्य में विदेशी राष्ट्रजन	Foreign Nationals in Defence Research .	215
3929.	स्टाफ आर्टिस्टों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति	Appointment of Staff artistes on *Ad-hoc* basis	215-216
3930.	स्टाफ आर्टिस्टों के पदों पर नियुक्तियां	Filling up the posts of staff artistes . .	216
3931.	नौसेना में एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned officers in Navy	216-217
3932.	भारतीय जल प्रांगण में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी जहाजों के पकड़े जाने पर पाकिस्तान द्वारा विरोध	Pak. protest over the capture of their vessels intruding with territorial Indian Waters .	217
3933.	नाइजीरिया के विदेश मंत्री की यात्रा	Visit of Foreign Minister of Nigeria . .	217
3934.	आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षु	S.C. and S.T. Trade apprentice in ordnance Factories	217-218
3935.	आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation for Scheduled castes and scheduled tribes in ordnance factories	218
3936.	अरब इसरायल संघर्ष का निपटारा	Settlement of Arab Israeli Conflict . .	218
3937.	सीमा सुरक्षा दल में भर्ती	Recruitment to Border Security Force .	219

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3938.	प्रतिरक्षा सेवाओं का एकीकरण	Integration on Defece Forces . .	219
3939.	प्रतिरक्षा पूर्ति विभाग	Department of Defence Supplies . .	219-220
3940.	ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा प्रकाशित इंडिया नामक पुस्तिका	Booklet Entitled India' Published by Indian High Commission, U.K. . .	220
3941.	आकाशवाणी से बाह्य सेवा डिवीजन के लिये अनुवादकों की तालिका	Panel of Translators for the External Services Division of All India Radio .	226-227
3942.	ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के लिये पत्रिकाएं	Periodicals for Indian High Commission U.K.	221
3943.	केन्द्रीय सूचना सेवा में पत्रकार कर्मचारी	Journalistic Staff in the Central Information Service	221-222
3944.	प्रतिरक्षा कोटे से स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters from Defence Quota	222
3945.	सैनिक समाचार में उप-सम्पादकों (सबएडीटरों) के पदों के लिये भर्ती	Recruitment for the Posts of Sub-Editors in Sainnik Samachar . . .	222-223
3946.	सैनिक समाचार में उप-सम्पादक (सब-एडीटर)	Sub Editors in Sainik Samachar .	223
3947.	मिग कारखाने का नियोजन बोर्ड	Employment Board of MIG Factory .	223-224
3948.	नौसेना में रिजर्व अधिकारी	Reserve Officers in Navy . . .	224
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention of Matter of Urgent Public Importance . . .	225
	ऋषिकेश में एक विदेशी के पास से शक्तिशाली ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना	Recovery of trans receiver sets from a foreigner at Rishikesh . . .	225
	श्री के० अनिरुद्धन		225
	श्री विद्याचरण शुक्ल		225
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	226
	प्राक्कलन समिति	Estimate Committee . . .	226
	बत्तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-second Report	226

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल), 1967–68	Demands for Suppliementary Granats (West Bengal), 1967-68 . . .	226
पश्चिम बंगाल आय-व्ययक 1968–69—प्रस्तुत	West Bengal Budget, 1968-69 -Presented .	227
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	227—230
सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	General Budget—General Discussion. .	230
श्री राणा	Shri M.B.Rana . . .	230
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani . . .	231-232
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	232
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N.K. Somani	233-234
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha . . .	234-235
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N.C. Chatterjee . . .	235-236
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	236—241
श्री जनार्दनन	Shri C. Janardhanan . . .	241—243
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharyya . .	243—245
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale . .	245-246
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	246—248
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Aodual Ghani Dar . .	248-249
श्री दण्डपाणि	Shri Dhandapani	249-250
श्री गु० सि० ढिल्लों	Shri G.S. Dhillon	250-251
श्री नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy.	252-253
डा० मैत्रीय बसु	Dr. Maitreyee Basu	253-254
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर हमले के बारे में वक्तव्य	Statement re. Assault on Judge of Supreme Court	250-251
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	251
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	254
सोलहवां प्रतिवेदन	Sixteenth Report . . .	254
काश्मीर में सामान्य निर्वाचनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an hour Discussion re. General Election in Kashmir	254—257
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu . . .	254-255
श्री मुहम्मद यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem .	256-257

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

दिनांक 13 मार्च, 1968 / 28 फाल्गुन, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र संख्या - 2

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
मुख पृष्ठ	तीसरा सत्र / Third Session के स्थान पर चौथा सत्र / Fourth Session पढ़िये।

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार 13 मार्च, 1968 / 23 फाल्गुन, 1889 (शक)

Wednesday, March 13, 1968/Phalguna 23, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS.

अध्यक्ष महोदय : श्री दामानी ।

श्री दामानी : प्रश्न संख्या 599 ।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न संख्या 624 भी इसके साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हां, ले लिया जाये ।

वियतनाम के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति जांनसन की पांच सूत्री नीति

*599. **श्री दामानी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वियतनाम के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति जांनसन की पांच सूत्री नीति की ओर दिलाया गया है, जिस की रूपरेखा उन्होंने 19/20 दिसम्बर, 1967 को एक टेलीविजन भेंट में बताई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देख ली है ।

(ख) भारत सरकार उन सभी कदमों का स्वागत करती है जिनसे वियतनाम समस्या का शांतिपूर्ण समाधान होने की संभावना है । लेकिन भारत सरकार का ख्याल

है कि प्रश्न को सम्मेलन की मेज तक ले जाने से पहले आवश्यक कदम यह होना चाहिए कि बिना शर्त बमबारी बंद की जाए।

दक्षिण वियतनाम के विदेश मंत्री के साथ बातचीत

*624. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम के विदेश मंत्री 18 फरवरी, 1968 को प्रधान मंत्री से मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वियतनाम गणराज्य के विदेश मंत्री हाल ही में द्वितीय अंकटाड के सिलसिले में भारत आए थे और अपनी यात्रा के दौरान वे दक्षिण वियतनाम को वर्तमान स्थिति समझाने के लिए प्रधान मंत्री से मिले ।

(ख) माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बातचीत हमेशा ही गोपनीय तरीकों से होती है और उसका उद्घाटन करने की प्रथा नहीं है । वियनाम की नाजुक स्थिति को देखते हुए और अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से भारत की स्थिति को देखते हुए तो यह और भी वांछनीय है ।

श्री दामानी : प्रधान मंत्री जी ने महासचिव ऊ थांट से इस सम्बन्ध में उनके हाल के दौरे के दौरान किस प्रकार की बातचीत की थी ? वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिये क्या कोई योजना तैयार की गई थी ; और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अपनी हाल की दिल्ली यात्रा में महासचिव ऊ थांट ने प्रधान मंत्री से कई विषयों पर बातचीत की थी जिनमें वियतनाम का प्रश्न भी सम्मिलित था । इसी प्रकार का विचार विनिमय उन्होंने मास्को, पैरिस और लन्दन में भी किया था । न्यूयार्क से लौटने के बाद उन्होंने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि समस्या को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने के लिये वियतनाम पर बमबारी बन्द करने का कदम पहले उठाया जाना चाहिये ।

श्री दामानी : अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट, श्री डीन रस्क ने बिना शर्त बमबारी बन्द करने का जो वक्तव्य दिया, उससे क्या सरकार के विचार में, वियतनाम में शान्ति स्थापित होने के अवसर बढ़ गये हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या पहल कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : बमबारी के बन्द होने पर ही शान्ति के अवसर बढ़ सकते हैं इससे पहले नहीं ।

श्री बलराज मधोक : वियतनाम में हाल की लड़ाइयों में उत्तरी वियतनाम के सैनिकों ने रूसी टैंकों तथा अन्य हथियारों का खुले रूप से प्रयोग किया है । क्या इससे वियतनाम

की लड़ाई का स्वरूप बदल गया है और क्या इससे भारत सरकार के रुख में कोई परिवर्तन आया है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जी, नहीं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Geneva Agreement was concluded in 1954. A period of 14 years has elapsed since then. May I know whether Government still hold that the International Control Commission can serve some useful purpose and it should continue to exist ?

Shrimati Indira Gandhi : It is a fact that the circumstances have changed a lot since then. But I still favour that it should continue to exist.

श्री पें० वेंकटसुब्बय्या : उत्तरी वियतनाम में की जा रही अमानुषिक बमबारी के प्रति स्वयं अमरीका में भी उसके विरोध की भावना प्रतीत होती है । अब उत्तरी वियतनाम ने भी बातचीत के लिये इच्छा प्रकट की है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अमरीका को बमबारी बन्द करने के लिये राजी करेगी जिससे यह समस्या शान्तिपूर्ण तरीके से हल हो जाये ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : हम इस दिशा में हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं ।

श्री स्वैल : श्री डीन रस्क ने अमरीकी सिनेट की फोरन रिलेशन्स कमेटी के सामने कहा कि शान्ति वार्ता की सफलता के लिये अमरीका उत्तरी वियतनाम में बमबारी बन्द करने को तैयार है । दूसरी ओर ऐसे समाचार मिले हैं कि उत्तरी वियतनाम भी शान्ति वार्ता में भाग लेने के लिये इच्छुक है । क्या सरकार ने अमरीका और उत्तरी वियतनाम की सरकारों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया है । यदि हां, तो बातचीत के शुरू होने में क्या अड़चन है ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : श्री डीन रस्क की टिप्पणियां अपने समाचार पत्रों में पढ़ी हैं । अधिकृत रूप से हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है । हम उनसे लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं । अमरीकी सरकार को हमने उत्तर वियतनाम की यह इच्छा भी बतायी है कि बमबारी बन्द होने पर वह बातचीत करने के लिये तैयार है । जहां तक बातचीत में बाधा का प्रश्न है, वहां पर "सहमत प्रतीत होते हैं" शब्द दिये गये हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : ऐसा समाचार मिला है कि जनरल वेस्टमूरलैंड ने उत्तरी वियतनाम में युद्ध जारी रखने के लिये अमरीका से 2 लाख सैनिक मांगे हैं । क्या भारत सरकार यह प्रयास करेगी कि कोई ऐसा कार्य न हो जिससे यह युद्ध और अधिक भयंकर रूप धारण न करे, और बातचीत के आधार पर समझौते हो जाये ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि सैनिक जाने पर वहां युद्ध और अधिक भड़केगा । हमने स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी है और अब भी हमारा यही विचार है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : ऐसी स्थिति में, जब कि दोनों पक्ष शान्ति वार्ता के लिये तैयार हैं, क्या सरकार तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाने के लिये पहल करेगी, क्योंकि सरकार

पत्नों में ऐसा छपा था कि प्रेजीडेंट टीटो द्वारा दिये गये ऐसे सुझाव के प्रति प्रधान मंत्री ने कोई उत्साह नहीं दिखाया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक मुझे याद है श्री टीटो ने इस सम्बन्ध में कई देशों से वार्ता की थी और कोई ठोस सुझाव नहीं थे । मैंने यह तो कभी कहा ही नहीं था कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते ।

श्री म० ला० सोंधी : विद्यमान स्थिति में उस क्षेत्र में कम्बोडिया ही कि ऐसा देश है, जहां शान्ति है । कम्बोडिया में शान्ति बनाये रखने के लिये और उस क्षेत्र में संघर्षपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिये क्या हमारी सरकार कम्बोडिया का पक्ष लेने को तैयार है और क्या भारत सरकार उससे भी इस समस्या पर परामर्श करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसी बात नहीं है कि कम्बोडिया शान्ति का स्वर्ग है । यह बात सच है कि न केवल कम्बोडिया को बल्कि उस क्षेत्र के सभी देशों को युद्ध बढ़ने से खतरा है जहां तक उनके साथ सम्पर्क की बात है और हम कम्बोडिया से सम्पर्क बनाये हुए हैं और यदि आवश्यक हुआ, तो एक ऐसी बैठक भी बुलाई जायेगी जिसमें कम्बोडिया सम्मिलित हो ।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या सरकार ने "न्यूयार्क टाइम्स" के उस सम्पादकीय लेख का अध्ययन किया है जिसमें जॉनसन प्रशासन को वियतनाम में युद्ध न फैलाने की सलाह दी गई है । यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : : मैंने उस सम्पादकीय लेख को देखा है । उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु मेरा यह विचार है कि जितनी जल्दी यह दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष समाप्त होगा उतना ही संघर्षरत पक्षों तथा शेष विश्व के लिये अच्छा होगा ।

श्री लोबो प्रभु : इस संघर्ष या युद्ध में तीन पक्ष फंसे हुए हैं—उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम और अमरीका । तीनों पक्ष एक झमेले में फंसे हुए हैं । क्या ऐसी स्थिति में भारत सरकार निष्पक्ष रहते हुए सम्बन्धित तीनों पक्षों से बातचीत करेगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि भारत प्रत्येक पक्ष के लिये क्या कर सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने एक पार्टी का नाम छोड़ दिया है । दक्षिण वियतनाम में दो पार्टियां हैं जिन्हें अमरीका भी जानता है । जहां तक बमबारी को बन्द करने की बात है, हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जितनी जल्दी बमबारी बन्द होगी उतनी ही जल्दी अन्य कार्यवाही की जा सकेगी । अब इस सुझाव को काम में लाने की बात है । जहां तक निष्पक्षता का संबंध है, जहां अन्याय होता हो उस मामले में हम निष्पक्ष नहीं रह सकते । हम न्याय का या जिसे हम ठीक समझते हैं उसका पक्ष लेते हैं ।

Shri Shiv Chandra Jha : India wants that the Vietnam Problem should be solved and that there should be peace in Vietnam. Some individuals or organizations in America, too, share this idea. May I know whether our Government have established contact with the people like Martin Luther or with such organizations or have advised them to exert more pressure on American Government ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

Shri Ram Avtar Shastri : Mr. Speaker, I should be given a chance.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप बैठ जाइये।

Deportation of Indians from Kenya and other African Countries

+

*No. 601. **Shri Kanwar Lal Gupta** : **Shri Bal Raj Madhok** : **Shri Shri Gopal Saboo** : **Shri Nathu Ram Ahirwar** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Indians living in Kenya and in other African countries have been deported by Governments of Kenya and other African countries;

(b) if so, the number of such Indians and the reasons for their deportation;

(c) whether Government have exchanged correspondence with the Governments of Kenya and other African countries in this connection and if so, the details thereof; and

(d) the facilities given by the Government of India for their rehabilitation?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 1966 में सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर भारतीय मूल के आठ व्यक्ति कीनिया से निकाले गए थे। इनमें से 4 भारत भेजे गए थे और इनमें से दो तत्काल युनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हो गए। कीनिया से और लोगों को नहीं निकाला गया है। पिछले वर्ष तंजानिया और मलावी में भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति निषिद्ध आप्रवासी घोषित कर दिए गए थे और उनसे देश छोड़ कर चले जाने को कहा गया था।

बताया जाता है कि तंजानियाई सरकार ने निष्कासन के आदेश देश में गैर कानूनी निवास और अनियमित कार्य परमिट रखने के आधार पर दिए थे। हमने तंजानिया की सरकार से बात-चीत की और वह अपने आदेशों पर पुनः विचार करने पर और समुचित मामलों में उन्हें रद्द करने पर राजी हो गई।

मलावी सरकार के निष्कासन आदेश सुरक्षा के आधार पर थे।

(ग) हमारे हाई कमिश्नरों ने संबद्ध सरकारों से विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि भारतीय मूल का ऐसा कोई भी व्यक्ति जब उद्वासित किया जाए जो भारत का नागरिक नहीं है तो निम्न-लिखित अनिवार्य शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिएं :—

(1) कि संबद्ध व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए ;

(2) कि उन्हें उनकी इच्छा के विपरीत भारत नहीं भेजा जाना चाहिए और वे भारत भेजे जाने के लिए तरजीह अवश्य दें।

(3) कि ऐसे मामलों में भारत सरकार को पहले सूचना अवश्य दी जाए और प्रस्तावित कदम पर हमारी रजामंदी ली जाए।

ऐसे संकेत मिले हैं कि हमारी ये बातें स्वीकार्य पाई गई हैं और ऐसे भी कि भविष्य में भारत के लिए निष्कासन के आदेश नहीं दिए जायेंगे सिवाय उस सूरत के जबकि ये शर्तें पूरी होती हों।

(घ) कीनिया से उद्वासित किसी भी व्यक्ति ने भारत में पुनर्वास के सिलसिले में सरकार की सहायता नहीं मांगी है। बहरहाल जब कभी किसी उद्वासित व्यक्ति को बसने के लिए भारत आने की इजाजत दी जाती है तो सरकार कस्टम में कुछ छूट और आई० टी० सी० की रियायतें देती है। इन रियायतों में निजी माल-असबाब पर तथा व्यापारिक स्टाक आदि पर शुल्क न लेना शामिल है इसके अतिरिक्त इन उद्वासित लोगों को निजी मोटर कारें और कुछ मामलों में जबकि ये गाड़ियां उद्वासित व्यक्तियों के पास यहां आने से एक वर्ष से ज्यादा समय से रही हों तो उनके यहां लाने पर शुल्क नहीं लिया जाता।

Shri Kanwarlal Gupta : May I know the number of those people of Asian origin in all African countries, who hold Indian passports or U.K. passports and who are bonafide citizens of those countries? May I know the reaction of British Government in respect of the suggestion made by Indian Government to the effect that Britain should accept the figure of 15,000 instead of 1,500.

Shri Surendra Pal Singh : At the moment I have not got figures about all countries. They can be supplied later on. As regards Kenya, there are about 1,30,000 people of Asian origin, who hold British passports. As regards the reaction of British Governnent to our suggestion, they have not yet taken any specific decision in that matter. They may raise the figures in future.

Shri Kanwarlal Gupta: It is a matter of shame that the Government cannot give the figures about the affected people of Indian origin in African countries, though it is a burning topic these days.

Shri Surendra Pal Singh : It is wrong to say that Government have got no figures in this respect. The fact is that the main question is related to the deportation and thus his supplementary does not arise out of the main question.

Shri Kanwarlal Gupta : May I know the restrictions imposed by the Government of India on those who want to return to India and the reaction of such people to the restrictions imposed and whether some people have asked permission to return to India; and whether Indian High Commissioners in those countries have intimated the Government of India in this respect?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): Mr. Speaker, the fact is this that the supplementary is not related with the main question. Correspondence with our High Commissioners abroad goes on regularly. It will be not proper to divulge the contents of such correspondence or the suggestions given by them. Now we are trying to get the way opened for them who are holding British passports and who want to go back to U.K.

Shri Bal Raj Madhok : May I know the steps Government are taking to undo the injustice being done and discrimination being shown to the people of Indian origin in Keyna, Uganda and Tanzania and the facilities to be given to those who want to return to India and to invest their mone in industries here?

Shrimati Indira Gandhi : Our Deputy Prime Minister has told some days back that all facilities are given to those who want to return to India. They are allowed to bring their belongings and the goods in which they are dealing in their trade alongwith them to India and the customs are relaxed in their cases.

श्री हेम बरुग्रा : भारत मूल के कीनिया निवासियों पर भारत में प्रवेश के लिये बीजा का प्रतिबन्ध लगाकर क्या सरकार ने उचित काम किया है। क्या ऐसा करना हमारे नैतिक ग्रादर्श के प्रतिकूल नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य को गलत जानकारी मिली है। यह प्रतिबन्ध बिना रंग और जाति का भेद किये उन सब लोगों पर लगाया गया है जिनके पास ब्रिटिस पासपोर्ट हैं और जो कीनिया से वापस आना चाहते हैं। किसी खास मूल के लोगों पर ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

Shrimati Jayaben Shah : Those people have been deported from Kenya, whom the Kenyan Government did not like to settle there. Such people are not allowed to bring their properties with them. In this connection I would like to know whether Government will relax the rules in cases of those who want to return to India.

Shrimati Indira Gandhi : Though we try to help such people as much as possible, yet rules are relaxed to the extent which does not prove prejudicial to the national interest.

Shri Rabi Ray : May I know whether it is a fact that our ambassadors abroad are not properly explaining to the people the policy and outlook of the Government of India in regard to the Immigration Act. In the editorial of "New York Times" something contrary to the Indian policy in that regard has been stated. In view of it, may I know, whether Government propose to issue categorical instructions to our ambassadors abroad particulary in Kenya, Britain and America to the effect that they should explain the Indian policy to the people in the countries where they are posted.

Shrimati Indira Gandhi : Clear instructions have been issued to the ambassadors abroad, but foreign papers pursue their own course.

Shri Rabi Ray : Will such report be contradicted?

Shrimati Indira Gandhi : If it is wrong, it will certainly be contradicted.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : भारत के संबंध कीनिया सरकार के साथ बहुत अच्छे हैं फिर सरकार कीनिया सरकार को इस बात के लिये क्यों नहीं फुसलाती कि जो लोग कीनिया के नागरिक नहीं हैं उन्हें वहां से न निकाला जाये और वह इस आशय का परिवर्तन अपने आप्रवासी अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी नियमों में कर लें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस सम्बन्ध में हमारे उच्च आयुक्त ने कीनिया अधिकारियों के साथ इस दृष्टि से बातचीत की है कि जो लोग इस प्रकार से बाहर निकाले जा रहे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाये। प्रधान मंत्री जी ने सभा में यह घोषणा की थी कि श्री ब० रा० भगत इस विषय पर कीनिया अधिकारियों से बातचीत करने के लिये कीनिया जा चुके हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रधान मंत्री जी ने यह तो कहा है कि व्यक्तिगत सामान आदि लाने के लिये लोगों को छूट दी जाती है। परन्तु वास्तव में जो लोग यहां व्यापार करने का या किसी उद्योग में धन लगाने के उद्देश्य से आना चाहते हैं उन्हें तंग किया जाता है। यदि सरकार अपनी विनियोजन नीति में थोड़ी ढील दे तो 400 या 500 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा जो इस समय लंदन या स्वीटज़रलैंड में पड़ी है, भारत में आकर्षित की जा सकती है। इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत मूल के लोगों को छूट देने के संबंध में भारत सरकार की ऐसी

क्या नीति है जिसके आधार पर उन्हें भारत में व्यापार करने अथवा अपना धन यहां लगाने के लिये यहां बुलाया जा सके ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम उनके धन के विनियोजन का स्वागत करते हैं और उप-प्रधान मंत्री मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक हैं और भारत मूलक भी हैं ब्रिटेन की सरकार से अपने दावों पर बल देने और ब्रिटेन में प्रवेश करने वालों की संख्या 1500 से अधिक कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अधिक संख्या में प्रवेश की अनुमति देने के लिये ब्रिटेन की सरकार को मनाने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ब्रिटेन में उनके प्रवेश का प्रबन्ध करना पूर्ण रूप से उनकी जिम्मेदारी है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे .....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कीनिया से राज्य मंत्री के लौटने पर हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है । अब हम अगला प्रश्न ले सकते हैं ।

विदेशों को सद्भावना शिष्टमंडल

*602 **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों में विशेष-कर काश्मीर की समस्या तथा भारत की अन्य सीमाओं के बारे में भारत के दृष्टिकोण को अब पहले से अच्छी तरह समझा जाता है ;

(ख) क्या भारत के लिए सद्भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से विदेशों में शिष्टमण्डल भेजने की प्रथा, जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद आरम्भ की गई थी अब भी चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन शिष्टमण्डलों द्वारा जिन्होंने विभिन्न देशों का दौरा किया था, किये गये कार्यों का व्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) अपनी नीतियों के प्रभाव का आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । सरकार की यह धारणा है कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विविध प्रश्नों पर अब हमारे दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा रहा है । काश्मीर पर हमारा दृष्टिकोण और चीन के साथ हमारे मतभेद को सब अच्छी तरह समझते हैं ।

(ख) और (ग). जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तभी से हम विदेशों में अपने प्रतिनिधि-मण्डल भेजते आए हैं जिससे कि हमारी नीतियों को राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारी समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सके । ये तरीका अब भी बना हुआ है । 1966-67 और 1967-68 के दौरान विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधिमण्डलों का व्यौरा संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-443/68]

श्री स० चं० सामन्त : आपके नेतृत्व में जो दो शिष्टमण्डल नेपाल और आस्ट्रेलिया गये थे उनका व्यय लोक सभा सचिवालय द्वारा वहन किया गया था या वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी परम्परा है कि लोक सभा के शिष्टमण्डलों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह ठीक है किन्तु फिर इसे वैदेशिक कार्य द्वारा दी गई सूची में क्यों शामिल किया गया है । वे उस कार्य के लिये प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके निदेश में लोक सभा द्वारा किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिये था । यदि शामिल किया जाता है तो प्रश्न पूछना स्वाभाविक है । यह सारी सभा का अंग है, अतः हम इस परम्परा का पालन करेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या उन देशों से निमन्त्रण प्राप्त होने पर उन देशों का दौरा किया गया था ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : विदेशों से अनेक निमन्त्रण प्राप्त होते हैं और उनके उत्तर में कभी कभी शिष्टमण्डल भेजे जाते हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या 1968–69 में कोई संसदीय शिष्टमण्डल भेजने का प्रस्ताव है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री कंडप्पन : दुर्भाग्य से हमारे कुछ मित्र देशों में भी भारत के कुछ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बदनाम करने के अभियान चालू हैं । श्रीलंका में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम दल के विरुद्ध जहरीला प्रचार है । चूंकि हमारा उच्चायोग यह समझता है कि वह केवल कांग्रेस पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करता है; क्या सदभावना शिष्ट मण्डल भेजते समय यह ख्याल रखा जायेगा कि उनमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाये जो इस देश और इस देश के राजनीतिक दलों के सम्मान को ऊंचा रखें ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) जिस शिष्टमण्डल का पहले उल्लेख किया गया वह सरकारी शिष्टमण्डल नहीं था । कुछ संसद् सदस्य अपनी इच्छा से गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : वे संसद् की ओर से भी नहीं गये थे । उनमें से कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा से गये थे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारे उच्चायोग सरकार का दृष्टिकोण सामने रखते हैं न कि किसी राजनीतिक दल का ।

श्री नायनार : माननीय मंत्री ने कहा कि अच्छी सूझबूझ पैदा करने के लिये विदेशों को सद्भावना शिष्टमण्डल भेजे जाते हैं । लन्दन के एक समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि जून के बाद भारत से लगभग 30 मंत्री लन्दन गये थे । एक मंत्री ने श्री विलसन से भेंट करने का प्रयत्न किया परन्तु उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई और वह लौट आये और दोबारा भेंट की आशा लेकर लन्दन गये और दूसरी बार भी उन्हें निराश होना पड़ा और तब वह एक कनिष्ट मंत्री से मिले । दूसरे

मंत्री महोदय राष्ट्रीकृत उद्योग के पुनर्गठित ढांचे की जांच करने के लिये 10 दिन तक लन्दन में रहे। इससे पता चलता है कि हमारे मंत्री विदेशों द्वारा देश की प्रतिभा को ठेस पहुंचाते हैं। क्या सरकार इसकी जांच करेगी और मंत्रियों के कार्य के बारे में प्रतिवेदन देगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मंत्री देश की प्रतिभा बढ़ाने के लिये नहीं जाते हैं। वे विशिष्ट कार्य के लिये जाते हैं और कभी कभी वे कुछ कार्य के लिये अन्य देशों में जाते हे और लन्दन में इसलिये जाते हैं कि वह एक केन्द्रीय स्थान है। जब वे वहां ठहरते हैं तो वे वहां के मंत्रियों से विचार-विमर्श करना या अन्य लोगों से मिलना उपयोगी समझते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं एक संसद सदस्यों का गैर सरकारी शिष्टमण्डल कीनिया, उगांडा, तंजानिया और इथोपिया ले गया था। वहां हमारे प्रति बहुत स्नेह प्रकट किया गया। क्या सरकार ऐसे गैर-सरकारी शिष्टमण्डलों को प्रोत्साहन देगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सरकार द्वारा नहीं भेजा गया था।

Shri Prakash Vir Shastri : What is criterion adopted for selection of members to the delegations sent abroad? Secondly, are those delegations asked to submit a report of their achievement on their return? What amount of foreign exchange was spent on the delegations sent during 1967, particularly those led by ministers?

Shrimati Indira Gandhi : As regards the criterion of selection, it is that some have knowledge of the people there and others have contacts there. What we have to see is as to who can be more useful. No delegations of Members of Parliament have gone on Government expenses. About the delegations led by the Ministers we do receive reports. They help establishing trade contacts etc. Although, we have trade representatives there, but sometimes it is considered necessary to have high-level talks.

Shri Prakash Vir Shastri : Are some people selected only to burden them with personal obligation?

Shrimati Indira Gandhi : No such persons have been sent.

Shri P. L. Barupal : During my 17 years' tenure as a Member of Lok Sabha, the hon. Prime Minister never sent me abroad with any delegation. Those who were returned only once have been sent twice, because they polish your shoes and coax you and the ministers... (*Interruptions*)

Shrimati Indira Gandhi : Ever since I am here, I have sent no such Parliamentary delegation. I am sorry, the hon. Member has not went so far.... (*Interruptions*)....

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं प्रधान मंत्री के कहने के अनुसार मैं केवल एक या दो शिष्टमण्डल भेजता हूं। जब अन्य संसद् सदस्य संयुक्त संघ या अन्य देशों को जाते हैं तो उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी : क्या सरकार ऐसी कोई प्रक्रिया संहिता तैयार करेगी कि जब किसी देश के प्रमुख की मृत्यु हो तो प्रधान मंत्री वहां जायें ?

Shri Sita Ram Kesari : Is there any proposal to send a Parliamentary Delegation to U.S.A. to advise her to stop bombing over Viet Nam?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

Shri Ram Charan : In this matter of sending delegations to abroad the backward classes have hitherto been completely negelected.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती कि ऐसे मामलों में हमें जातियों को बीच में लाना चाहिये। ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो विभिन्न स्तरों पर अच्छे संपर्क स्थापित कर सकें।

Shri Prem Chand Verma : May I know whether while sending delegations abroad, it is kept in view that they include individuals who possess special knowledge in different spheres of activities?

Shrimati Indira Gandhi : It is kept in view.

कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव

+

*603. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कच्छ की रन के उस क्षेत्र पर जिस पर भारत का दावा है जबरदस्ती कब्जा करने के लिये कच्छ की सीमा पर अपने सैनिकों का जमाव कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). कच्छ सीमा के उस पार पाकिस्तानी सेनाओं को कोई असाधारण जमाव सरकार की नजरों में नहीं आया।

सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं और देश की प्रादेशिक एकता की सुरक्षा के लिए जारी है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान के लिये सीमा के अपनी ओर का बचाव करना हमारी अपेक्षा अधिक आसान है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सही है कि सैनिक दृष्टि से हमारी कठिनाइयां अधिक है, किन्तु हमें उन पर काबू पाना है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या उस क्षेत्र को छोड़ने का यही मूल कारण है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सर्वथा असत्य है।

श्री मनुभाई पटेल : समाचार है कि कुछ पाकिस्तानी नौकाएं प्रतिदिन पाकिस्तानी नागरिकों को ला रही हैं। लगभग 360 व्यक्ति पहले ही आ चुके हैं। क्या वे आने वाले पाकिस्तानी भूतपूर्व सैनिक हैं, तस्कर व्यापारी हैं या किसी अन्य उद्देश्य से आने वाले व्यक्ति हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि समुद्र में गश्त कड़ी करने से 29 नौकाएं जिनमें 443 व्यक्ति थे, हमारी नौसेना गश्ती नौकाओं तथा भारतीय पुलिस द्वारा पकड़ी गई हैं। हमने पाकिस्तानी सरकार को विरोध प्रकट किया है। पकड़े गये लोगों की भी हम पूछताछ कर रहे हैं।

श्री कृष्णमूर्ति : क्या पाकिस्तान ने भारत सरकार से मांग की है कि सीमांकन से पहले ही उसे दिये गये क्षेत्रों से सेना हटा ली जाये ; यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वर्ण सिंह : कच्छ निर्णय को क्रियान्वित करना वैदेशिक कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

श्री कृष्णमूर्ति : क्रियान्विति 1969 के बाद ही होगी।

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी।

श्री कृष्णमूर्ति : वह समाचार-पत्र नहीं पढ़ते। यह पत्रों में आया है। यह प्रवेश का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे अस्वीकार किया है।

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या यह सत्य है कि किसी आक्रमण जैसे चीनी अथवा पाकिस्तानी आक्रमण, से पूर्व हमारी गुप्तचर सेवा हमारी सीमाओं पर किसी असाधारण सैन्य-जमाव का पता लगाने में असफल रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सत्य नहीं है कि किसी सैन्य-जमाव की हमें जानकारी नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister has just now stated that some boats and people have been caught. I, therefore, want to know whether some arms and documents have also been recovered from them; if so, what are these documents ?

Secondly, whether you have withdrawn your troops from the 350 sq. miles of land as per decision given by the International Court, if not, when do you intend to withdraw ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के पहले भाग के संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है कि क्या पकड़ा गया है तथा नाव से क्या बरामद हुआ है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मेरा उत्तर है--'नहीं'। हमने इस क्षेत्र के किसी भाग से सेना नही हटाई है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked whether you have withdrawn your troops from there; and if not, by what time will you withdraw ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने "नहीं" कहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने कदाचित साथ साथ किये जा रहे अनुवाद की ओर ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : "नही" में दिये गये उत्तर का अनुवाद सुनने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री क० नारायण राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कच्छ पंचाट से पूर्व कंजरकोट तथा छाड़-बेट में हमारी सेना गश्त लगा रही थी ? यदि हां, तो क्या कच्छ पंचाट के परिणामस्वरूप हमने यह गश्त रुकवा दी है। मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री इसे स्वीकार करेंगे कि यह मामला उनके ही अधिकार में है ?।

*श्री स्वर्ण सिंह : यह असम्बन्धित प्रश्न है। यह इसमें से नहीं उभरता। गश्त तो सीमा पुलिस द्वारा लगाई जाती है।

Shri Hukam Chand Kachwai: The House desires that it should be replied to as it is a very important question. There is an all India movement in this connection and I want you to fetch us an answer to it.

Shri Shiv Kumar Shastri : Through you I want to know from the Defence Minister that when he has just now said that Pakistan boatsmen have been arrested and are being inquired, and a protest has been lodged to Pakistan; and that when these of our potests and the negligent attitude of Pakistan towards those protests form an old practice; then do you propose to take some new steps in this connection?

श्री स्वर्ण सिंह : नया कदम यह है कि वे जहाज भी हमने काबू कर लिये हैं तथा कुछ आदमी भी हमारी हिरासत में हैं। मेरे विचार से यह एक क्रियात्मक कदम है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

मुनीरका (दिल्ली) में मकान गिरने की दुर्घटना

8. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुनीरका (दिल्ली) में एक मकान गिर जाने के कारण 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य बहुत से व्यक्ति घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इसका कोई जांच की गई है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) और (घ) 21.2.68 को विवाह के संबंध में मुनीरका गांव के श्री शिबन के मकान के सामने खुले स्थान में कुछ नाच और गाना हो रहा था उस नाच और गाने को देखने के लिये एक भारी भीड़ जमा थी। दर्शकों की इस भीड़ के कारण बड़ी संख्या में बच्चे मकान की छत पर चले गये और छज्जे पर इकट्ठे हो गये जो लगभग 15 फीट लम्बा और $2\frac{1}{2}$ फीट चौड़ा था। छज्जा गिर गया जिसके परिणाम स्वरूप 4 से 15 साल तक की आयु के 15 बच्चे मर गये। उन में 10 लड़के और 5 लड़कियां थीं। 45 घायल व्यक्ति जिनमें 40 बच्चे थे तुरन्त बचाये गये और अस्पताल में दाखिल करवा दिये गये। बाद में 2 व्यस्क मर गये जिस से मरने वालों की संख्या 17 हो गई। अस्पताल से सात को छोड़ बाकी सभी घायल व्यक्तियों को अब छुट्टी मिल गई है। 5,000 रु० की राशि विभिन्न रकमों में, सहायता अनुदान के रूप में बांटी गई है। प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी 2,000 रु० की रकम बांटी जायेगी।

डिप्टी कमिश्नर द्वारा दुर्घटना की विस्तृत जांच करने का आदेश तुरन्त दिया गया तथा एस०डी० ओ० तथा एस० डी० पी० की संयुक्त जांच से यह पता चलता है कि दुर्घटना नितान्त आकस्मिक थी।

श्री म० ला० सोंधी : भूमिका में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक अत्यन्त भयावक दुर्घटना थी। मंत्री महोदय यदि उस गांव का दौरा करते तो उन्हें ज्ञात होता कि लोग यह अनुभव करते

हैं कि उनके जीवन से प्रकाश ही चला गया है। यह एक उदास गांव है, एक उजड़ा हुआ गांव है और उनकी आशाओं ने उनका जैसे साथ ही छोड़ दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि वर्ष 1966 में दिल्ली में एक दुर्घटना हुई जिसमें धर्मपुरा, हरीनगर आश्रम तथा पहाड़ गंज में मकान गिरे थे और उस समय उसकी जांच का आदेश दिया गया था? मेरे पास उस जांच के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि है। इस से एक बार फिर मुझे एक दुर्घटनामय लेखा मिलता है तथा इस जांच के बारे में भी कुछ नहीं किया गया था। अतः इस जांच के प्रस्ताव पर भी हमारे क्या विश्वास और आशायें केन्द्रित हो सकते हैं? अब आगे प्रश्न है कि यह निष्कर्ष निकलते हुए कि यह तो बस एक दुर्घटना ही थी क्या उन्होंने इसके दूसरे पक्ष पर भी दृष्टि डाली? पहली जांचों से भी यह सिद्ध होता है कि अधिकारियों में भूमिपतियों की उपेक्षा की यह इस प्रतिवेदन में लिखा है तथा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत मामले में भी क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वे किस आधार पर कह सकते हैं कि यह तो दुर्घटना ही थी या फिर ईश्वर की करनी? क्योंकि इस छज्जे की दिशाओं का भाग ही ऐसा था कि कोई भी विशेषज्ञ कह उठता कि यह असुरक्षित तथा खतरनाक है तथा इसे गिरा दिया जाना चाहिये। फिर इस दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि इनको आवश्यक सुविधायें देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं? उदाहरणार्थ बहुत से बच्चों के दोनों अंग खराब हो गये हैं तो उन्हें कृत्रिम अंग चाहिये। यह बड़ा गम्भीर मामला है। पहली जांचों के प्रतिवेदनों के साथ भी बड़ा अस्थायी व्यवहार किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि पिछली उन तीन मकानों की दुर्घटनाओं की जांच को क्या महत्व दिया गया था?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस गांव में यह मकान पन्द्रह वर्ष पूर्व बना था जबकि निगम की स्थापना भी नहीं हुई थी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक निजी मकान था तथा छज्जे के निर्माण में ऐसा कोई दोष नहीं था तथा बहुत लोगों के चढ़ जाने के कारण ही यह गिरा। जांच से प्रकट होता है कि किसी प्रकार का निर्माण सम्बन्धी दोष नहीं था और न ही इसमें कोई मानव असफलता का कारण निहित है। जहां तक सहायता कार्य की बात है मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्या सहायता दी गई है प्रधान मंत्री ने स्वयं दुर्घटना स्थल को जाकर देखा तब सब मामले देखे हमें अत्यन्त खेद है ऐसी दुर्घटना हुई।

श्री म० ला० सोंधी : पहले जांच प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया था कि कानून में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में कानूनी सुरक्षण भी मिलना चाहिये। यह टिप्पणी की गई थी कि अधिकारियों ने लोगों की उपेक्षा की . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप केवल जानकारी मांग रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही हुई। ये तीन मकान गिर गये तथा कुछ नहीं हुआ। इस बात का क्या गारंटी है कि प्रस्तुत मामले में भी कुछ किया जायगा? कानून को बदलने का उस में सुझाव था। क्या आप कानून बदलने जा रहे हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था तथा सभा-पटल पर रखा गया था। हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रतिवेदन की सिफारिशें हमने स्वीकार कर ली हैं। अब यह प्रतिवेदन दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन हैं। कई अनुस्मारक-पत्र भेजने पर था उन्होंने अपने विचार हमें नहीं भेजे हैं। दिल्ली के महापौर को भी मैंने एक निजी पत्र लिख कर उनके विचार भेजने को कहा है ताकि हम कार्यवाही कर सके। दुर्भाग्य से हमें अभी तक उस प्रतिवेदन पर विचार नहीं दिये गये हैं।

जहां तक मेरे पहले उत्तर का सम्बन्ध है, मैं एक मामूली सुधार करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री नहीं बल्कि उनके सहयोगी उप-प्रधान मंत्री दुर्घटना-स्थल पर गये थे।

Shri Balraj Madhok : It is not true that there was no structural defect. Had there been usual support which we have generally balconies there would have been no collapse, but as it was the front portions and was not connected with roof at all, the collapse was owing to overloading. I want to know that as the D.D.A. is responsible for the development of the villages where old buildings exist and as there are beyond the purview of the Corporation, and until proper attetion is not given towards the development of these villages there will always remain the possibilities of such disasters; so will it be attended to immediately? Most of the sufferers in this accident are the Harijans most of whom have nothing with them. One of them is Shri Tola Ram whose one child has been killed and two are in the hospital where the medical authorities are asking him to provide blood for his children. Now, how can that old gentleman give his own blood and so he is asked to get the same from the market; then upto what extent is it proper? What will be thought about providing blood free of cost in such a case? Will the medical authorities of Hospitals be instructed to deal such cases in a better way and provide the necessitated blood free of cost from the blood bank, and not put the sufferer in the difficulty of purchaing blood?

Shri Vidya Charan Shukla : It is true that had the balcony's support gone more inward, it could have endured more weight but as it had gone less and as it a weight beyond its capacity, it collapsed to cause this accident. He has mentioned something about certain individuals and we will see that we help the needy ones.

Shri Prakash Vir Shastri: What has the Government agreed to in respect of this natural calamity? Distincty I mean to say as to what the Government has decided about giving immediate relief just when such a mishap takes place, and also about providing them with permanent residence; to cite an instance, about two years ago, in Dharam pura almost whole of the family of one of our Lok Sabha Secretariate was ruined and an assurance was given to make necessary investigations and take action in this behalf, but neither any decision nor any action has so far been taken. No arrangements could so far been made to rehabilitate the rest of the members of that family.

Shri Vidya Charan Shukla : When the earning member of a family is killed in an accident, we have to give a lot of aid, but in this mishap, only children were killed.

Shri Prakash Vir Shastri : But it was not the same in Dharanpura?

Shri Vidya Charan Shukla : Dharampura's case is different; whereas in the present case, some children were killed which is very painful and necessary help was accorded. As regards the houses of Dharampura, I have already stated that the report of inquiry is being considred by the Delhi Municipal Corporation and as soon as we receive their view we will take action thereon. We have written to them several times.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विभिन्न दुर्घटनाओं के बारे में बातें करने लगे हैं। प्रश्न तो मुनीरका गांव में घटी दुर्घटना से सम्बन्धित है परन्तु हम पुरानी दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं........ (व्यवधान).....श्री दी० चं० शर्मा !

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : मंत्री महोदय ने कहा कि वहां नाच गाना हो रहा था। स्वाभाविक ही है कि वहां अधिक भीड़ हो गई। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि उस गांव

से पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पर है ? मुझे विश्वास है कि वहां जरूर कोई सिपाही भी नाच गाना देख रहा होगा । उस पुलिसमैन ने, भले ही वह सादे कपड़ों में हो या वर्दी में, उसने उस खतरे का ध्यान क्यों नहीं किया तथा वहां के लोगों के जीवन के लिये इस ख़तरे को दूर करने के लिये समुचित क़दम क्यों नहीं उठाये ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : दुर्घटना-स्थल से पुलिस स्टेशन 5 मील दूर था। पुलिस वहां लगभग 45 मिनट में पहुंची तथा दमकल विभाग प्राय: आधे घन्टे में पहुंचा तथा उन्होंने बचाव-कार्यवाहियां आरम्भ कर दी ।

श्री हीo नाo मुकर्जी: जैसा कि यहां कहा गया है, यदि इस प्रकार बच्चे मरें तो बड़ी दुर्भाग्य-पूर्ण बात है । क्या मैं जान सकता हूं कि जिन मामलों के बारे में श्री सोंधी ने बताया उन मामलों में आवश्यकतानुसार क्या कृत्रिम अंग प्रदान करने का प्रबन्ध किया गया है ? क्योंकि घटना दिल्ली में घटी है तथा यहां वे अंग प्राप्त भी हैं तो उन लोगों को प्रदान किये जाने चाहिएं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो हम अवश्य इसका ध्यान रखेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta: The Hon. Minister has just now said that some money from the Prime Minister's Fund, and some extra-help are being given. So far, it has so happened that it is always promised here but it is never given anything at all. I want to know whether this help has already been given or is yet to be given ? Secondly, when there was a fire in Chandani Chowk, the Prime Minister as well as the Deputy Prime Minister, both gave a word to help, but that case has not been finalised so far. Will the Hon. Minister get it finalised early ?

Shri Vidya Charan Shukla: I understand that the help must have been given, but I shall find out whether it has reached them or not.

Shri Kanwar Lal Gupta : The fact is that at the time of a mishap, Government promises to give help but that help never reaches the sufferers for several months even. It is of no use. I request for a prompt action in this regard.

Shri Vidya Charan Shukla : I have said in my statement that Rs. 5,000 have been distributed and also that Rs. 2,000 would be distributed from the Prime Minister's Relief Fund. I will find out whether those 2,000 rupees have been given away or not, but Rs. 5,000 have been distributed.

श्री हेम बरूआ : क्योंकि दिल्ली में थोड़ी वर्षा अथवा भूंचाल आने से मकान गिर ही जाते हैं, अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे क़दम क्यों नही उठाये कि पुराने मकानों की जांच कराके यह पता लगाया जाये कि कौन से मकान मानव-निवास के लिये अनुपयुक्त हैं तथा किन-किन मकानों में निर्माण-सम्बन्धी त्रुटियां हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनायें न हों ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रबी राय !

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अल्प-सूचना प्रश्न मुनीरका गांव के सम्बन्ध में है.

श्री हेम बरूआ : मैं जानता हूं, श्रीमन् ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । बात यह है कि माननीय सदस्य का प्रश्न तो दिल्ली के बारे में है जबकि यह अल्प-सूचना प्रश्न मुनीरका गांव के बारे में है ।

श्री हेम बरुआ : इस गांव में ही केवल यह घटना नहीं हुई है प्रत्युत नगर में ऐसी अनेक घटनायें हुई हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं । मुझे मालूम है कि बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में ऐसी घटनायें होती हैं ।

श्री हेम बरुआ : मैं नहीं जानता कि केवल थोड़ी सी वर्षा होने या हल्का-सा भूचाल आने से दिल्ली के मकान क्यों थर्राने लगते हैं ? इस से पता लगता है कि मकान दोषपूर्ण हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक स्थानीय प्रक्रिया है कि दिल्ली नगर निगम मकानों की जांच करता है तथा यह निश्चय करके कि अमुक मकान मानव-निवास के लिये खतरनाक है तो वह, जहां आवश्यकता होती है, उन्हें गिराने के लिये कदम उठाता है । इस समस्त मामले की जांच करने तथा भविष्य में सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध करने की दृष्टि से एक आयोग नियुक्त किया गया था । उस निगम ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे हम ने दिल्ली नगर निगम के पास विचारार्थ भेज दिया । मैं पहले ही कह चुका हूं कि निगम के विचार हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । ज्यों ही वे विचार हमें मिलेंगे.....

श्री म० ला० सोंधी : वह दिल्ली नगर निगम को प्रतिवदन भेजने की बात की आड़ क्यों ले रहे हैं । उससे तो सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न से भिन्न है परन्तु मंत्री महोदय उसका उत्तर दे रहे थे । यदि वह दिल्ली के भी मकानों के बारे उत्तर देना चाहते हैं......

श्री हेम बरुआ : यदि भूचाल आता है तो दिल्ली के मकान थर्राने लगते हैं । यहां तक कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का मकाम भी टपकने लगा परन्तु उन द्वारा की गई प्रार्थनाओं पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय दिल्ली के मकानों के भी बारे में उत्तर देना चाहते हैं....

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने तो साधारणत: कहा था कि दिल्ली नगर निगम ने समय समय पर इन मकानों की जांच की थी तथा दिल्ली के लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जांच-आयोग के विषय में नहीं पूछा....

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं कह रहा था कि यह इससे सम्बन्धित था ।

Shri Rabi Ray : In such circumstances, is it not expected of the Hon. Minister to work with keen personal interest and remain above party politics ? He tells us that he had written to the Mayor, but have received no reply. I want to know whether it is possible for him to discuss the matter with him personally ? If such a mishap occurs in which as many as 17 children died, should the Hon. Minister not take more interest and should he not work beyond redtapism ?

श्री स० मो० बनर्जी : जांच आयोग के निर्देश-पदों में से एक यह था कि भविष्य में इस प्रकार मकानों के गिरने के बारे में सुरक्षा-उपायों के सुझाव दें । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि मकान-मालिक अपने मकानों की कभी मरम्मत नहीं कराते तथा सरकारी अथवा

म्युनिसिपल अधिकारियों से साठ-गांठ करके किरायों को मकान खाली करने को बाध्य करते हैं ताकि फिर मकान ऊंचे किराये पर उठाये जा सकें ? मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की साठ-गांठ के विरुद्ध तथा ऐसे मकानों से लोगों की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या लाभप्रद कदम उठाये गये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि जांच-आयोग के प्रतिवेदन पर तभी कार्यवाही होगी जब हमें दिल्ली नगर निगम के विचार प्राप्त हो जायेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhwai : Whenever such a mishap takes place, would the Government arrange that a compensation or aid is made available to the sufferers immediately after the mishap. Two years have elapsed after the last accident but they have not got the money so far. If the Municipal Corporation does not listen to you, will you make some special arrangements ?

Shri Vidya Charan Shukla: This issue is mainly concerned with the Municipal Corporation and it is very essential to know their views in this connection. We are sorry that there has been such a delay in securing their views. I have once again reminded them that they should reply immediately. We want to take immediate action without any delay.

डा० ला० सोंधी: कौन अधिकारी इसके लिये दोषी हैं ? उनको दंड दिया जाना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय अप्रवासियों का ब्रिटेन में प्रवेश

*600. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक भारतीय अप्रवासी तस्कर व्यापारियों को 600 पाउंड प्रति व्यक्ति के हिसाब से देकर गैर-कानूनी ढंग से ब्रिटेन में प्रवेश पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो हमारे उच्चायोग ने इस बढ़ रहे अनुचित धंधे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गैर-कानूनी तौर से ब्रिटेन में घुसे हुए कितने भारतीय लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को वापिस देश भेजा जा चुका है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 'सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, माननीय सदस्य ने भारतीय अप्रवासियों के कथित अनधिकार प्रवेश का जिस रूप में उल्लेख किया है; वैसी किसी विशिष्ट घटना का जिक्र नहीं आया है ।'

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हमारी सूचना के अनुसार अभी तक ऐसा एक ही मामला उठा है ।

Indians killed and injured in Vietnam War

604. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri S. M. Banererjee:
Shri N. S. Sharma:
Shri R. S. Vidyarthi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian personnel, working under the International Control Commission, killed and injured in Vietnam war so far;

(b) whether the families of the killed and injured persons have been given proper compensation by the countries responsible for their deaths or injuries; and

(c) the measures being adopted by Government for the safety of Indian personnel there in future?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) One person was killed. Three were injured but have since recovered.

(b) The family of Havildar Mangal Chand was killed in Hanoi in Novemer, 1967 has been paid rupees 35,000 which was forwarded to us by US Government as compensation. In addition a certain amount will also be paid to the family from the Commission's insurance scheme.

(c) The Chairman of the Commission has been advised that the Commission teams should be moved to Saigon unless their safety can be assured by the local Government in or near the places where they are at present.

अन्दमान द्वीप समूह की रक्षा

*605. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की हाल की अन्दमान द्वीप समूह की यात्रा के दौरान वहां से स्थानीय लोगों ने उन से कहा था कि बंगाल की खाड़ी में स्थित 260 द्वीपों की जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं उचित रूप से रक्षा नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में पर्याप्त कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीपों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए गए हैं । इन उपायों का सरकार द्वारा समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

Compulsory Military Training

***606. Shri O. P. Tyagi:**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government propose to give compulsory military training to all the able-bodied youngmen and women of the country, in view of our increasing defence expenditure and the continued danger from China and Pakistan; and

(b) if not, the reasons there for ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) There is already a variety of schemes available to provide military training or training involving the use of fire-arms to the people at large. These include—

(i) The N.C.C. for students;

(ii) Territorial Army;

(iii) The civilian rifle training scheme of the Ministry of Home Affairs; and

(iv) The Home Guards.

These provide an ample base for the needs of defence in an emergency. Any scheme of compulsory military training due to the vastness of the country's population and difficulties in making selective discrimination is fraught with difficulties of management in finding defence personnel and equipment required for training and expense. It is doubtful if there is real necessity for such a scheme. In the circumstances it is practical wisdom, to proceed on the limited basis indicated above.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन--2 में काश्मीर का प्रश्न

*607. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्रीमती सावित्री श्याम :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेने वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल ने काश्मीर प्रश्न को दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों के साथ संबद्ध किया था ; और

(ख) यदि हां तो उनकी टिप्पणी के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तानी अखबारों में कुछ रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने जिन्होंने दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में अपने देश के शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया था, भारत से अपने देश लौटने पर कहा कि उन्होंने भारतीय नेताओं को बताया है कि अगर अन्य सभी मामलों का उचित समाधान हो जाए जिनमें उनके अनुसार काश्मीर का विवाद सम्मिलित है तो व्यापार पुनः आरम्भ करने के विषय पर वह बातचीत करने को तैयार रहेंगे ।

(ख) भारत सरकार को आशा है कि पाकिस्तान इस प्रकार की समस्याओं पर बातचीत करने के लिये कोई पूर्व-शर्तें लगाए बगैर ताशकंद घोषणा के आधार पर दोनों देशों के बीच समस्याओं का समाधान करने के महत्व को पहचानेगा ।

दूसरी प्रतिरक्षा योजना

*608. **श्री धीरेश्वर कलिता:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि 1971 और 1976 के बीच लागू की जाने वाली प्रतिरक्षा संबंधी दूसरी योजना तैयार की जाये ;

(ख) क्या प्रस्तावित योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) योजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वर्तमान रक्षा प्लान 1966–71 में संशोधन किया जा रहा है और 1969–74 तक की अवधि को आवृत करने के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है, कि तैयार हो रही चौथी पंचवर्षीय विकास योजना से इसका संतालन हो सके ।

(ख) व्यापक रूपरेखा विचाराधीन है, और शीघ्र ही मुकम्मल होना प्रत्याशीत है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

आकाशवाणी के स्टाफ़ आर्टिस्टों का स्थायीकरण

*609. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्टाफ आर्टिस्टों को जो तीन वर्षों की अबाध सेवा पूरी कर चुके हैं स्थायी करने के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग) स्टाफ आर्टिस्टों को एक समय सामान्यतः 5 साल की अवधि के लिये ठेके पर नियुक्त किया जाता है। कार्य और व्यवहार सन्तोषजनक होने पर, यह ठेका इतनी ही अवधि के लिए आगे ताजा हो सकता है। अतः स्टाफ आर्टिस्टों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, यह निर्णय किया गया है कि आकाशवाणी के सभी आर्टिस्टों को 55 वर्ष की आयु तक लम्बी अवधि के ठेके पर नियक्त किया जाए जिसको विशेष हालात में 60 वर्ष की आयु के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में विदेशी सैनिक अड्डे

*610. **श्री डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जेनेवा निःशस्त्रीकरण समिति को एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में विदेशी सैनिक अड्डों को हटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा है ;

(ख) इन तीनों महाद्वीपों में इस समय कितने ऐसे सैनिक अड्डे हैं तथा किन-किन देशों के ;

(ग) क्या निःशस्त्रीकरण समिति ने अब तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारत इसके लिए क्या प्रयत्न कर रहा है कि यह समिति इस प्रश्न पर यथाशीघ्र विचार करे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 2344 (XXII) के द्वारा ।

(ख) इन मामलों पर ठीक-ठीक सूचना सुलभ नहीं है ।

(ग) जी हां, यह समिति अभी तक इस प्रश्न पर विचार नहीं कर पाई है।

(घ) महासभा की सिफारिशों के अनुरूप अठ्ठारह राष्ट्रों की निःशस्त्रीकरण समिति ने एटमी हथियारों के विस्तार से संबंध प्रश्न पर विचार-विमर्श को प्राथमिकता दी है लेकिन उसे अन्य प्रश्नों पर बहस अथवा बातचीत करने का समय नहीं मिला।

(ङ) हम इस समय मामले को जहां तक होगा जल्दी ही आगे चलायेंगे।

चीन की परमाणु शक्ति

*611. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि चीन ने अब न केवल परमाणु शक्ति का ही विकास कर लिया है अपितु उसने परमाणु हथियारों के चलाने के तरीके के बारे में भी निपुणता प्राप्त कर ली है और यदि हां, तो चीन की वर्तमान परमाणु शक्ति के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ख) चीन की ओर से परमाणु खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जैसे कि 27 नवम्बर 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर में बताया गया है ऐसा विश्वास किया जाता है कि चीन प्रतिवर्ष 40 नाभिकीय बम्ब तैयार कर सकता है, और उस द्वारा 20 किलो टन की क्षमता के लगभग 100 टन पहले से इकट्ठे कर लिये जाने की आशा है। उसके वहन के लिए एक प्रक्रिया के विकास में प्रगति करते रहने का भी ज्ञान है। ध्यान 19 दिसम्बर 1967 को राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 623 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिसमें बताया गया था कि चीन मीडियम रेंज के मीज़ाईलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर बल दे रहा था और शायद वह 1972 से पहले अन्तर्द्वीप मीजाईल के संबंध में योग्यता प्राप्त कर लेगा।

(ख) जैसे कि 14 फरवरी 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर में पहले कहा गया है जहां तक हमारी सुरक्षा पर चीन द्वारा नाभिकीय अस्त्रों के विकास का असर पड़ता है वह सरकार द्वारा निरन्तर निर्धारण का विषय बना है।

आण्विक शक्ति के प्रसार के लिये कनाडा से सहायता

*612. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि यदि भारत आण्विक शक्ति के प्रसार को रोकने संबंधी करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह शांतिपूर्ण कार्यों के लिये आण्विक शक्ति के प्रसार के मामले में भारत को सहायता नहीं करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता है। कनाडा और भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एटमी शक्ति के उपयोग में सहयोग के

विषय पर दो करार किए हैं। उनके सहयोग का एटमी हथियारों का विस्तार न करने की संधि के मसौदे से कोई संबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बनिहाल के निकट सैनिक गाड़ियों का नष्ट हो जाना

*613. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26/27 जनवरी 1968 को बनिहाल के निकट एक सैनिक गाड़ी के नष्ट हो जाने के कारण सरकार को कुल कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(ख) क्या उस दुर्घटना में मरे सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिये कोई सहायता मंजूर की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 26/27 जनवरी 1968 को बनिहाल के पास हुई दुर्घटना के फलस्वरूप सरकार को हुई कुल हानि, तलाश का कार्य सम्पूर्ण हो जाने पर हो, पता चल पायेगी। 17 गाड़ियों का मूल्य जिनकी अभी तलाश है, लगभग 6.95 लाख रुपये है।

(ख) 10 सेविवर्ग के प्रत्येक कुटुम्ब को 300 रुपये, दो के प्रत्येक कुटुम्ब को 200 रुपये और एक के कुटुम्ब को 250 रुपये की अदायगी सम्बन्धित कोरों के कल्याण/रेजिमेंट निधि से की गई है। निधन प्राप्त सेविवर्ग के कुटुम्ब, बच्चों के भत्ते सहित पेन्शनी अवार्डों के भी अधिकारी हैं, जो शीघ्र ही स्वीकृत किये जायेंगे।

योजना आयोग के सचिवालय का पुनर्गठन

*614. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के सचिवालय का पुनर्गठन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या आयोग के विभिन्न अधिकारियों के कार्यभार की जांच करने के लिये कोई अध्ययन किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ अधिकारी फालतू पाये गये हैं और क्या उनका अन्य सरकारी विभागों में तबादला कर दिया गया है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) योजना आयोग के सचिवालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या और विभिन्न अधिकारियों के कार्यभार की निरन्तर समीक्षा होती रहती है। पदों की समाप्ति, काम के साथ अन्य विभागों को कर्मचारियों का तबादला इत्यादि सहित कर्मचारियों की संख्या में जिस समायोजन की आवश्यकता अनुभव की जाती है उसे समय-

समय पर किया जाता है। मुख्य समीक्षा के लिये सरकार आयोजन तन्त्र सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है।

मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण

*615. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के उस आदेश में जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति तथा विभाग अथवा विभागों के निर्धारण की घोषणा की जाती है, उन विषयों का निर्देश भी किया जाता है, जिनका कार्य-भार मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य-मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को संभालना होता है; और

(ख) यदि राष्ट्रपति के आदेश में इनका निदेश नहीं किया जाता तो क्या प्रधान मंत्री अथवा मंत्रिमण्डल इन मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन के बारे में नियम बनाता है अथवा यह कार्य मंत्रिमंडल के सदस्य के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) मंत्रियों, राज्यमंत्रियों तथा उपमंत्रियों की नियुक्ति सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेश उन मंत्रियों और राज्य-मंत्रियों के विभागों का निर्धारण करते हैं जिन्हें मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र कार्य-भार सौंपा गया है। अन्य व्यक्तियों के मामले में उन मंत्रालयों/विभागों के नाम दिये गये हैं, जिनसे वे सम्बद्ध हैं। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या मंत्रिमंडल द्वारा पिछली श्रेणी में आने वाले राज्य-मंत्रियों और उप-मंत्रियों के बीच कार्य-विभाजन सम्बन्धी कोई सामान्य अथवा विशेष नियम नहीं बनाये गये हैं। किसी मंत्रालय/विभाग के लिये निर्धारित कार्य के संचालन के लिये अन्ततोगत्वा वह मंत्री उत्तरदायी है जो उक्त मंत्रालय/विभाग का प्रभारी है और उस मंत्रालय/विभाग का कार्य-विभाजन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों द्वारा विनियमित होता है जिनमें उन मामलों का वर्गीकरण होता है जो यथा-प्रसंग राज्यमंत्रियों या उपमंत्रियों द्वारा निपटाये जाते हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है और वे उन संसदीय कार्यों का सम्पादन करते हैं जो उनसे सम्बद्ध विभागों के प्रभारी मंत्री उन्हें सौंपते हैं।

हैवी इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के चेयरमैन की नियुक्ति

*616. **श्री लोबो प्रभु** :
श्री स० कु० तापड़िया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० डी० मालवीय के विरुद्ध सिराजुद्दीन वाले मामले में लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए उनको हैवी इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्री केशव देव मालवीय की हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अवैतनिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति बड़े सोच विचार के बाद और उनके विशाल अनुभव तथा पब्लिक सैक्टर सम्बन्धी ज्ञान को ध्यान में रख कर की गयी है।

रेडियो लाइसेंस शुल्क एकत्र करने संबंधी प्रक्रिया

*617. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाकघरों द्वारा रेडियो लाइसेंस शुल्क एकत्र करने की पद्धति से संतुष्ट है;

(ख) क्या यह सच है कि मूल लाइसेंस जारी करने वाले डाकघर को छोड़कर किसी अन्य डाकघर में लाइसेंसों के नवीकरण में कठिनाइयां होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो जनता की असुविधाओं को दूर करने के लिये लाइसेंस नवीकरण की प्रक्रिया सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे लोग किसी भी डाकघर पर लाइसेंसों का नवीकरण करा सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह पद्धति बराबर विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). जी हां । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत एक रेडियो लाइसेंस का लाइसेंस जारी करने वाले डाकघर को छोड़कर किसी अन्य डाकघर से नवीकरण नहीं हो सकता, जब तक कि वह पहले उत्तरोक्त डाकघर को बदलवाया न जाये । औपचारिक आवेदन-पत्र पर यथा-समय कर दिया जाता है । तथापि, जो सुझाव दिया गया है वह रिकार्ड रखने और रसीदों की क्रास चैकिंग करने में बहुत अधिक प्रशासनिक व्यय हुए बिना अमल में लाया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच हो रही है ।

लोक-सभा की बैठक में उत्तर दिये जाने के लिये

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाकिस्तान का दावा

*618. **श्री दे० अमात :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब पाकिस्तान ने भारत के अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों पर अपना दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तंजानिया से भारतीयों का प्रत्यर्पण

*619. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तंजानिया की सरकार ने कुछ भारतीयों के प्रत्यर्पण के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनके प्रत्यर्पण के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिये सहमत हो गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) तन्जानिया सरकार ने भारत सरकार से सर्व श्री किशोरीलाल धनीराम अग्रवाल और जे० एल० काराशाह के प्रत्यर्पण के लिये अनुरोध किया है। श्री अग्रवाल के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वह युनाइटेड किंगडम का नागरिक है। श्री काराशाह के पास तन्जानिया का पासपोर्ट है और वह संयुक्त तंजानिया गणराज्य का नागरिक है। दोनों भारत मूलक हैं।

(ग) श्री अग्रवाल के प्रत्यर्पण की मांग इसलिये की गई है कि तंजानिया सरकार ने उसे संयुक्त तंजानिया गणराज्य में झूठा बहाना करके माल प्राप्त करने का दोषी पाया है। श्री काराशाह के प्रत्यर्पण की मांग इसलिये की गई है कि वह संयुक्त तंजानिया गणराज्य में झूठे बहाने करके माल प्राप्त करने, जालसाजी और झूठे दस्तावेज पेश करने का दोषी पाया गया है।

(घ) भारत सरकार श्री काराशाह के प्रत्यर्पण को राजी हो गई है लेकिन श्री अग्रवाल के मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही उनके प्रत्यर्पण पर निर्णय लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाना

*620. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय को कलकत्ता से दिल्ली लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में आंकड़े तथा सांख्यिकी तैयार करने वाले विद्युत्-चालित संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में 1000 से अधिक कर्मचारी फालतू हो सकेंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कार्य जिसका कुछ भाग इस समय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता में पूरा किया जाता है, समान (एकीकृत) नियंत्रण में लाया जाये और किसी स्वायत्तशासी संगठन को सौंपा जाये। इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों में से एक सुझाव यह है कि इस स्वायत्तशासी संगठन का प्रधान कार्यालय दिल्ली या दिल्ली के आस-पास स्थित होना चाहिये। यह समस्त मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के व्यापक रूप से तथा शीघ्रता से विश्लेषण के लिये परम्परागत सारणीकरण सम्बन्धी मशीनों की कमी को विद्युतच्चालित मशीनों के

प्रयोग से पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। फिर भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इस कारण किसी को फालतू (बेकार) न होना पड़े।

जंजीबार में ऐशियाई लोगों के मकानों का जब्त किया जाना

*621. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार की सरकार ने हाल में जंजीबार के शहरी क्षेत्र में एशियाई लोगों के मकानों को बहुत बड़ी संख्या में जब्त करने की घोषणा की है;

(ख) क्या जंजीबार सरकार ने पिछले चार वर्षों से ऐशियाई लोगों की सम्पत्ति जब्त करके उन्हें बाहर निकालने का योजनाबद्ध अभियान चला रखा है और क्या भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख). 17 मार्च, 1964 को जंजीबार सरकार ने राष्ट्रपति का आदेश जारी किया जिस में यह व्यवस्था है कि ऐसे मामलों में अचल सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाए जहाँ जंजीबार के राष्ट्रपति यह समझते हों कि इस तरह का अधिग्रहण राष्ट्रीय हित में है और मुआवजा दिए बगैर इस तरह की संपत्ति के अधिग्रहण से मालिक को अनुचित कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा। यह आदेश केवल भारत मूलक लोगों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि उन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है जिनके पास जंजीबार में सम्पति है।

इस आदेश के अंतर्गत जंजीबार सरकार ने न केवल एशियाईयों की बल्कि अरबों तथा अन्य लोंगों की अचल सम्पति को भी अधिग्रहीत किया है।

भारतीय नौसेना का विस्तार कार्यक्रम

*622. **श्री मो० रू० मसानी** **श्री रण जीत सिंह :**
श्री नारायण दाण्डेकर: **श्री क० प्र० देव सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त: **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के एडमिरल गोर्शकोव ने अपनी हाल की यात्रा में हिन्द महासागर में नौसेना विस्तार कार्यक्रम में सहायता की पेशकश की है जैसा कि 23 फरवरी 1968 को 'टाइम' पत्रिका और 25 फरवरी 1968 के 'सण्डे टेलीग्राफ' में छपा है ;

(ख) क्या इस सहायता के बदले में उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि रूसी युद्धपोतों को सुविधायें प्रदान की जायें कि वह भारतीय पत्तनों पर तेल ले सकें तथा इन पोतों की मरम्मत करा सकें ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। एडमिरल गोर्शकोव का हाल का भारत भ्रमण, अपने नौसेनाध्यक्ष के 1967 के यू० एस० एस० आर० भ्रमण के उत्तर में एक सद्भावना भ्रमण था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इसराइल के साथ वस्तु-विनिमय करार

*623. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल हमारे फालतू इस्पात के बदले में हमें उर्वरक सप्लाई करने के लिये एक वस्तु-विनिमय करार करने को तैयार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसरायल हमारे रेगिस्तान और शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु मशीनों तथा तकनीकी जानकारी के रूप में सहायता देने के लिये सहमत है ;

(ग) क्या इसरायल से इस आशय के कोई ठोस प्रस्ताव पहले सरकार को प्राप्त हुए थे; और क्या इन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ): इसरायल के साथ व्यापार के मामले में सरकार की समग्र नीति लोक-सभा के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में बताई जा चुकी है :—

(1) अतारांकित प्रश्न संख्या 3554, दिनांक 29-8-1966

(2) अतारांकित प्रश्न संख्या 1475, दिनांक 5-6-1967

(3) अतारांकित प्रश्न संख्या 1937, दिनांक 27-2-68

(4) अतारांकित प्रश्न संख्या 2945, दिनांक 5-3-1968

इसराइल की ओर से सरकार के पास समय-समय पर प्रस्ताव आए हैं। 1963 में इसराइल की सरकार ने सुस्थापित तरीकों और व्यवहार के विरुद्ध, सीधे ही राजस्थान सरकार से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कुछ सहायता की पेशकश की। फरवरी, 1966 में इसराइल की ओर से उर्वरक, कीटाणु नाशक आदि देने का प्रस्ताव आया। यह प्रस्ताव हमारी इस अपील पर किया गया था जो कि हमने अपने खाद्यान्न के संकट का सामना करने के लिए सहायता पाने के लिये की थी। 1966 के शुरू में, कुछ निजी पार्टियों ने उर्वरकों के आयात के बदले इस्पात का निर्यात करने के लिए राज्य व्यापार निगम और इसराइल के बीच अदला-बदली के व्यापार का सुझाव दिया। इन प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जाँच की गई है और यह राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टियों से अस्वीकार्य पाए गए हैं।

सुरक्षा परिषद् को पाकिस्तान का पत्र

*25. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिस में उसने भारत और पाकिस्तान के शेष मसलों को हल करने के लिये भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं।

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने क्या-क्या शर्तें रखी हैं।

(ग) उन के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख) : जी हां। सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के नाम 9 फरवरी, 1968 के पत्र में, पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान द्वारा बार बार दोहराई गई इस बात का पुन: उल्लेख किया कि भारत पाकिस्तान वार्ता की पूर्व शर्त के रूप में भारत को जम्मू तथा काश्मीर में अपना अधिकार—क्षेत्र त्याग देना चाहिए।

(ग) इस पत्र के उत्तर की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 444/68]

भारत सरकार के कार्यालयों में कार्य करने की प्रक्रिया

*626 **श्री मधु लिमये : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सब मंत्रालयों विभागों में ऐसी निश्चित प्रक्रिया है कि अवर-सचिवों तथा उप-सचिवों को सीधे मंत्री के पास नहीं जाना चाहिये और न ही उनके पास सीधे कोई मामला प्रस्तुत करना चाहिये और उन्हें संयुक्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव अथवा सचिव के माध्यम से ही मामले मंत्री को भेजे जाने चाहियें ;

(ख) क्या यह सामान्य प्रथा है कि मंत्री अवर सचिवों तथा उपसचिवों से सीधे कागजात तथा फाइलें मंगायें ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में वास्तविक प्रक्रिया क्या है, और

(घ) क्या मंत्री अवर-सचिवों अथवा उप-सचिवों से सीधे कोई कागजात मांग सकता है और क्या मंत्री को वे कागजात भेजने से पहले इन अधिकारियों के लिये अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक होता है और या उनकी सहमति प्राप्त करनी होती है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : सामान्य प्रक्रिया फाइलों और कागज-पत्रों के लिये जो निर्णय के लिए आते हैं और निम्न-स्तर से उच्च स्तर तक भेजे जाते हैं और संयुक्त सचिव/सचिव के द्वारा मंत्री तक पहुंचते हैं। कुछ निर्धारित मामलों में एक उप-सचिव सीधे मंत्री तक भी जा सकता है।

फिर भी शीघ्रता से कार्य-सम्पादन को दृष्टि में रखकर "स्तर-लंघन" की हिदायतों (अनुदेशों) की व्यवस्था है। भारत सरकार के मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने का अधिकार है।

इन प्रक्रियाओं के होते हुए भी किसी मंत्रालय के लिए उत्तरदायी मंत्री सदैव अपने विवेक के अनुसार मंत्रालय के किसी भी अधिकारी से किसी भी मामले से सम्बद्ध कागजात सीधे मंगा सकता है।

पाकिस्तान से परमाणु खतरा

*627 **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में हाल में यूरेनियम अयस्क के बड़े निक्षेपों का पता लगाये जाने के कारण क्या भारत को पाकिस्तान से कोई परमाणु खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है :

(ख) क्या युद्ध हेतु परमाणु शक्ति का विकास करने के लिये चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के बारे में सरकार को कोई जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : : (क) और (ख): जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी में संगीत के लिए उम्मीदवारों का चयन

3847 **श्री म० ला० सोंधी** : सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में संगीत के लिये उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) क्या ध्वनि-परीक्षा का रिकार्ड रखा जाता है और क्या नवम्बर और दिसम्बर, 1966 में हुए ध्वनि-परीक्षण के रिकार्ड उपलब्ध हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा कुछ ऐसे ही उम्मीदवार चुने तथा नियुक्त किये गये हैं, जो ठीक तरह गा नहीं सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) : ख्याति प्राप्त और नामवर आर्टिस्टों को छोड़ कर, संगीत कलाकार प्रसारण प्रयोजन के लिये विधिवत गठित स्वर परीक्षण समिति द्वारा ली गई परीक्षा के परिणामों के आधार पर चुने जाते हैं । इस प्रयोजन के लिये स्थानीय स्वर परीक्षण समितियां आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर उम्मीदवारों की जांच करती हैं और इन समितियों द्वारा स्वीकृत, शास्त्रीय संगीत कलाकारों की आकाशवाणी के मुख्यालय में संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड द्वारा फिर से परीक्षा की जाती है सुगम संगीत कलाकारों के सम्बन्ध में स्थानीय स्वर परीक्षण समितियों द्वारा ली गई स्वर परीक्षा का परिणाम अन्तिम होता है ।

(ख) जी, हां । सभी स्वर परीक्षाओं का रिकार्ड रखा जाता है । शास्त्रीय संगीत के कलाकारों का टेप रिकार्डिंग, जांच के लिये स्वर परीक्षण बोर्ड को उपलब्ध किया जाता है और परिणाम बताने के दो महीने बाद तक रखा जाता है । संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड ने नवम्बर, 1966 में कोई स्वर परीक्षाएं नहीं ली । दिसम्बर, 1966 में कुछ स्वर परीक्षाएं ली गई थीं ।

(ग) जी, नहीं । ऐसे किसी उम्मीदवार को नहीं रखा गया जो ठीक प्रकार गा नहीं सकता हो ।

पी० फार्म विनियमन

3848. श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री लोबो प्रभु :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० फार्म विनियमनों के पारपत्र अधिनियम के अनुकूल बनाने हेतु उनमें परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किए यात्रा सम्बन्धी मूल अधिकार में कोई बाधा न पड़े ; और

(ख) बेरोजगार इंजीनियरों तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों से उनकी अपने देश में सम्भव वापिसी के लिये वित्तीय गारंटी माँगने के क्या कारण हैं जबकि उनके द्वारा प्राप्त वीसा इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि वे केवल उन्हीं देशों में जा रहे हैं जहाँ उनका स्वागत है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) "पी फार्म विनियमों में परिवर्तन करने के लिये कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनका नियमन विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम द्वारा होता है, जिस पर इस मामले में अथवा प्रश्न में उल्लिखित निर्णय पर कोई आक्षेप नहीं किया गया था ।

(ख) कोई पासपोर्टधारी जब किसी देश के लिए वीजा लेता है तो ऐसा करके वह उस देश में सिर्फ अपने प्रवेश को सुविधाजनक बनाता है उसके पोषण की कोई गारंटी नहीं होती । वित्तीय गारंटी की जरूरत सुरक्षण की दृष्टि से पड़ती है ताकि पासपोर्टधारी अगर विदेश में किसी प्रकार साधनहीन हो जाए तो उसे वापस लाया जा सके और उसकी गारंटी देने वाले से लागत वसूल की जा सके ।

वित्तीय गारंटी तभी ली जाती है जबकि प्रार्थी पासपोर्ट नियम 1967 के नियम 6 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत न आता हो जिसके अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थियों में वित्तीय गारंटी नहीं ली जाती ।

(1) जबकि प्रथम श्रेणी के स्टिपेन्डीयरी मजिस्ट्रेट से अथवा सरकार के उप सचिव या उससे ऊपर के किसी अधिकारी का प्रमाण-पत्र दाखिल कर दे ।

(2) आयकर या संपत्ति कर देता हो;

(3) किसी विदेशी सरकार द्वारा जारी किया गया प्रवेश परमिट दिखाए;

(4) भारतीय आप्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के अंतर्गत भारत से बाहर जाए और नियोजक वाँछित सुरक्षा जमा दाखिल कर दे ;

(5) रोजगार वाउचर पर युनाइटेड किंगडम जाए;

(6) छात्रवृत्ति या शिक्षावृत्ति पर बाहर जाए;

(7) यात्रा के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से पड़ोसी देशों में जाए;

(8) विदेश यात्रा के प्रमाण में और वापस लौटने के प्रमाण में टिकट दिखाए ।

Military Bases in Indian Ocean

3849. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 7 on the 13th November, 1967 and state:

(a) whether the question regarding to the setting up of military bases in the Indian Ocean by some foreign countries has since been placed before the U.N. General Assembly:

(b) if so, the decision taken in regard thereto; and

(c) if not, the time likely to be taken in this behalf?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) The U.N. Special Committee's report on Mauritius was considered in the Twenty-second Session of the General Assembly on the 19th December, 1967.

(b) A resolution was adopted which reiterated the Assembly's earlier declaration that any attempt aimed at the partial or total disruption of the natinal unity and the territorial integrity of colonial territories and the establishment of military bases and installations in these Territories is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the U.N. and of General Assembly resolution 1514(XV)

(c) Does not arise.

उड़ीसा में मोनाजाइट

3850. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा के सम्भलपुर जिले में हाल में ही मोनाजाइट के बड़े निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका वाणिज्यिक विदोहन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सम्भलपुर जिले के विभिन्न भागों में किए गए सर्वेक्षण से अब तक उस जिले में कोई महत्वपूर्ण निक्षेप नहीं मिले हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री की मद्रास यात्रा

3851. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के मुख्य मंत्री ने उनसे कहा था कि अन्दमान जाते समय मार्ग में मद्रास न आयें क्योंकि उनकी आशंका थी कि उनके विरुद्ध अशोभनीय प्रदर्शन होंगे ;

(ख) क्या उप-प्रधान मंत्री से भी इन्हीं कारणों से मद्रास न आने के लिए कहा गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) से (ग). मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि प्रधान मंत्री नौसैनिक जहाज पर मद्रास की बजाए विशाखापटनम् में, जहाँ कि वह खड़ा था, सवार हों । मुख्य मंत्री को सूचित किया गया कि प्रधान मंत्री के कार्यक्रम में ऐसा परिवर्तन करना सम्भव नहीं है । तदनुसार, प्रधान मंत्री पोर्ट-ब्लेयर जाती हुई मद्रास गईं ।

जहां तक उप-प्रधान मंत्री का संबंध है, उन्होंने मद्रास जाने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि जिस काम के लिये उन्होंने वहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया था, वह मनसूख हो गया ।

Indo-Indonesia Cultural Links

3852. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is similarity in the cultures of Indonesia particularly Jawa and Sumatra and of India and there are a large number of people there who claim to be the descendants of Aryans (Hindus) even today and respect scriptures like "Ramayana" and "Mahabharata" ;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for promoting this cultural similarity and for exchanging and publicising cultural literature;

(c) whether Government propose to establish cultural mission in Indonesia; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Ministr of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) There are several cultural similarities between India and Indonesia. It is also a fact that there are some people in Indonesia who believe in Hinduism.

(b) to (d) Both India and Indonesia have inherited great and ancient civilization and the two Governments share a mutual desire to promote cultural exchanges with one another. The cutural agreement between the two countries provides for such exchanges. Our Embassy in Djakarta and Consulate in Medan, the Indonesian Embassy in Delhi and Consulates in Bombay and Calcutta as well as other organizations in both countries provide an adequate machinery for the purpose and it is not considered necessary to establish a cultural mission in Indonesia.

कोटा स्थित परमाणु बिजली घर में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

3853. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या राजस्थान के कोटा स्थित परमाणु बिजलीघर में स्थानीय लोगों की नियुक्ति की प्रतिशतता निर्धारित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी प्रतिशतत निर्धारित की जायेगी ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3854. **श्री अ० बीपा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उड़ीसा राज्य में फूलबनी, कालाहांडी तथा बालंगीर जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई राशि नियत की थी;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के विकास के लिये उस राशि में से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या उनके विकास के लिये वर्ष 1968-69 में और अधिक राशि नियत करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार ने 1967-68 के दौरान सम्भावित व्यय का अनुमान 100 लाख रुपये लगाया है ।

(ग) वर्ष 1968-69 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

N.C.C. in Madras

3855. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the expenditure being incurred by the Centre and the Government of Madras on NCC; and

(b) the reaction of Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) and (b) The information asked for is being collected and an answer will be placed on the Table of the House.

उड़ीसा में प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग

3856. **श्री कृ० प्र० सिंह देव :**
श्री स० कुन्दु :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोई प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में ऐसे उद्योग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । एक रक्षा-आधारित कारखाना अर्थात् हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटिड का कोरापुट डिवीजन, पहले से ही स्थापना की प्रक्रिया में है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रूसी और अमरीकी फिल्मों का आयात

3857. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दस वर्षों में वर्षवार भारत में कितनी और कौन-कौन सी रूसी और अमरीकी फ़िल्मों का आयात किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : 1958 से 1967 तक की अवधि में प्रमाणित की गई फ़िल्मों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	प्रमाणित की गई अमरीकी फ़िल्मों की संख्या	प्रमाणित की गई रूसी फ़िल्मों की संख्या
1958	205	8
1959	163	9
1960	120	7
1961	177	11
1962	172	18
1963	87	22
1964	155	13
1965	129	24
1966	142	8
1967	230	45
योग	1,580	165

जहाँ तक फ़िल्मों के नाम देने का सम्बन्ध है, इस बारे में यह कहा जाता है कि फ़िल्मों की संख्या काफ़ी बड़ी होने के कारण, इस जानकारी को संकलित करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

रेडियोधर्मी उत्पादों का उत्पादन

3858. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ट्राम्बे में स्थित होमी भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र में रेडियो समस्थान (आइसोटोप) तथा अन्य रेडियोधर्मी उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) कौन-कौन से रेडियोधर्मी उत्पादों का तथा कितनी-कितनी मात्रा में और किन देशों को निर्यात किया जाता है तथा गत वर्ष इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) लगभग 350 अलग-अलग किस्मों के रेडियो समस्थान, रेडियोधर्मी औषधियां तथा नामपत्रित यौगिक भाभा अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में तैयार किए जाते हैं। सन् 1967 में कुल 35 लाख रुपये का सामान तैयार किया गया।

(ख) सन् 1967 में रेडियो समस्थान, रेडियोधर्मी औषधियां, गामा इर्रेडिएटर, एक्स-रे-चित्रण उपकरण, किरणीयन स्रोतों तथा नामपत्रित यौगिकों का निर्यात आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, हांगकांग, इटली, कोरिया, कुवैत, फिलिपीन, पोलैण्ड, स्वीडन, थाईलैंड तथा अमरीका को किया गया। विदेशी मुद्रा में लगभग 1.25 लाख रुपये अर्जित किए गए।

भारतीय वायु सेना के विमान का गुम हो जाना

3859. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के उस विमान के गुम हो जाने के बारे में, जिसमें 98 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, तथा जो 7 फरवरी, 1968 से लापता है की जा रही जांच अब पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या उस विमान का अभी तक पता नहीं चला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं; विमान अभी तक लापता है ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिये आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम

3860. **श्री स० चं० सामन्त : : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेनें के लिये भारत आये हुए विभिन्न विदेशी प्रतिनिधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आकाशवाणी से विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण आरम्भ किया गया है; और

(ख) क्या ये कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य-संचालन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत भाषाओं में प्रसारित किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों के लिए चालू किए गए विशेष कार्यक्रम ये हैं :—

(1) 1–2–68 से दिल्ली केन्द्र से 8.15 सायं से 8.30 सायं तक—$7\frac{1}{2}$ मिनट अंग्रेजी में और $7\frac{1}{2}$ मिनट फ्रेंच में, दैनिक सूचना व समाचार बुलेटिन का प्रसारण ।

(2) रविवार को 1 बजे अपराह्न से 1.30 बजे अपरान्ह के बीच संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न देशों के लोक संगीत का प्रसारण ।

(3) प्रतिनिधियों को सम्मेलन सत्र की अवधि के दौरान, प्रत्येक शनिवार को होने वाले संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आमन्त्रित किया जाता है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन सम्बन्धी भारतीय संगठन के अनुरोध अनुसार, (क) पर उल्लिखित विशेष बुलेटिन अंग्रेजी और फ्रेंच में प्रसारित किए जा रहे हैं ।

बम्बई, कानपुर तथा कलकत्ता के टेलीविजन केन्द्र

3861. श्री रवि राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई, कानपुर तथा कलकत्ता में शीघ्र ही टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के लिये किसी जापानी फर्म से कोई क़रार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। सरकार ने बम्बई, कानपुर और कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के लिए जापान की किसी भी फर्म से अभी तक कोई करार नहीं किया है। मैसर्स भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर को देश में टेलीविजन स्टूडियो और ट्रांसमीटर उपकरण बनाने में सहयोग के लिये विदेशी निर्माण संगठनों से कोटेशन आमन्त्रित करने का अधिकार दे दिया गया था। उनके प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का जापान की एक फर्म के साथ सहयोग, सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया बशर्ते कि टेलीविजन विस्तार के लिये निर्माण कार्यक्रम की स्वीकृति स्रोतों का ध्यान रखते हुए दी जाय। टेलीविजन विस्तार का कार्यक्रम अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Instructions regarding travel of Military Officers in Military Aircraft

3862. Shri O.P. Tyagi : Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether as a result of the death of the Indian Army Officers in the crash of an aircraft which was coming from Leh to Chandigarh, Government propose to issue any instructions to officials that more than one army officer should not fly in a military aircraft normally except in special circumstances; and

(b) in case such instructions have already been issued, the reasons for their non-compliance in this case?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3863. श्री अ० दीपा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में अत्यधिक असमानता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वतन्त्रता के बाद से अब तक उड़ीसा के फूलबनी जिले में कोई भी विकास योजनायें, जैसे नई रेलवे लाइन बिछाना, बिजली लगाना तथा केन्द्रीय क्षेत्र वाले उद्योगों की स्थापना, आरम्भ नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस जिले के विकास के लिए इस क्षेत्र के संसद् सदस्यों के द्वारा दिये गये सुझावों/अभ्यावेदनों को रेलवे तथा उद्योग मन्त्रालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ङ) यह सच है कि उड़ीसा में तथा देश के अन्य भागों में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण तथा देश के कतिपय विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। फूलबनी, कालाहांडी और बोलंगीर जैसे कतिपय जिलों के सापेक्ष पिछड़ेपन को स्वीकार कर लिया गया है। इसके तेजी से विकास के लिए राज्य सरकार ने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने चौथी योजना के इस कार्यक्रम के लिए 16.2 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

यह उपयुक्त होगा यदि योजना में समाविष्ट सभी औद्योगिक परियोजनाओं का स्थान-निर्धारण मुख्यत: व्यापक तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाय। परन्तु यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक जिले में बिजली घर स्थापित किये जायं।

आशा है कि राज्य सरकार ने पिछड़े जिलों के तेजी से विकास के लिए जो कार्यक्रम तैयार किये हैं उनके कार्यान्वयन से उनमें तथा अन्य क्षेत्रों में जो आर्थिक असमानता है उसे कम करने में सहायता मिलेगी।

Chinese Support to Pakistan on Kashmir Issue

3864. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the newapaper reports of the 12th February, 1968, China had announced , at a function held at Rawalpindi, to support Pakistan on Kashmir issue;

(b) the names of the countries supporting Pakistan on Kashmir issue as per report received by Government so far; and

(c) the action taken by Government in this connection ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a) Yes, Sir. Radilo Peking announced on the 10th of February, 1968, that the Chinese Charged' Affaires in Pakistan had stated in Rawalpindi as follows:

"The brave Chinese people, who have been amply tested during the great cultural revolution, initiated and directed by Chairman Mao Tse-tung, will fully support the people and the Government of Pakistan in meeting and repelling any foreign invasion and aggression and will go on resolutely supporting the struggle of the people of Kashmir for the attainment of their right of self-determination."

(b) and (c). Besides China, there are hardly any countries which give such strong support to Pakistan's ambitions in Kashmir. It may not be desirable to divulge our assessamet of Pakistan's other supporters since several of them have been showing signs of reconsidering their stand. We are in constant touch with various countries in regard to the matter.

मलयालम भाषा में विदेश प्रसारण सेवा

3867. श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री विश्म्भरन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी विदेश सेवा के लिये कितनी भारतीय भाषाओं में अपने प्रसारण करती है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनेक मलयालम भाषा-भाषी या तो विदेशों में बस गये हैं या वहां पर काम कर रहे हैं, विदेश सेवा के लिये मलयाल भाषा में प्रसारण करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) चार--हिन्दी, तमिल, गुजराती और कोंकनी।

(ख) वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सशस्त्र सेनाओं के सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन दरें

3868. श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री विश्म्भरन्
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 13 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन दरें बढ़ाने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी पेंशन-दरों में कितनी वृद्धि किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). विभागीय समिति द्वारा पेन्शनी लाभों के सम्बन्ध में कई प्रस्तावों पर विचार किया गया है, और उसकी सिफारिशें जो उसकी दूसरी और अन्तिम रिपोर्ट में दी गई हैं, और सरकार को अभी ही भेजी गई हैं, विचाराधीन हैं।

आकाशवाणी के एनाउन्सरों के वेतनमान

3869. श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री विश्म्भरन् :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के सब एनाउंसरों को सामान वेतनमान मिलता है ;

(ख) क्या भूतपूर्व रियासतों के, जैसे हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम, रेडियो स्टेशनों से आकाशवाणी में लिए गये एनाउन्सरों को आकाशवाणी में काम करने वाले अन्य घोषकों के समान वेतनमान दिया जाता है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी के अनाउन्सरों के वेतन-मान इस प्रकार हैं—

1. भूतपूर्व भाग "ख" राज्यों से सरकारी कर्मचारियों के रूप में लिए गए अनाउंसर

130–5–160–8–200 द० अ०–8–256–द०अ०–8–280–10–300 रु०

2. स्टाफ आर्टिस्ट अनाउंसर

(1) जूनियर ग्रेड 170–10–260–15–335 रुपए—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के प्रोग्राम अनाउत्सरों को छोड़ कर अन्य प्रोग्राम अनाउन्सरों के लिए।

(2) निचला ग्रेड 235–15–370–20–530 रुपए—दिल्ली, बबई, कलकत्ता और मद्रास के प्रोग्राम अनाउन्सरों के लिए।

(3) सीनियर ग्रेड 425–25–650–30–770 रुपए 2(2) के लिए सेलेक्शन ग्रेड।

(ख) और (ग). भूतपूर्व भाग 'ख' राज्यों के अनाउन्सरों को आकाशवाणी के किसी भी पद के समान नहीं किया गया, क्योंकि इसकी नियमित सिवबन्दी में इस प्रकार के पद नहीं थे। अतः उनके अधिकारों की अधिसंख्य पद बना कर रक्षा की गई। तथापि, भाग 'ख' राज्यों में कम वेतन-मानों को दृष्टि में रखते हुए, जुलाई, 1959 में उनका वेतन-मान संशोधित कर 130—300 रुपए कर दिया गया था।

त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर तथा कालिकट आकाशवाणी केन्द्रों में लगाये गये ट्रान्समीटर

3870. श्री मंगलायुमाडोम :
श्री विश्म्भरन् :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्रों त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर तथा कालीकट में लगाये गये ट्रांसमीटरों की क्षमता कितनी कितनी है;

(ख) त्रिवेन्द्रम का वर्तमान ट्रांसमीटर कब लगाया गया था;

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य के किसी भी आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम तीन से अधिक जिलों में सुनाई नहीं देता; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) मुख्य सेवा के लिए त्रिवेंद्रम, त्रिचूर और कालीकट में लगे ट्रांसमीटर मध्य शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर हैं। इसके अतिरिक्त, त्रिवेंद्रम और कालीकट के अल्प शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटरों पर विविध भारती के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ख) त्रिवेंद्रम का वर्तमान मीडियम वेव ट्रांसमीटर मार्च 1943 में लगाया गया था। विविध भारती सेवा के लिए अतिरिक्त अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर मार्च, 1966 में लगाया गया था।

(ग) और (घ) वर्तमान केन्द्रों से सभी जिलों के लिए हर समय सन्तोषजनक कार्यक्रम प्रसारित नहीं होते। केरल राज्य में प्रसारण में सुधार करने के लिए अलेप्पी के निकट एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है।

केरल में बड़ा शक्तिशाली ट्रान्समीटर लगाना

3871. **श्री मंगलाथुमाडम :**
श्री विश्वम्भरन:
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में किसी स्थान पर एक बड़ा शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगा ने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब; और

(ख) क्या केरल में एक शार्ट-वेव (अल्प तरंग) ट्रांसमीटर लगाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां। केरल में अलेप्पी के निकट एक ऊंची शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

Medium of Broadcasting and Publicity in Nagaland

3872. **Shri Shashi Bhuhan Bajpai :** Will the Minister of **Information and Braoadcasting** be pleased to stae:

(a) the main medium of bradcasting and publicity in Nagaland;

(b) the names of prominent Newspapers being published from there; and

(c) the value of advertisments given to these newspapers by the Central Government every year?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) News, information on Government activity and other programmes are broadcast from the Kohima Station of All India Radio in English, Nagamese, Zeliang Chang, Sangtam, Timchung, Konyak, Phom, Kuki, Angami, Chakesang, Rengma, Lotha, Sema and Ao.

Printed information material in English, Hindi and Assamese, are utilised for publicity in Nagaland. Spoken word programmes are under taken in Hindi, Nagamese and also in local dialects with the help of interpreters and non-officials. Films with commentaries in English and Hindi are supplied for exhibition in Nagaland.

(b) According to information availabe with the Press Registrar, the following Newspapers are being published in Nagland:

Title	*Language*	*Periodicity*
1. Naga Chronicle .	English	Fortnightly
2. Uradielie . .	Angami	Monthly
3. Ketho Mu Kevi .	Angami Naga	Quarterly
4. Citizens' Voice .	English	Weekly

(c) No Central Government advertisement has been issued to any newspapers in Nagaland by reason of their very low circulation.

नये आयुध कारखानों में उत्पादन

3873. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण नये आयुध कारखानों में कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) में मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) किसी आयुध कारखाने में महत्वपूर्ण मदों के उत्पादन के लिए, खाद्य पदार्थों और संघटकों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

3874. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ़िल्म वित्त निगम ने अपनी स्थापना से अब तक फ़िल्म निर्माताओं को कुल कितना ऋण दिया है;

(ख) इनमें से कितने ऋण अब तक वसूल कर लिये गये हैं; और

(ग) इस निगम की स्थापना से अब तक प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). निगम ने 31 जनवरी, 1968 तक कुल 1 करोड़ 33 लाख 92 हजार रुपए ऋण दिया । इसमें से उक्त तारीख को 1 करोड़ 5 लाख 68 हज़ार रुपए लौटाने थे, जिसमें से 62 लाख 71 हज़ार रुपए (ब्याज छोड़ कर) वसूल किए गए हैं । शेष राशि को वसूल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ग) निगम को अपनी स्थापना से अब तक, नीचे लिखी राशि-मूल और ब्याज-बट्टे खाते में डालनी पड़ी है:—

वर्ष	राशि (रुपए में)
1964–65	3,86,602
1965–66	3,41,294
1966–67	5,38,193
योग	12,66,089

क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, मधुबनी

3875. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कार्यालय इस मास मधुबनी से दरभंगा ले जाया गया है;

(ख) क्या यह कार्यालय पहले जयनगर में था जहां से इसे मधुबनी ले जाया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसे पुनः स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कार्यालय मधुबनी से दरभंगा नहीं ले जाया गया है, परन्तु क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में कुछ पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मधुबनी में पहले जो दो एकक थे, उन्हें घटा कर एक एकक कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लंका में 'बैजों' का पकड़ा जाना

3876. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1968 के "स्टेट्समैन" के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले संस्करण में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जाफना, श्री लंका के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा "बैजों" का जिन पर मद्रास के मुख्य मन्त्री का चित्र अंकित था एक खेप पकड़ी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके पकड़े जाने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी :) (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देख ली है लेकिन उनके पास अभी कोई और सूचना नहीं है। पूछताछ की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के बारे में वृत्त चित्र

3877. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के बारे में एक वृत्त चित्र बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय जीवन में नेताओं के योगदान की पूरी झांकी देने के लिये सिद्धान्तः सरकार उनके जीवन पर वृत्त चित्र तब तक नहीं बनाती जब तक कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय व्यतीत न हो गया हो।

Character Verification for Appointments in Ordnance Factories

3878. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that character verification of a person is done by the Police before his appointment in the Ordnance factories;

(b) if so, the number of persons whose character was verified during the last two years before their appointment in various ordnance factories in the country; and

(c) the number of persons who were removed from service as a result of such verification ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) While the character verification is normally completed before appointment, in exceptional cases of urgency it follows the appointment.

(b) and (c). The required information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Overseas Allowance to Army Personnel

3879. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount of Overseas Allowance paid to those Officers and Jawans of Indian Defence Forces who go abroad on duty ;

(b) whether such an allowance is paid by the Government of India or by the counrties where they go on duty ; and

(c) the rate of such allowance for Commissioned officers ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). Allowances paid to Army officers and jawans who go abroad on duty vary from country to country. The rates are also different depending upon the type of assignment.

Officers and jawans appointed on the staff of our Missions abroad and those sent on deputation or courses of instruction are paid foreign allowance or daily allowance and allied concessions at the scales laid down from time to time for civilian officers and personnel of corresponding grades sent on similar duties. The rates of foreign and daily allowance are laid down by the Ministry of External Affairs and are revised upwards or downwards from time to time, depending on the rise or fall in the cost of living at the various places. The payment of the allowances and concessions in these cases is solely the liability of the Government of India.

The officers sent on courses abroad under the Military Aid Programmes are paid daily allowance by the foreign Governments concerned and the difference, if any, between the daily allowance paid by such foreign Governments, and that admissible under the rules of the Government of India to those sent on courses to these countries, is paid by the Government of India.

Officers and jawans sent abroad on United Nations assignments are granted expatriation allowance at the rates given below and in addition, they are paid subsistence allow-

ance etc. by the United Nations Organisation as laid down by them separately for each theatre for Armed Forces personnel of all countries comprising the U. N. Forces :—

	Rs. p. m.
Maj. Gen. and above	250.00
Brig./Col.	200.00
Lt. Col.	150.00
Major	100.00
Capt.	75.00
Lt/2nd Lt.	50.00
Sub. Maj/Sub.	25.00
N/Sub.	20.00
Hav.	15.00
Naik	12.50
L/Naik and Sep.	10.00
NCs (E)	8.50

The allowances etc. of officers and personnel deputed on loan to foreign Governments are generally fixed on the basis of the allowances etc. admissible to officers of corresponding ranks serving in Indian Missions in those countries. The expenditure involved in such deputation is generally borne by the foreign Governments concerned.

Article in "Pravada" on West Bengal Political Situation

3880. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the action taken by the Central Government and the Governor of West Bengal was criticised in the backdrop of political situation in West Bengal in an editorial appearing in the Soviet Community Party Organ "Pravada" dated the 20th December, 1967; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) We are not aware of any editorial in Pravda of the 20th December, 1967. However the attached report from its Delhi correspondent appeared on page 5 of Pravda of 20th December, 1967. [*Placed in Library. See* No. *LT-442/68*].

(b) Does not arise.

Forced Landing of I.A.F. Helicopter

3881. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many shops were destroyed as a result of forced landing of an I.A.F. Helicopter at annual Puru Mela Grounds of Shantineketan in December 1967;

(b) if so, the circumstances in which the helicopter was forced to land there; and

(c) the number of shops destroyed and the compensation paid to the shopkeep?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No. Sir, No. I. A. F. Helicopter forcelanded at Annual Puru Mela Grounds of Shantiniketan in December 1967.

(b) and (c) : Do not arise.

Passport to Shri Biju Patnaik

388?. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 811-A on the 21st December, 1967 and state :

(a) the countries to which Shri Biju Patnaik is entitled to travel as per his passport which was renewed on the 13th May, 1967;

(b) the reasons for the renewal of the pasport and the period for which it has been renewed ;

(c) the names of the other members of the family of Shri Biju Patnaik who have been permitted, as per that passport, to accompany him on his foreign tours ; and

(d) the amount of foreign exchange sanctioned to him and to the members of his family at the time of issuing the passport and at the time of its renewal ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Shri Biju Patnaik's passport is endorsed for travel to Commonwealth countries, U.S.A., Iraq, Iran, Lebanon, Saudi Arabia, Indonesia, Burma, Thailand, Phillipines, Japan, North Africa, all countries in Europe including U.S.S.R. and Turkey but excluding Portugal.

(b) The passport was renewed upto 27th October, 1969, as he intended to proceed abroad for business purposes.

(c) As the passport was granted to Shri Patnaik only, no other members of his family can travel on that passport.

(d) No foreign exchange is released either at the time of issue of the passport or at the time of its renewal .

Electronic Engineering

3883. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any complete course, along modern lines, for Electronics Engineering has been introduced for defence personnel, as has been done in the case of Signal Electrical and Mechanical Engineering Corps;

(b) if so, the outlines thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). The information is beingcollected and will be placed on the Table of the House.

Fuel for I·A·F. Aircraft

3884. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchnage being spent on the import of fuel for the Indian Air Force aircraft;

(b) whether it is a fact that J. P. 4 indigenous fuel is as useful as imported fuel; and

(c) if so, the reasons for not giving full encouragement to indigenous fuel by Government?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Allocation of foreing exchange for import of fuel to meet the requirements of all aircraft, including those of the Indian Air Force, is made by the Ministry of Petroleum and Chemicals and separate figures

in regard to foreign exchange expenditure on fuel used by the Indian Air Force aircraft alone are not available.

(b) and (c) At present, most Indian Air Force jet aircraft, except some use JP-4 instead of Aviation Turbine Fuel. Both these fuels are now produced indigenously. JP-4 is, however, inferior in some ways to Aviation Turbine Fuel.

Newspapers Published by Joint Stock Companies

3885. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of dailies being published by the Joint Stock Companies out of the total number of newspapers being published in the country;

(b) whether it is a fact that while the percentage of the newspapers published by Joint Stock Companies is decreasing comparitively the percentage of the circulation of the newspapers published by Joint Stock Companies is going up; and

(c) if so, the efforts being made by Government to end this monopoly?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) 126.

(b) Yes Sir.

(c) The Press Council in pursuance of one of its basic objectives has already undertaken a study of developments likely to lead towards monopoly or concentration of ownership. Its report will be finalised on receipt of replies to the Questionnaire which had been issued to various sections of the commnunity in August, 1967. Further action will be considered by the Govt. in the light of recommendations made by the Council.

मध्यम तरगं के अति शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र

3886 **डा० रानेन सेन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 4 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकोट और कलकत्ता में प्रस्तावित दो मध्यम तरंग के अति शक्तिशाली प्रसारण केन्द्रों के कब तक स्थापित हो जाने और उनके द्वारा काम आरम्भ कर दिये जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : कलकत्ता के निकट लगाए जा रहे अति ऊंची शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की 1968–69 के उत्तरार्ध में चालू हो जाने की आशा है और राजकोट में लगाए जा रहे ट्रांसमीटर की 1969–70 के मध्य में।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के लिये नियतन

3887. **श्री हेम राज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना मूलतः उस समय बनाई गई थी जब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का विलय हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये हिमाचल प्रदेश को किए गए नियतन को पुनः निर्धारित करते समय पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के विलय को दृष्टि में रखा गया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):
(क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

भारतीय दूतावासों के अध्यक्षों के लिए अवकाश सम्बन्धी नियम

3888. श्री म० ला० सौंधी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावास के किसी अध्यक्ष को बीमारी के आधार पर अवकाश मंजूर करने के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या दूतावास के अध्यक्ष को सरकारी खर्चे पर सपरिवार स्वदेश आने की अनुमति है;

(ग) इस बात के लिये क्या पाबन्दी है कि इन यात्राओं को अपने निजी काम, मकानों के निर्माण, मकानों को किराये पर देना आदि के लिये प्रयोग नहीं किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार झूठे आधारों पर सरकारी धन के अपव्यय को रोकने तथा पहले की गई अनियमितताओं के लिये कार्यवाही करने के उद्देश्य से नियमों को अधिक कठोर बनाने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय मिशन-प्रमुखों को बीमारी के आधार पर छुट्टी देने के विषय में कोई खास नियम नहीं है, साधारण नियम ही लागू होते हैं।

(ख) संबद्ध विषय के अनुसार मिशन-प्रमुख और भारतीय विदेश सेवा के अन्य अधिकारी गृह अवकाश और गृह अवकाश भाड़ा ले सकते हैं जो कि उनके परिवारों के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

(ग) छुट्टी चाहे बीमारी के आधार पर ली गई हो या किसी और वजह से, इस छुट्टी में अधिकारी यदि अपना व्यक्तिगत काम काज देखता भाता है तो उसके ऐसा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Hindi Knowing Officers in the Ministry of Information and Broadcasting

3889. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Officers and employees in his Ministry and all of its subordinate and attached offices who have passed the Praveen, Prabodh and Pragya examinations so far under the Hindi Training Scheme introduced by the Ministry of Home Affairs;

(b) their percentage to the total strength;

(c) the number of those among the said employees, who have started doing their work in Hindi; and

(d) when the rest are likely to start noting and drafting in Hindi ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Use of Hindi in Defence Ministry

3890. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Officers and other staff in his Ministry and its Attached Offices, who have been successful in the Praveen, Prabodh and Pragya examinations being conducted by the Ministry of Home Affairs under its Hindi Training Scheme;

(b) the percentage thereof to the total number of employees ;

(c) the number of persons out of them, who have started doing the work in Hindi; and

(d) the date by which the rest of the persons are likely to start noting and drafting in Hindi ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

Parliament Assistants in Information and Broadcasting Ministry

3891. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal in the Ministry to abolish regular posts of Parliament Assistants as has been done in the Ministry of Law and make appointments of Parliament Assistants only during the currency of Parliament Session with a view to making proper use of man-power ; and

(b) if so, by when?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : (a) The post of Parliament Assistant is borne on the strength of Assistants' grade in the cadre of the Ministry of Information and Broadcasting.

(b) The person entrusted with Parliament work is given other assignments when the Parliament is not in session.

Employees Trained under Hindi Training Scheme

3892. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3648 on the 26th June, 1967 and state :

(a) the number of officers and employees out of the total number of those working in Indian Missions abroad, who have been given training under the Hindi-Training Scheme of the Ministry of Home Affairs;

(b) when the rest of them are proposed to be given such training ; and

(c) the number of those out of them who have started working in Hindi ?

The Prime Minister, Minister of Automic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) From December, 1960 to June, 1967, 62 and 51 officials of this Ministry have passed the Pragya and Praveen examinations, respectively, under the Hindi Teaching Scheme. Exact Missionwise figures of such trained officials are not readily available.

(b) The process of training of officials in Hindi under the Hindi Teaching Scheme continues. No positive time-limits can, however, be indicated.

(c) Most of our Missions abroad can handle respectively simple correspondence in Hindi.

Area of India

3893. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3649 on the 26th June, 1967 and state :

(a) the total area of India as handed over by the Britishers, at the time of Independence to the Government of India excluding the area of erstwhile Indian States and the Portuguese and French territories which later merged into Indian Union; and

(b) the total area of the Indian Union as on 1st January 1967, excluding the former Indian States and Portuguese and French territories ?

The Prime Minister, Minister of Automic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). The total area of India as handed over by the British at the time of Independence to the Government of India, excluding the area of erstwhile Indian States, has not been computed as such. The area of the former Indian Princely States and the former Portuguese and French possessions was also not separately computed. It is, therefore, not possible to add to the information given in answer to Question No. 3649 on 26th June, 1967.

Conference of South-East Asian countries

3894. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Japan has suggested that Pakistan, Ceylon and India should not be allowed to participate in a conference to be held at Singapore or Manila on the 10th April, 1968 regarding evolving of economic policy for South-East Asia by the countries of the region ; and

(b) if so, the reaction of Government there to ?

The Prime Minister, Minister of Automic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Soldiers Declared as Reservists

3895. **Shri Nirmal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued order for granting pension to the persons declared as reservists since 1967 at the rate of 20 rupees per mensum with effect from January, 1967;

(b) whether it is also a fact that the soldiers declared reservists before 1967 have been granted pension at the rate 10 rupees per mensum whereas all the reservists fall under the same category;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the number of soldiers declared reservists since 1967 so far and the number of those declared reservists before 1967 separately ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b) : No, Sir. However, it has been decided to increase the rate of reservist pension to Rs. 15/- p.m. plus an *ad hoc* increase of Rs. 5/- p.m. in the case of those who are transferred to the pension establishment on or after 1-4-1968. Individuals who are/were transferred to pension establishment from the reserve, prior to the above date, are/were eligible for a pension of Rs. 10/- to Rs. 12/- p.m. (plus *ad hoc* increase of Rs. 5/- p.m.) according to the terms of their engagement.

(c) In the matter of pensionary benefits, the individuals are governed by the rules and orders in force at the time of their retirement.

(d) It is not in public interest to give this information.

Export of Thorium Nitrate by Atomic Energy Establishment

3896. **Shri Nihal Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the quantity of thorium nitrate exported to countries like Burma, Germany, Japan, Pakistan, Switzerland, Britain, U. S. etc. by the Atomic Energy Establishment in Trombay during the last five years; and

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) The quantities of thorium nitrate exported during the last five years and the foreign exchange earned are as follows :—

Year	Quantity (MT)	Foreign exchange earned (in Rs. lakhs)
1962-63	102·69	23·62
1963-64	4·51	1·18
1964-65	14·90	3·42
1965-66	17·55	3·83
1966-67	6·00	2·15
TOTAL	145·65	34·20

Indian Hospice in Jerusalem

3897. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1055 on the 20th November, 1967 and state ;

(a) the amount of loss of foreign exchange suffered by Government due to the destruction of an Indian hospice in Jerusalem;

(b) whether Government have demanded funds from the Government of Isreal to rebuild the said hospice; and

(c) when the hospice is likely to be constructed ?

The Prime Minister, Minister of Atmoic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) While the Government has information about the physical damage caused to the Hospice during the June conflict in West Asia, a financial estimate of the loss is not available. It may be mentioned that the Indian Hospice in Jerusalem is not Government property. It was established in 1923 by Sheikh Nazir Hasan Ansari, an Indian national, to look after poor Indian pilgrims. It was gradually expanded with donations from pilgrims and the Government of India gave it grants-in-aid.

(b) No, Sir.

(c) The question of re-building of the Indian Hospice can only be considered after the situation in West Asia returns to normal.

आकाशवाणी के संगीत और नाटक प्रभाग में नियुक्त कलाकार

3899. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के संगीत और नाटक प्रभाग में कुल कितने कलाकार काम करते हैं तथा उन्हें 1965–66 और 1966–67 में कुल कितना वेतन, यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते दिये गये तथा किसी एक व्यक्ति को अधिक से अधिक कितना और किसी एक व्यक्ति को कम से कम कितना वेतन दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

	1965–66	1966–67
आर्टिस्टों की कुल संख्या	62 (मार्च, 1966 में नियुक्त 16 आर्टिस्टों समेत)	66
वेतन जो दिया गया . .	1,65,950.50	2,39,078.20
यात्रा भत्ता और अन्य खर्च	25,685.30	51,223.65
अधिकतम मूल फीस जो दी गई	550.00	575.000
न्यूनतम मूल फीस जो दी गई .	133.00	133.00

टिप्पणी : 1965–66 और 1966–67 के (1) वेतन, और (2) यात्रा भत्ते तथा अन्य खर्च में जो अन्तर है उसका कारण मार्च, 1966 में 16 आर्टिस्टों की भरती है ।

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारी

3900. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया के भारतीय उच्चायोगों तथा अमरीका, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस तथा रूस में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनको कुल कितना वेतन दिया जाता है तथा इन दूतावासों पर अन्य कितना व्यय होता है; और

(ख) क्या इन तथा विदेश—स्थित अन्य दूतावासों में कोई ऐसे व्यक्ति भी रखे गये हैं जिन्हें संस्कृत के साहित्य का अच्छा ज्ञान हो और यदि हां, उनकी संख्या क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Land near Hindon River (Ghaziabad)

3901. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a piece of land by the bank of Hindon in Ghaziabad, belonging to the Ministry of Defence, has been lying unutilised for many years;

(b) whether it is also a fact that a part of the said piece of land is let out on lease every year;

(c) whether any request for letting out the said piece of land on a long term lease for development of a Goshala has been received ; and

(d) if so, the decision taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b) : A part of an area of land belonging to Government known as Ghaziabad Rifle Range is on lease to Shri Krishna Goshala, Ghaziabad since 1953, and the present lease expired on 30-11-1967 . The remaining area of the Rifle Range land is utilised for defence purposes. This Rifle Range land is situated South of the Railway line from Delhi to Ghaziabad.

(c) Yes, Sir.

(d) The matter is under consideration.

Publication of Hindi Edition of the Literature published by the Ministry of Information and Broadcasting.

3902. **Shri Nageshwar Dwivedi:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the arrangements being made to publish Hindi Edition of the literature brought out by the Ministry?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : The Publications Division of this Ministry has a Hindi Wing headed by a Deputy Director by other complement of staff for bringing out Hindi, editions of the literature brought out by the Division. Similar arrangements exist also in the Collected Works of Mahatama Gandhi Unit.

2. All the literature meant for wide distribution, relating to National campaigns, such as Five Year Plan, Food, Family Planning, Savings, etc., is brought out by the Directorate of Advertising and Visual Publicity of this Ministry in Hindi (as well as each of the other regional languages). For this purpose there is the requisite editorial staff.

3. The Hindi version of Part I of Annual Report of the Registrar of Newspapers for India entitled 'Press in India' is published every year.

4. The programme journals of All India Radio are published in Hindi, English and a few other regional languages.

बाल-चलचित्रों में अनुसंधान

3903. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल-चलचित्रों को निर्माण तथा उनके बारे में अनुसंधान करने के लिये देश में एक वर्कशाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है, परन्तु इसने प्रस्ताव का रूप धारण नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठती ।

विदेशी सहयोग से बाल-चलचित्रों का निर्माण

3904. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से बाल-चलचित्र बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से देश सहयोग देने के लिये सहमत हो गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग) सोवियत संघ और संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से बालचित्र बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इनका व्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ हैं ।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न मामलों का "आपरेशनल" तथा "नान आपरेशनल" के रूप में वर्गीकरण

3905. **श्री मधु लिमये :** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ऐसी प्रक्रिया है कि मंत्रालय के सामने जो विभिन्न मामले आते हैं उनका "आपरेशनल" तथा "नान आपरेशनल" मामले के रूप में वर्गीकरण किया जाता है चाहे वे मामले मंत्रालय के सामने लिखित अथवा मौखिक अथवा किसी प्रकार से केवल सूचनार्थ आए हों; और

(ख) यदि नहीं, तो इन मामलों को निपटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा विभिन्न वर्गों के इन मामलों को निपटाने के लिए उपयुक्त अधिकारी किन-किन पदों के होते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसा कोई सामान्य व्यवहार या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है ।

(ख) आम तौर पर मंत्रालय में काम के विभाजन और सामान्य कार्यालय प्रक्रिया के आधार पर मामलों में कार्यवाही की जाती है । किसी मामले के निपटान के स्तर पर फैसला भी उसके निजी महत्व और अग्रता के आधार पर किया जाता है ।

केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड

3906. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी चलचित्रों का सेंसर करने के लिये केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड के सदस्यों को हिन्दी भाषा का पूरा अधिकार होता है, अथवा अपेक्षित ज्ञान होता है;

(ख) क्या उन्होंने चलचित्र 'हरे कांच की चूड़ियां' वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझ लिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । तथापि, जहां तक फिल्मों की जांच का सम्बन्ध है, यह जांच समितियों द्वारा की जाती है जिन में सलाहकार पेनलों के सदस्य और बोर्ड का वह अधिकारी होता है जिसको फिल्मों, जिनमें हिन्दी की फिल्में भी शामिल हैं, की भाषा का अपेक्षित ज्ञान हो ।

(ख) जिन्होंने फिल्म की जांच की उन्होंने "हरे कांच की चूड़ियां" जैसे चलचित्रों के अन्त-निहित अर्थों पर विचार किया और समझा ।

(ग) इस प्रकार के अन्तर्निहित अर्थों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उन कथा-पकथनों को कांट छांट के आदेश जारी किये गये, जिसको उन्होंने केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड को सर-कार द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार, विशिष्ट सन्दर्भ में, अनुमति योग्य नहीं पाया ।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

3907. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या हैं और क्या बोर्ड के वर्तमान सदस्य उन मापदण्डों को पूरा करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) बोर्ड में इस समय निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. श्री बी० पी० भट्ट	अध्यक्ष
2. राजमाता विजया राजे सिन्धिया, महारानी, ग्वालियर—सदस्य विधान सभा	सदस्य
3. कुमारी ए० एम० नाडकर्णी एम० ए०, फिल्म जांच समिति से सम्बन्धित थी	सदस्य

4. श्री एस० एस० वासन, संसद सदस्य—फिल्म निर्माता, निदेशक सदस्य

5. श्री वी० आर० मोहन, सदस्य विधान परिषद, उद्योगपति सदस्य

6. श्री शाम लाल सम्पादक, टाइम्स आफ़ इंडिया सदस्य

7. श्री बी० आर० अग्रवाल—एम० ए० एल० एल० बी०, बार एट ला एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट सदस्य

8. श्री कर्ल० जे० खंडलवाला—बैरिस्टर एट ला—ग्रन्थकर्त्ता कला इतिहासकार और लेखक सदस्य

(ख) और (ग) नीति उन ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करने की है जो सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक कार्य, और फिल्म उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निपुण हों तथा जनता पर फिल्मों का प्रभाव आंकने में कुशल समझे जाते हों। सरकार की राय में बोर्ड के वर्तमान सदस्य इन मापदण्डों को पूरा करते हैं।

Shooting Range Near Kota

3908. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a road has been blocked by fencing wire around an old temple by military authorities for shooting exercises at Kota Railway Station in Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that hundreds of people have to take a round of 3-4 miles to reach that temple;

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to open the previous approach roads ;

(d) whether it is also a fact that the public is allowed to visit the place on Tuesdays and Saturdays only ; and

(e) if so, the reasons for imposing such restrictions on visiting the temple?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (e) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

जूनियर कमीशंड अफसरों तथा अन्य सैनिकों की पेंशन

3909. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनियर कमीशंड अफसरों तथा अन्य सैनिकों को उनकी पेंशन का भुगतान 3 मास में एक बार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पेंशन के मासिक भुगतान के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अन्दमान और निकोबार द्विपों तथा बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ भागों में जे० सी० ओज० और ओ० आर० पेन्शनरों को पेन्शन की अदायगी त्रिमासिक की जाती है। राजस्थान

के अन्य भागों में पेन्शनरों को अदायगी अर्धवार्षिक की जाती है । अन्य सभी राज्यों और क्षेत्रों में पेन्शनों की अदायगी मासिक की जाती है ।

(ख) जहां पेन्शनों की अदायगी अर्धवार्षिक/त्रिमासिक की जाती है ऐसे कुछ क्षेत्रों के पेन्शनरों से इस अवधि को मासिक आधार पर परिवर्तित करने संबंधी अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) मामला सरकार द्वारा विचाराधीन है ।

आकाशवाणी द्वारा ग्रामीण समस्याओं के बारे में हिन्दी में साप्ताहिक कार्यक्रम

3910. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनता के लाभ के लिये ग्रामीण समस्याओं तथा परिवार नियोजन के बारे में किसी विशेष दिन तथा समय पर अखिल भारतीय आधार पर हिन्दी में साप्ताहिक कार्यक्रम की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो अंग्रेजी में, "डिबेट्स" "मीट दि प्रेस" जैसे साप्ताहिक कार्यक्रमों की जिनसे केवल चन्द श्रोताओं के दृष्टिकोण की पूर्ति होती है, जबकि अधिक लोग प्रचार के इस सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम से वंचित रखे जाते हैं, व्यवस्था करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी अपने सभी केन्द्रों से हिन्दी समेत उनकी प्रादेशिक भाषाओं, भाषाओं/स्थानीय बोलियों में ग्रामीण जनता के लिए, बताए गये विषयों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करता है ।

(ख) ये कार्यक्रम सामान्य श्रोताओं के लिए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए नहीं ।

Programme for Religious Broadcasts by A.I.R.

3911. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Bramhanandji :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce regular broadcasts of religious programmes by All India Radio from Vedic and other religious scriptures ;

(b) if so, the time by which such broadcasts would be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Consistent with the concept of a secular state, AIR presents the best in the traditional culture of India. Devotional music, readings, recitations and other items emphasising moral and ethical values, irrespective of any denominational or narrow religious significance, are broadcast. Having religious programmes with a fixed periodicity and of denominational significance to exclusive groups will not fit in with the concept of a secular state.

सेना मुख्यालय में निम्नतर विरचना कर्मचारी

3912. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय में स्थायी आधार पर नियुक्त निम्नतर विरचना कर्मचारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेड तथा वेतनमान नहीं दिये जाते ; और

(ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों तथा सेना मुख्यालय में काम कर रहे निम्नतर विरचना कर्मचारियों के ग्रेडों और वेतनमानों की विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) निम्न विरचनाओं के कर्मचारिगण सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में आवधिक आधार पर ही केवल काम पर लगाए जाते हैं। अपनी सेवावधि वह उन ग्रेडों और वेतनमानों द्वारा शासित रहते हैं, जो उन के अपने काडर में उन पर लागू होते हैं, जो सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के काडर से भिन्न होते हैं।

(ख) भारत के समस्त सरकारी अफसर तीन अर्थात् सचिवालय, संयुक्त कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय स्तरों पर काम करते हैं। ग्रेड ढांचा, भिन्न ग्रेडों के अनुपात, वेतनमान, और भर्ती की शर्तें और स्थितिएं इन तीनों स्तरों पर भिन्न होती हैं सिवाए इसके कि, लोअर डिवीजन कलर्कों और अपर डिवीजन के कम से कम ग्रेडों के वेतनमान कमोबेश तौर पर एक समान होते हैं। यही स्थिति रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों और निम्न विरचनाओं में तीनों स्तरों में भी है।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में सिविलियन विविध कर्मचारी

3913. **श्री एस० एस० जोशी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों तथा निम्नतर विरचनाओं में नियुक्त सिविलियन लिपिक कर्मचारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय की सिविलियन सेवा की प्रस्तावित योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में और सेना मुख्यालय में दिये जाने वाले ग्रेडों तथा वेतनमानों में विषमता है और सशस्त्र सेना मुख्यालय में निम्नतर विरचना कर्मचारियों को दिये जाने वाले ग्रेडों तथा वेतनमानों को सेना मुख्यालय के कर्मचारियों को न देने के बारे में पहले ही असन्तोष है, सेना मुख्यालय सेवा योजना की क्रियान्विति से पूर्व निम्नतर विरचना कर्मचारियों के ग्रेडों और वेतनमानों को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) ए० एफ० एच० क्यू० की असैनिक सेवा योजना रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों और अन्तः सेवा संगठनों के केवल (राजपत्रित और अराजपत्रित) गैर विभागीय असैनिक अफसरों पर लागू होती है। विभिन्न निम्न विरचनाओं के असैनिक कलर्की कर्मचारिगण इसकी सीमा में नहीं आते।

(ख) सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों की असैनिक सेवा योजना की कार्यान्विति से पहले, निम्न विरचनाओं में कलर्की कर्मचारिगण के ग्रेडों और वेतनमानों में सुधार का प्रश्न नहीं उठता।

भारत मे सभी सरकारी कार्यालय तीन अर्थात् सचिवालय, संयुक्त कार्यालय, अधीनस्थ तीनों स्तरों पर काम करते हैं । ग्रेड ढांचा, भिन्न ग्रेडों के अनुपात, वेतनमान और भर्त्ती की शर्तें और स्थितियां इन तीनों स्तरों पर भिन्न होती हैं, सिवाये, इसके कि लोअर डिवीज़न क्लर्कों और अपर डिवीज़न क्लर्कों के कम से कम ग्रेडों के वेतनमान कमो-बेश तौर पर एक समान होते हैं । यही स्थिति रक्षा मंत्रालय, शस्त्र सेवाओं के मुख्यालयों और निम्न विरचनाओं मे तीनों स्तरों की भी है ।

नेपाल में चीनी प्रचार

3914. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेपाल में चीनी तत्वों द्वारा भारत-विरोधी प्रचार लगातार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले मे नेपाल सरकार से बातचीत की है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) नेपाल में इस भारत-विरोधी प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । हमारे राजदूतावास ने समय-समय पर नेपाल सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है चीनी राजदूतावास के बुलेटिनों और प्रकाशनों में भारत और उसके नेताओं पर आक्षेप प्रकाशित किए जाते हैं । इस तरह के बुलेटिनों की सामग्री को नेपाली विदेश कार्यालय के ध्यान में लाने के साथ ही, हमारे राजदूतावास ने इस बात की भी प्रार्थना की है कि एक ऐसे देश की धरती पर, कि जिसके साथ भारत के सर्वाधिक सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, भारत के नेताओं और उसकी सरकार के खिलाफ इस तरह के निंदात्मक आक्षेपों के वितरण समाप्त करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं ।

चौथी योजना में बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की योजनायें

3915. श्री हिम्मतसिंहका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये अपनी योजनायें भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य रूपरेखा क्या है; और]

(ग) इन योजनाओं पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय तथा नेपाली नागरिकों के बीच विवाद

3916. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "बजारू जोति" में भारतीय तथा नेपाली नागरिकों के बीच भूमि के एक टुकड़े के स्वामित्वाधिकारों के प्रश्न पर काफी समय से विवाद चल रहा है; और

(ख) इस विवाद को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार को जो सूचनाएं मिली हैं उनसे ऐसा लगता है कि बजारू जोति की दुर्घटना पसांग शेरपा और जितेन वर्बन की व्यक्तिगत पुरानी अदावत का परिणाम थी । यह झगड़ा हाल ही में बहुत बढ़ गया था क्योंकि ऐसा बताते हैं कि ज़मीन के एक झगड़े में जितेन बर्मन शेरपा के विरुद्ध हार गया था । बताया जाता है कि इस ज़मीन के झगड़े में जितेन वर्मन के सम्मुख हुई हार का बदला लेने के लिए 7 नेपाली राष्ट्रिकों के साथ पसांग शेरपा ने जितेन वर्मन के कुछ संबंधियों पर हमला किया और उनके हल और बैल ले गया ।

(ख) पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों ने समुचित कदम उठाया और उन्होंने पसांग तथा अन्य 7 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस का मामला दर्ज किया । पसांग शेरपा गिरफ्तार कर लिया गया है । भद्रपुर (नेपाल) के पुलिस अधिकारियों को इस घटना से अवगत करा दिया गया है और उन्होंने समुचित कार्रवाई करने का वादा किया है जिसमें हल और बैल वापिस करना भी शामिल है । चूंकि दोनों ओर से पुलिस अधिकारीएक दूसरे के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं इसलिए यह उम्मीद है कि यह मामला मित्रतापूर्ण ढंग से निपट जाएगा ।

महेश योगी का आश्रम

3919. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्र कैमरामैन संघ की कार्यकारिणी 21 फरवरी, 1968 को महेश योगी के आश्रम के बाहर एक समाचारपत्र कैमरामैन पर आक्रमण किये जाने के बाद सरकार से अनुरोध किया है कि आश्रम की गतिविधियों की जांच कराई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख), जी हां, ऐसा लगता है कि इस घटना के बारे में पहले ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । यह राज्य का कानून और व्यवस्था का प्रश्न है ।

कनाडा के डिफेन्स कालेज के दल की यात्रा

3920. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के डिफेंस कालेज का एक दल हाल में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उस की यात्रा का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भ्रमण, उनके विभिन्न देशों के अपने भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में था ।

A.I.R.

3921. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is disparity between pay scale of the Chief Producer of the Staff Artist Section of the All India Radio and of the Chief Officer of the administration wing ; and

(b) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken to remove this disparity

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : (a) and (b) There is no such post as Chief Officer, of the Administrative Wing in A.I.R. However, there is a post Deputy Director General (Administration) which is at present held by an I. A. S. Officer. The Chief Producers in AIR are staff artistes and are appointed for planning and production various types of programmes. These two categories are thus not comparable and hence, the question of any disparity does not arise.

Service Conditions of Artistes of AIR

3922. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the service conditions and the rules in regard to the work-load appointment, promotion etc. of the Artiste of All India Radio are the same as prevailed during the British rule and that they are engaged on contract basis even at present;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken for regularising the services of the said Artistes as in the case of other Government servants ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) : It is a fact that Staff Artistes are still engaged on cntract but their terms and conditions of service are not the same as during the British rule. These have been liberalised to a great extent. They are now eligible for leave, medical facilities, travelling allowance, home leave, travel concession, dearness allowance, city compensatory and other allowances, advance for purchase of car/scooter etc., on similar scales like regular Government servants. The conditions and rules are under thorough re-examination.

With effect from 1-10-1964, regular fee scales have been prescribed for the various categories of Staff Artistes, who have all been brought under these scales and their fees fitted into the new scales, thereby ensuring a regular time scale in fee and periodical increments. Each Staff Artiste has been categorised according to the primary duties performed by him/her. Rules of procedure for the recruitment of Staff Artistes have also been framed.

Security Measures on Indo-Nepal Border

3923. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the details of security measures adopted during the last five years on the Indo-Nepal border particularly on the borders of Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga Districts ;

(b) whether the Central Government propose to undertake the construction of roads from Motihari to Muzaffarpur *via* Madhubani Ghat and Madhuban and from Mehasi station to Sitamarhi as a part of border road construction programme and railway lines in that area ; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c) : There are no special Defence requirements of roads or railways in the areas mentioned.

'ब्लिट्स' के सम्पादक को दण्डित किये जाने की खबर का प्रसारण

3924. **श्री देवेन सेन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पिन-अप' के मामले में जब ब्लिट्स' के सम्पादक को दोषी ठहराया गया और दण्ड दिया गया था तो आकाशवाणी के सभी प्रसारणों में बारबार यह बात प्रसारित की गई थी परन्तु जब सेशन जज ने उन्हें स्पष्ट रूप से निर्दोष ठहरा कर निम्न न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया था तो आकाशवाणी ने इस खबर को प्रसारित करने से इंकार कर दिया बताया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह : (क) "ब्लिट्स" के सम्पादक श्री आर० के० करंजिया को नागपुर के जुडिशियल मेजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने और बाद में नागपुर के सैशन जज द्वारा उन्हें निर्दोष ठहराने सम्बन्धी समाचार आकाशवाणी के कुछ बुलेटिनों में प्रसारित किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Army Personnel from Madhya Pradesh killed during Indo-Pak Con lict

3925. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the army personnel belonging to Madhya Pradesh also laid down their lives in 1965 Indo-Pak conflict ; and

(b) if so, the details in regard to the pension being given to their families?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra). (a) Yes, Sir.

(b) 29 Army personnel belonging to Madhya Pradesh (5 officers and 24 personnel) were killed in action. Details regarding pensionary benefits given to their next-of-kin is being collected from the authorities concerned and will be laid on the table of the House when received.

प्रतिरक्षा तथा हथियारों के विकास में अनुसंधान

3927. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य देशों के सहयोग से प्रतिरक्षा तथा हथियारों के विकास में अनुसन्धान करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में ।

(ख) विस्तार देना लोकहित में नहीं है ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान-कार्य में विदेशी राष्ट्रजन

3928. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी राष्ट्रजन हमारी प्रतिरक्षा अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उनके द्वारा हमारे रहस्य बाहर न जाने पायें ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). रिसर्च तथा डिवेलपमेंट एस्टेब्लिश्मेंटों/लिबारेटरियों का विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा केवल कभी कभी ही भ्रमण किया जाता है और वह भी उचित निरीक्षण के पश्चात् तथा सरकार की पूर्व-अनुमति से ऐसे भ्रमणों में वर्गीकृत प्रायोजनाएं नहीं दिखाई जाती ।

स्टाफ आर्टिस्टों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति

3929. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में कई स्टाफ आर्टिस्ट एक वर्ष से अधिक समय से अपने पदों पर तदर्थ आधार पर अनियमित रूप से काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन रिक्त स्थानों को समाचार-पत्रों में कब विज्ञापित करने तथा उन्हें उनके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कब भरने की व्यवस्था करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में ऐसा कोई स्टाफ आर्टिस्ट नहीं है जो तदर्थ आधार पर काम कर रहा हो। तथापि, दीर्घ-कालीन मासिक वेतन पर लगे केवल ऐसे दो आर्टिस्ट हैं जो स्टाफ आर्टिस्ट के दो रिक्त स्थानों—सहायक प्रोड्यूसर विश्वविद्यालय प्रसारण और स्क्रिप्ट लेखक (परिवार नियोजन एकक)—पर एक साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित चयन होने तक, ये व्यक्ति मासानुमास आधार पर कार्य करते आ रहे हैं । उक्त रिक्त स्थानों को विज्ञापित करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और आशा है कि नियमित चयन शीघ्र ही कर लिया जाएगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्टाफ आर्टिस्टों के पदों पर नियुक्तियां

3930. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों के कुछ पद 1967 में विज्ञापित किये गये थे और इसके लिये लिखित परीक्षा भी ली गई थी परन्तु साक्षात्कार करने और चयन करने में बहुत देरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं तथा उन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब भरने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). जी हां । स्क्रिप्ट लेखक (परिवार नियोजन) का एक पद विज्ञापित किया गया था और इसके लिए अगस्त, 1967 में लिखित परीक्षा ली गई थी । इंटरव्यू सहित अंतिम चयन, चयन समिति के गठन न होने के कारण पूरा नहीं हो सका । चयन समिति का इस बीच गठन हो गया है और 18 मार्च, 1968 को इंटरव्यू की तारीख निश्चित की गई है ।

Emergency Commissioned Officers in Navy

3931. **Shri Mrityunjay Prasad : Shri Valmiki Choudhary : Shrimati Sucheta Kripalani : Shri Tulsidas Jadhav :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether civilians were appointed to the posts of Emergency Commissioned Officers in the Navy in 1962;

(b) if so, whether they were paid the same pay, allowances and also provided the same amenities as in the case of permanent officers in the Navy ;

(c) the number of the said Emergency Commissioned Officers separately who have been absorbed on permanent posts who are still temporary and who have been released; and

(d) whether they were granted increments regularly and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri. L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

भारतीय जल प्रांगण में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी जहाजों के पकड़े जाने पर पाकिस्तान द्वारा विरोध

3932. श्री देव की नन्दन पाटोदिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने अपने एक विरोध-पत्र में कच्छ तट के निकट पकड़े गये 23 पाकिस्तानी जहाजों को इस आधार पर छुड़ाने के लिये भारत सरकार को कहा है, कि वे जहाज पाकिस्तानी जल सीमा में चल रहे थे;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तानी सरकार के इस दावे को अस्वीकार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) पाकिस्तान की सरकार ने उन सभी पाकिस्तानी जलयानों को वापस करने की मांग की है जो कच्छ तट पर रोके गये थे। उसने यह भी दावा किया है कि ये जलयान भारत के प्रादेशिक समुद्र में नहीं थे।

(ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है ।

Visit of Foreign Minister of Nigeria

3933. Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Foreign Minister of Nigeria recently visited Delhi ; and

(b) if so, the topics which came up for discussion with him and the outcome thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. The Federal Commissioner of External Affairs (Minister) of Nigeria visited India from the 25th February to 29th February, 1968.

(b) The main purpose of his visit was to acquaint the Government of India about the current situation in Nigeria. During the course of discussions the matter concerning evacuation of the remaining Indian Nationals in the rebel held areas of Eastern Nigeria was raised by us. The Minister assured that all possible help would be rendered in facilitating the evacuation of the Indian nationals. Besides, matters of mutual interest in general also came up for discussion.

आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षु

3934. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 28 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2072 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कारखानों में 1 जुलाई, 1963 से अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने प्रशिक्षु भर्ती किये गये;

850 (ai) LS—5

(ख) इन में से कितने लोगों ने अब तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है; और

(ग) क्या उन सब प्रशिक्षुओं को, जिन का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, रोजगार दे दिया गया है अथवा दे दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) से (ग). सूचना इकठ्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों का आरक्षण

3935. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षण के बारे में प्राक्कलन समिति द्वारा अपने 55 वें लोक सभा (प्रथम) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) प्रशिक्षुता समेत प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानों के आरक्षण के बारे में गृह-मंत्रालय द्वारा (श्री यार्डों की अध्यक्षता में) नियुक्त अध्ययन दल द्वारा की गई नवीनतम सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) जी हां ।

(ख) श्री एम० आर० यार्डो की अध्यक्षता में स्थापित किए गए वर्किंग ग्रुप की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

अरब इसरायल संघर्ष का निबटारा

3936. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन---दो में आये इसरायली प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने 27 फरवरी, 1968 को संसद् भवन में स्वतंत्र पार्टी के नेता द्वारा उनके सम्मान में दिये गये भोज में अरब-इसरायल विवाद को अन्तिम रूप में निपटाने के लिये अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत करने के लिये पांच सूत्री प्रस्ताव रखा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके पश्चिम एशिया का न्यायोयित और स्थायी समाधान निकल आए । सरकार इसी दिशा में प्रयत्नशील है ।

सीमा सुरक्षा दल में भरती

3937. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 3 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए कुछ जातियों के लोगों की सीमा सुरक्षा दल में भर्ती करने के सुझाव को आगे पहुंचाने के बारे में उनका आश्वासन पूरा किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इन लोगों की युद्ध करने की क्षमता का उपयोग देश की सुरक्षा के लिये करने हेतु कोई अन्य प्रस्ताव तैयार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि सीमा सुरक्षा सेना में भर्ती के लिए इन सम्प्रदायों का उचित ध्यान रखा गया था, जो पूर्वी पाकिस्थान से आए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के अधिकरी हैं अगर वह शर्तें पूरी कर पाएं

प्रतिरक्षा सेवाओं का एकीकरण

3938. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन स्वायत्तशासी सेनाओं के वेतमान ढांचे को धीरे धीरे समाप्त करके प्रतिरक्षा सेनाओं का एकीकरण अथवा विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, इस समय एक भी नहीं ।

(ख) वर्तमान प्रणाली सन्तोषजनक रूप से काम कर रही है और उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई फोरी आवश्यकता सामने नहीं आई है । वर्तमान प्रणाली में अगर कोई संशोधन आवश्यक हुए तो उन्हें उन सिफारिशों को सामने रखते हुए उन पर विचार किया जाएगा, जो प्रशासन सुधार आयोग से प्राप्त हों ।

प्रतिरक्षा पूर्ति विभाग

3939. **श्री दामानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत प्रतिरक्षा पूर्ति नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विभाग को क्या कार्य सौंपे गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में देश को आत्म-निभर बनाने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं के बनाने, उन्हें समन्वित एवं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत नवम्बर 1965 में प्रतिरक्षा पूर्ति नामक एक नये विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं :—

1. प्रतिरक्षा कार्यों, विशेषकर इलेक्ट्रानिक्स (विद्युत-कण-विज्ञान), यंत्र-साधन-विनियोग, वाहन तथा पोत-निर्माण के क्षेत्र में आयात की आवश्यकताओं के स्थान पर स्वदेश निर्मित प्रतिरक्षा सामग्री के प्रतिस्थापन के लिए आयोजन तथा इस विषय में विस्तृत योजनाएं तैयार करना।

2. अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा विनिर्माण के लिए देश की औद्योगिक क्षमता के उपयोग द्वारा इस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

3. प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कार्य के साथ देश में वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिकीय अनुसंधान तथा विकास कार्य का समन्वय।

4. प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य मामला।

5. इलेक्ट्रानिक्स (विद्युत-कण-विज्ञान) का विकास तथा इसके उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय।

ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा प्रकाशित "इंडिया" नामक पुस्तिका

3940. **श्री मयावान :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश स्कूलों में प्रयोग के लिये ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने "इंडिया" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है;

(ख) क्या इस पुस्तक में छपे लगभग सभी चित्र केवल नई दिल्ली के ही हैं;

(ग) इनमें दक्षिण भारत के रुचिकर स्थानों के कोई चित्र शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पुस्तिका का पूरा विवरण क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां। यूनाइटेड किंगडम स्थित हमारे हाई कमीशन के अनुरोध किए जाने पर स्कूल के बच्चों में बांटने के लिए इस नाम की एक पुस्तिका छपी है।

(ख) जी हां। इस पुस्तिका में भारत के विभिन्न भागों के दर्शनीय स्थानों के चित्र दिए गए हैं।

(ग) दक्षिण भारत से संबंधित कुछ चित्र हैं।

(घ) इसमें भारत विष्यक सामान्य सूचना दी गई जिसमें कला, पर्यटन, सरकार, अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं।

आकाशवाणी के बाह्य सेवा डिवीजन के लिये अनुवादकों की तालिका

3941. **श्री मयावन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखों तथा रूपकों का अनुवाद करने के लिये आकाशवाणी का बाह्य सेवा डिवीजन विभिन्न एककों में अनुवादकों की तालिका रखता है ;

(ख) चयन तथा तालिका में शामिल करने की कसौटी क्या है;

(ग) भुगतान की दरें क्या हैं; और

(घ) विभिन्न भाषा तालिकाओं में किन-किन अनुवादकों के नाम हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) वैदेशिक सेवा विभाग में स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में कई अनुवादक/अनाउन्सर हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता पड़ने पर, अनुवाद के लिये सामयिक आधार पर बाहर के लोग भी बुक किए जाते हैं।

(ख) पदों को विज्ञापित किया जाता है और इनका चयन विधिवत बनाई गई एक समिति द्वारा उम्मीदवार की योग्यता पर किया जाता है। अनुवादकों के रूप में सामयिक नौकरी के लिये तालिका रखने के लिये सब से बड़ी कसौटी उनकी अच्छी प्रकार अनुवाद करने की योग्यता है।

(ग) भुगतान की दरें भिन्न भिन्न हैं और इस पर निर्भर करती हैं कि स्क्रिप्ट किस प्रकार की है और वह कितने समय की है। अभी तक कम से कम भुगतान 15 रुपये और अधिकतम भुगतान 40 रुपये हुआ है।

(घ) एक सूची अंग्रेजी में संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 441/68]**

ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के लिये पत्रिकाएं

3942. **श्री मयावन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के वाचनालय में दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कोई भी पत्रिका नहीं रखी जाती; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) लंदन स्थित हमारे हाई कमीशन के वाचनालय में कन्नड़ भाषा का एक समाचार-पत्र रखा जाता है। अगर अन्य भाषा के समाचार-पत्रों की पर्याप्त मांग हुई तो धन सुलभ होने पर इसकी पूर्ति की जाएगी।

केन्द्रीय सूचना सेवा में पत्रकार कर्मचारी

3943. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों के पत्रकार कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना सेवा पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच कि उन पत्रकार-कर्मचारियों को, जो विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में काम कर रहे हैं और जिन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल नहीं किया गया है, केन्द्रीय सूचना सेवा-पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त नहीं किया जा सकता; और

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा नियुक्त उन पत्रकार कर्मचारियों को जिन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल नहीं किया गया है, यह लाभ देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

प्रतिरक्षा कोटे से स्कूटरों का आवंटन

3944. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ऐसे कितने आवेदन पत्र हैं जिन पर प्रतिरक्षा कोटे से विभिन्न प्रकार के स्कूटरों का आवंटन किया जाना शेष है ;

(ख) जो ऐसे आवेदकों की सूची में सब से पहला है उसका आवेदन पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ था ;

(ग) क्या अधिक मांग देखते हुए इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी कि स्कूटरों का प्रतिरक्षा कोटा बढ़ा दिया जाये ; और

(घ) क्या उनके कोटे के स्कूटरों के आवंटन के बारे में उनके मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों पर प्राथमिकता मिलती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 1-3-1968 तक रक्षा कोटा से स्कूटरों की अलाटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे प्रार्थना पत्रों की कुल संख्या है :—

लम्बरेटा	12578
वेस्पा	9955
फंटेबुलस	एक भी नहीं

(ख) प्रतीक्षण सूची में सर्वोपरि प्रार्थना पत्रों की तिथिएं इस प्रकार हैं :—

लम्बरेटा	13-9-1963
वेस्पा	28-5-1963
फंटेबुलस	एक भी प्रार्थना पत्र अवलम्बित नहीं है।

(ग) औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्यों के मंत्रालय से हाल ही में रक्षा कोटा में वृद्धि करने की प्रार्थना की गई है।

(घ) सेवाओं और रक्षा संगठनों के असैनिक सेविवर्ग के लिए उनको छोड़ कर जो रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं और औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्यों के मंत्रालय द्वारा केडर किए जाते हैं रक्षा मंत्रालय को स्कूटरों का एक अलग सब-कोटा अलाट किया गया है।

सैनिक समाचार में उप-सम्पादकों (सब-एडीटरों) के पदों के लिए भर्ती

3945. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक समाचार के उप-सम्पादकों तथा सहायक पत्रकारों के पदों के लिये भर्ती के नियम बना लिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक ये नियम बनाये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिक समाचार के उप-सम्पादक के स्थानों के लिए भर्ती के नियम विद्यमान हैं परन्तु वह संशोधित किये जा रहे हैं। सहायक पत्रकारों के स्थानों के लिए भर्ती के नियमों को अभी अन्तिम रूपरेखा नहीं दी गई ।

(ख) और (ग) : जनसम्पर्क निदेशालय के भिन्न पक्षों में स्थानों के अन्त: परिवर्तन की संभाव्यता के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। इसकी सिफारिशों का अनुसरण करते हुए भर्ती के नियमों के प्रारूप तैयार किए गए हैं और विचाराधीन हैं तथा उनको शीघ्र अन्तिम रूपरेखा दिए जाने की आशा है ।

सैनिक समाचार में उप-सम्पादक (सब एडीटर)

3946. **श्री जी० एस० रैड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक समाचार में उप-सम्पादकों तथा सहायक पत्रकारों की स्वीकृत संख्या कितनी है ;

(ख) इन में से कितने पद स्थायी हैं ;

(ग) क्या सभी स्थायी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उप-सम्पादकों और सहायक पत्रकारों की स्वीकृत जनशक्ति इस प्रकार है :—

उप-सम्पादक	10
सहायक पत्रकार (अवकाश आरक्षण 1 समेत)	25

(ख) उप-सम्पादकों के 7 स्थान और सहायक पत्रकारों के 20 स्थान ।

(ग) और (घ) : उप-सम्पादकों के सभी स्थायी स्थान पूर्ण हो चुके हैं। सहायक पत्रकारों के स्थायी स्थान उनके भर्ती के नियमों के मुकम्मल हो जाने पर पूर्ण किए जाएंगे जो शीघ्र ही मुकम्मल होने वाले हैं ।

मिग कारखाने का नियोजन बोर्ड

3947. **श्री चिंतामणी पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में सुनावेढा में मिग कारखाने के नियोजन बोर्ड में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्य से एक उच्च अधिकारी को शामिल किए जाने के बारे में अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या था और कब अनरोध किया गया था ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया था ; और

(घ) इस अभ्यावेदन को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट विभाग की चुनाव समिति में राज्य के एक प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया था । यह सुझाव 25-/-1967 और 29-11-1967 के हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट विभाग के जनरल मैनेजर को पहुंचा दिया गया था । केन्द्रीय सरकार को 11-1-1968 को एक अभिवेदन प्राप्त हुआ था ।

(ग) जी हां ।

(घ) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड एक स्वायत्त संस्था है और भारत के पांच राज्यों में उसके विभाग हैं । किसी राज्य में भी हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने चुनाव समितियों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल नहीं किए हैं । एच० ए० एल० के नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी-गण की उच्च श्रेणियों के लिए सेविवर्ग की भर्ती अखिल भारत आधार पर हस्तगत की जाती है । निम्न श्रणियों के लिए भर्ती स्थानीय रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों के आधार पर की जाती है, वहां जब वह उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्य करने में असमर्थ होते है केवल तभी ही अन्यत्र स्थानों से भर्ती की जाती है ।

नौसेना में रिजर्व अधिकारी

3948. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से अब तक नौसेना में कितने अधिकारियों को रिजर्व अधिकारियों के रूप में भर्ती किया गया ;

(ख) उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या उनको नियमित वार्षिक वेतन वृद्धियां दी गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नौसेना में 1960 से 100 अफसरों को रिज़र्व अफसरों के तौर पर भर्ती किया गया है ।

(ख) रिजर्व अफसरों को कार्यवाहक लेफ्टिनेंट के पद पर नियक्त किया जाता है । उपयुक्त अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट कमांडर तक उच्च पद भी दिए जाते हैं । सेवा में शामिल होने पर इन अफसरों को दो मास का आरम्भिक प्रशिक्षण दियां जाता है और उसके पश्चात् हर दो वर्ष के पश्चात् एक मास का प्रशिक्षण । जब उन्हें सक्रिय सेवा के लिए बुलाया जाता है वह भारतीय नौसेना के नियमित समतुल्य अफसरों को देय वेतन और भत्तों के अधिकारी होते हैं । अन्य रियायतें व्यापक तौर पर वह होती हैं जो नियमित अफसरों को देय हैं । इसके अतिरिक्त रिज़र्व देयता के लिये उन्हें प्रतिवर्ष 300 रुपये रिटेनिंग फीस मिलती है ।

(ग) जी अभी नहीं । मामला आडिट अधिकरणों के साथ उठाया गया है क्योंकि इस विषय में नियमों का स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ऋषिकेश में एक विदेशी के पास से शक्तिशाली ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना

श्री के० अनिरुद्धन (चिरयिन्कील) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"ऋषिकेश में एंटीबायोटिक फैक्टरी के निकट एक झोंपड़ी से जिसका मालिक एक विदेशी ह एक शक्तिशाली ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : ऋषिकेश में एंटीबायोटिक फैक्टरी के निकट एक झोंपड़ी से किसी विदेशी के कब्जे से शक्तिशाली ट्रांसमिटर पाये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी जनवरी, 1966 में ऋषिकेश में पश्चिमी जर्मनी के एक राष्ट्रिक के कब्जे से दो ट्रांसमिटर ट्रांस-रिसीवर सेट पाये गये थे। ये सेट उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पकड़े गये थे और वास्तविक परीक्षण के पश्चात् पता लगा कि उनकी रेंज 2 से 3 मील तक है। विस्तृत जांच के बाद यह पता लगा था कि सम्बन्धित व्यक्ति का कोई बुरा इरादा नहीं है अतः सेट उसको वापस दे दिये गये थे।

श्री अनिरुद्धन : इस ट्रांसमिटर के पाये जाने के समाचार तथा 1966 में पाये गये ट्रांसमिटरों के मामलों को इक्का दुक्का मामले नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऋषिकेश सभी प्रकार की जासूसी की गतिविधियों का केन्द्र बन गया है और यह एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है।

समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हाल ही के समाचार के अनुसार अमरीका की गुप्त सेवा के मुख्य अधिकारी आजकल एक योगी के आश्रम के आन्तरिक शिविर में रहते हैं। अतः सभी विदेशियों ने ऋषिकेश को जासूसी का केन्द्र बना रखा है।

योगी ने 40 अथवा 50 आधुनिक झोंपड़ियां बनाई हैं जो पूंजीपतियों की विलासपूर्ण कोठियों से भी बढ़ कर हैं और जिनमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं। योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार को वहां पर एक हवाई पट्टी बनाने को भी कहा है। क्या सरकार इस समूचे मामले की जांच करेगी और यह बतायेगी कि यह ट्रांसमिटर कहां से और कैसे आया है? क्या सी० आई० ए० तथा पश्चिमी जर्मनी एजेन्सी अथवा किसी अन्य विदेशी एजन्सी का इस ट्रांसमिटर से कोई सम्बन्ध है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बरामद हुए ट्रांसमिटर की रेंज 2 से 3 मील है। जहां तक उस क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां पर जाने वालों की छानबीन के लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे) श्रादि

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1968 की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये, संख्या एल० टी०-438/68]**

(2) वर्ष 1966-67 के लिए विनियोग लेखे (रेलवे) भाग 1–समीक्षा की एक प्रति।

(3) वर्ष 1966-67 के लिये विनियोग लेखे (रेलवे) भाग 2–विस्तृत विनियोग लेखे की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये, संख्या एल० टी०-439/68]**

(4) वर्ष 1966-67 के लिए ब्लाक लेखे (ऋण लेखे के पूंजी विवरणों सहित) संतुलन विवरण तथा लाभ-हानि लेखे (रेलवे) की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी०-440/68]**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय—मरमुगाश्रो पत्तन के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के बयानवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल), 1967/68

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (WEST BENGAL), 1967-68

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं पश्चिमी बंगाल के राज्य के बारे में वर्ष 1967-68 के लिए अनपूरक अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : I rise on a point of order. We have given a Short Notice question as well as half an hour discussion but........

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। एक बार रद्द किये जाने के पश्चात् मामले को पुनः सभा में नहीं उठाया जा सकता .....(**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Molahu Prasad : * *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

** सभा की कार्यवाही को वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
**Not recorded.

पश्चिम बंगाल आयव्ययक 1968-69—प्रस्तुत

WEST BENGAL BUDGET 1968-69—Presented

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सभा को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के राज्य के संबंध में 20 फरवरी 1968 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक घोषणा की गयी थी। इस घोषणा के आधार पर, राज्य के विधान-मण्डल के अधिकारों का प्रयोग अब संसद् के द्वारा या संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जा सकता है। यह घोषणा 20 फरवरी 1968 को संसद के सामने रखी गयी थी और जल्दी ही इसे लोक-सभा द्वारा विचार किये जाने और मंजूरी दिये जाने के लिये पेश किया जायेगा। इस लिये मैं इस समय, राज्य सरकार के 1968—69 के बजट अनुमानों को ही पेश करूंगा ताकि सभा द्वारा बजट पर ब्योरेवार विचार किये जाने से पहले, अप्रैल से जुलाई 1968 तक की अवधि के लिये लेखानदान प्राप्त किया जा सके।

2. कुछ दिन पहले जब मैंने केन्द्रीय बजट पेश किया था, तब मैंने देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सामान्य बातों की समीक्षा की थी। इसलिये मेरे लिये यह जरूरी नहीं है कि मैं कुछ खास-खास बातों का उल्लेख करने के अलावा, राज्य की आर्थिक या अन्य गतिविधियों की विस्तृत रूप से चर्चा करूं। कृषि के क्षेत्र में, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों सम्बन्धी कार्यक्रम को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है, पिछले वर्ष 55,000 एकड़ भूमि में अधिक उपज वाले धान के बीज बोये गये थे और अनुमान है कि इस वर्ष लगभग 3.5 लाख एकड़ भूमि में इस किस्म के धान की बुवाई की जायगी। अगले वर्ष के लिये 7.5 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खरीफ के पिछले मौसम में राज्य की तीन मुख्य सिंचाई-योजनाओं अर्थात् मयूराक्षी कांक्षावती और दामोदर घाटी निगम के जरिये 13.4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई थी, कांक्षावती प्रायोजना पूरी हो जाने पर, इस प्रायोजना से खरीफ की फसलों के लिये 6.75 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की और रबी की फसलों के लिये 1.5 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होने लगेगी। सबसे अधिक जोर सिंचाई की छोटी योजनाओं पर दिया जा रहा है और अनुमान है कि चालू वर्ष के अन्त में 1500 गहरे नलकूपों से काम लिया जाने लगेगा; इसकी तुलना में पिछले वर्ष 770 नलकूप काम कर रहे थे। कम गहरे नलकूपों की खुदाई और छोटे पम्प सेटों के वितरण की योजनाएं किसानों में लोकप्रिय हो गयी हैं और नदी के जल को पम्पों से खींचने की योजनाओं और तालाबों में सुधार करने की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। फरवरी 1968 के मध्य तक लगभग 1 लाख मेट्रिक टन रासायनिक खाद इस्तमाल की गयी जिसके काफी बड़े हिस्से का इस्तेमाल अधिक उपज वाली फसलों के लिये किया गया। पिछले वर्ष सहकारी समितियों द्वारा किसानों को थोड़ी और दरमियानी अवधियों के 11 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे; अनुमान है कि चालू वर्ष के अन्त तक इन ऋणों की रकम बढ़कर 16 करोड़ रुपया हो जायेगी। पिछले वर्ष भूमि-बंधक बैंकों द्वारा लम्बी अवधि के 58 लाख रुपये के ऋण दिये गये थे; ऐसी सम्भावना है कि चालू वर्ष में इन ऋणों की रकम 1 करोड़ रुपया हो जाय। 36 सहकारी चावल मिलें, जिनमें एक अधुनिक चावल मिल है, स्थापित की गयी हैं, जिनमें 12 मिलों में काम शुरू हो चुका है।

3. माननीय सदस्यों को मालूम है कि 1967 में पश्चिम बंगाल में उद्योगों को बड़ी कठिनाइयों में से गुजरना पड़ा जिसके कई कारण थे। इंजीनियरी उद्योग' खासकर होवड़ा क्षेत्र में स्थित छोटे कारखानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि यह एक ऐसा उद्योग था जिस पर

[श्री मोरारजी देसाई]

आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता आने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा प्रबन्ध-कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षण-कर्मचारियों के, अभूतपूर्व पैमाने पर घेराव किये गये और इससे अधिकतर उद्योगों के सामने गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी। औद्योगिक अशान्ति के कारण 1967 में काम बन्द होने की 447 घटनाएं हुई जबकि 1966 में इस प्रकार की 244 घटनाएं हुई थी, 1967 में 61 लाख श्रम दिनों की हानि हुई जब कि 1966 में 27 लाख और 1965 में 14 लाख श्रम दिनों की हानि हुई थी। औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा और निश्चितता के अभाव की भावना व्याप्त थी और पूंजी-निवेश सम्बन्धी वातावरण निराशापूर्ण हो गया था। लेकिन वर्ष के अन्त में कुछ हद तक विश्वास का वातावरण फिर से पैदा हो गया और औद्योगिक सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ। कई कारखाने, जो बन्द हो गये थे, इस बीच फिर से खुल गये हैं। रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर किये गये पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई हैं, इंजीनियरी के स्नातकों के मामलों में खास तौर से बहुत अधिक अर्थात् 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह बात कहने की जो जरूरत ही नहीं है कि औद्योगिक सम्बन्धों में स्थिरता लाने, बेरोजगार मजदूरों को फिर काम दिलाने और पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिलाने के लिये निरन्तर प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

4. अब मैं बजट को लेता हूं। सबसे पहले मैं संक्षेप में यह बताऊंगा कि चालू वर्ष के बजट सम्बन्धी क्रियाकलापों का सम्भाव्य परिणाम क्या होगा। अब अनुमान है कि इस वर्ष राजस्व-प्राप्तियाँ 201.11 करोड़ रुपये होंगी जबकि बजट अनुमान 204.99 करोड़ रुपये का था। इस कमी का मुख्य कारण, आर्थिक गति विधियों की शिथिलता के कारण बिक्री कर के अंतर्गत कम रकम प्राप्त होना है। अनुमान है कि राजस्व से किया जाने वाला व्यय 211.40 करोड़ रुपया होगा जबकि बजट अनुमान 223.19 करोड़ रुपये का था। 11.79 करोड़ रुपये की यह कमी और पूंजी गत व्यय की व्यवस्था में 4.92 करोड़ रुपये की ऐसी ही कमी मुख्य रूप से उन कटौतियों का परिणाम है जो खास तौर से आयोजना-व्यय में इसलिये करनी पड़ी कि 36.41 करोड़ रुपये के उस नये घाटे को कम किया जा सके जिसे जून 1967 में राज्य विधान-मण्डल में पेश किये गये बजट में बिना पूरा किये ही छोड़ दिया गया था। राज्य का इस वर्ष का आयोजना-परिव्यय अब 55.81 करोड़ रुपया आँका गया है जबकि पिछले जून में पेश किये गये बजट में इसके बावजूद 69.94 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी थी कि योजना आयोग ने इस काम के लिये केवल 60.87 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। साथ ही बजट अनुमान की तुलना में सहायता-सम्बन्धी व्यय में चार करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि और अन्न के लेनदेनों के व्यय में तीन करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। इन परिवर्तनों और दूसरे परिवर्तनों का यह परिणाम हुआ कि चालू वर्ष के बजट सम्बन्धी क्रियाकलाप से, जैसाकि संशोधित अनुमानों से पता चलता है, कुल मिला कर 25.21 करोड़ रुपये का घाटा होगा जबकि बजट बनाते समय 36.41 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था। लेकिन चूंकि चालू वर्ष के शुरू में राज्य सरकार के पास काफी रोकड़ बाकी थी, इसलिये आशा है कि वर्ष समाप्त होने तक राज्य सरकार रिजर्व बैंक से जमा से बहुत अधिक रकम नहीं निकालेगी।

5. अगले वर्ष राजस्व से 214.29 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया है जबकि इस वर्ष 201.11 करोड़ रुपये की प्राप्ति आँकी गयी थी। 13.18 करोड़ रुपये की वृद्धि कई शीर्षकों में बटी हुई है, लेकिन यह वृद्धि मुख्य रुप से अर्थ व्यवथा में प्रत्याशित सुधार होने के परिणाम-स्वरूप बिक्री-कर के अन्तर्गत अनुमानयां अधिक प्राप्तियां होने और राज्य उत्पादन-शुल्कों से अधिक प्राप्तियाँ होने और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्य का हिस्सा अधिक होने का परिणाम है। राजस्व

से किये जाने वाले व्यय के लिए 215.47 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि इस वर्ष 211.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। 4.07 करोड़ रुपये की यह वृद्धि, मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य सेवाओं और कुछ अन्य क्षेत्रों के विकास-सम्बन्धी व्यय के लिये अधिक रकम की व्यवस्था करने का परिणाम है, जो सहायता कार्यों के खर्च के लिये कम रकम की व्यवस्था करने के कारण अंशतः प्रति सन्तुलित हो जायेगी। अगले वर्ष सहायता सम्बन्धी खर्च के लिये 3.75 करोड़ रुपया रखा गया है जो चालू वर्ष में इस काम के लिये रखी गयी रकम से 5 करोड़ रुपया कम है। इस प्रकार राजस्व खाते में 1.18 करोड़ रुपये का घाटा होगा जबकि चालू वर्ष का घाटा 10.29 करोड़ों रुपये है।

6. पूंजी खाते में बाजार ऋणों से 10 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान किया गया है, वापसियों को हिसाब में लेने के बाद इसका अर्थ यह होगा कि वास्तव में लगभग 3 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होगा जबकि इस वर्ष एक करोड़ रुपये से कम का ऋण प्राप्त हुआ था। ऋणों के रूप में केन्द्र से इस वर्ष मिलने वाली कुल 46.47 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में अगले वर्ष 54.05 करोड़ रुपया मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगले वर्ष के पूंजीगत व्यय के लिये 27.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि चालू वर्ष में 34.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, यह कमी मुख्यतः अन्न की खरीद पर वास्तव में कम खर्च होने के कारण हुई है। अगले वर्ष इस काम के लिये 43 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी हैं, जबकि इस वर्ष 8.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कुल मिलाकर अगले वर्ष पूंजी खाते में वास्तव में 1.32 करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा जिससे राजस्व खाते का 1.18 करोड़ रुपये का घाटा न केवल पूरा हो जायेगा बल्कि कुछ रकम बची रहेगी।

7. चालू वर्ष के अनुमानों में राज्य की आयोजना के लिये 55.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें केन्द्रीय सहायता की रकम 34 करोड़ रुपये है। इसकी तुलना में अगले वर्ष के बजट में राज्य की आयोजना के लिये 53.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें केन्द्रीय सहायता की रकम 46.10 करोड़ रुपये हैं। राज्य की आयोजना में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनमें कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये 14.42 करोड़ रुपया की व्यवस्था का, जिसमें छोटे सिंचाई-कार्यों के लिये 6.21 करोड़ रुपये की रकम शामिल है; और बड़े और दरमियाने सिंचाई कार्यों के लिये 2.63 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिये 7.25 करोड़ रुपये, राज्य बिजली बोर्ड के लिये 6.52 करोड़ रुपये और बृहत्तर कलकत्ता विकास योजनाओं के लिये 3.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा, इस वर्ष के 6.41 करोड़ रुपये की तुलना में, अगले वर्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर 8.30 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। इस प्रकार, अधिक केन्द्रीय सहायता के बावजूद अगले वर्ष आयोजना-सम्बन्धी व्यय लगभग उतना ही होगा जितना इस वर्ष के संशोधित अनुमान में दिखाया गया है, लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि चालू वर्ष के शुरू में राज्य सरकार के पास काफी रोकड़ बाकी थी जिसे वह आयोजना के लिये खर्च कर सकी, लेकिन अगले वर्ष ऐसा नहीं होगा। अगले वर्ष आयोजना के लिये व्यवस्था वर्तमान उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए ही की गयी है, लेकिन आयोजना सम्बन्धी खर्च को बढ़ाने के सवाल पर, आवश्यकता होने पर, निःसन्देह विचार किया जायगा यदि यह समझा गया कि अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये वर्ष में और अधिक साधन जुटाये जा सकते हैं।

श्री ही० ना० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : मेरा विचार है कि पश्चिम बंगाल के अनुपूरक अथवा समूचे वर्ष के बजट पर चर्चा करने से पूर्व वहां पर लागू की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा का सभा द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur): The same procedure should be followed in regard to U.P.

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर पहले विचार किया जाना चाहिए। मध्याह्न पश्चात् कार्य सलाहकार समिति की बैठक में समय नियत करने के बारे में चर्चा करेंगे।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : भाषण की प्रतियों को सदस्यों में बांटा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इनको बांटा जायेगा।

सामान्य बजट-सामान्य चर्चा--जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION-Contd.

श्री राणे (कुलडाना) : नर्मदा परियोजना को अखिल भारतीय परियोजना समझा जाना चाहिए। इस संबध में खोसला प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का यह उचित समय है। नर्मदा नदी के जल से मध्यप्रदेश तथा गुजरात में सिंचाई हो सकेगी।

जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के लिए क्षेत्रीय प्रतिबन्ध जिम्मेदार है। इन प्रतिबन्धों को न तो फालतू अनाज वाले राज्य ही चाहते हैं और नहीं कमी वाले राज्य। अतः इन क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को यथासम्भव शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। मूल्य वृद्धि का दूसरा कारण यह है कि समूचे विश्व में मूल्यों में वृद्धि हुई है उसका प्रभाव यहां भी पड़ा है। इटली को यूरोप में एक सस्ता देश समझा जाता था परन्तु अब वहां पर भी मंहगाई बहुत बढ़ गई है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सभी राज्यों में समान वितरण किया जाना चाहिए। राज्यों को उन्हें प्रत्येक जिले में वितरित करने के लिये कहा जाना चाहिए।

जबतक वर्षा न हो नर्मदा जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं अधिक लाभदायक सिद्ध नही होती अतः वर्षा नियमित रूप से हो इसके लिए यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक राज्य की 30 प्रतिशत भूमि पर वन, फलों के पेड़ आदि लगाये जाने चाहिएं। दूसरे हमें विस्तृत खेती करनी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु रेलवे लाइनों के साथ बेकार पड़ी भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। गुजरात खार कही जानी भूमि पर पेड़ आदि लगाये जा सकते हैं।

गुजरात राज्य की सभी पत्तनों का विशेष कर भड़ोंच का विकास किया जाना चाहिए भड़ोंच न केवल भारत में बल्कि एशिया में सब से पुरानी बन्दरगाह है।

खेती के बारे में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सर्वोत्तम खाद है। मलमूत्र आदि का भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

जहां तक जनता कारों का प्रश्न है इन के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक जीप भी 18000 रुपये से कम में उपलब्ध नहीं है।

भाषा के मामले को हमें अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि देश को पांच जोनों में बांट दिया जाना चाहिए इस प्रकार भाषा की समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमें राष्ट्रीय एकीकरण की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए।

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Deputy Speaker *to the Chair*}

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : कल डा० राव ने कहा था कि वह समाजवादी हैं तथा वह समाजवाद लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान बजट में गरीबों पर अधिक कर लगाये गये हैं जबकि पूंजीपतियों को करों में रियायतें दी गई हैं। कल यह भी कहा गया था कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था से अनाज के मूल्य ऊंचे रहेंगे जिस के फलस्वरूप किसानों को लाभ होगा। परन्तु योजना आयोग का कहना है कि किसानों को पर्याप्त होती है और उनपर कर लगाया जाना चाहिए। खाद्यान्नों के बारे में सरकार की न ति क्या है इसका कुछ पता नहीं चल सका। यह भी कहा गया है कि हम शीघ्र कृषि उत्पाद का निर्यात करने यो य हो जायेंगे। ऐसा वचन दूसरी पंच वर्षीय योजना के समय प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा भी दिया गया था। परन्तु हम देख रहे हैं कि देश को अधिक से अधिक अनाज का आयात करना पड़ रहा है।

सरकार आर्थिक संकट की जिम्मेदारी सूखे तथा युद्ध पर डाल रही है। परन्तु मेरे विचार में इस का सबसे बड़ा कारण मुद्रास्फीति है। लागत के बढ़ने के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ी है।

हमारी औद्योगिक नीति भी त्रुटिपूर्ण है। हमने जो बड़े बड़े संयंत्र लगाये हैं इनका भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तीन इस्पात संयंत्र लगाये गये हैं जिनकी 50 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी रहती है। इसके फलस्वरूप करोड़ों रुपयों की हानि हुई है। इसके बावजूद भी बोकारो में एक अन्य इस्पात संयंत्र लगाया जा रहा है जिसपर पहले वाले संयंत्रों से अधिक लागत आयेगी। दूसरे जैसा कि हजारी प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्राथमिकताओं की उपेक्षा की गई है। आयोजित अर्थव्यवस्था में न केवल सरकारी अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र में भी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना आवश्यक होता है। सरकार की लाइसेंस प्रणाली भी त्रुटिपूर्ण है। सरकार अपनी गलतियों को भी समय पर सुधारने में असफल रही है। सरकार उद्योग तथा व्यापार में कोई समन्वय नहीं है। केन्द्र तथा राज्यों का गैर-उत्पादनकारी व्यय भी बढ़ रहा है। भवनों पर गैर-सरकारी पूंजी का अधिकांश भाग लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यन्ह भोजन के पश्चात् दो बजे पुन: समवेत हुई :

She Lok Sabha re-assembled after Lunch at Forteen of the clock

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*}

श्री जी० भा० कृपलानी : मैंने वर्तमान आर्थिक संकट के कारणों का वर्णन किया है। यह सब कारण मानवीय हैं और इनके लिए सरकार की पिछले पन्द्रह वर्ष की गलत नीति जिम्मेदार है। इस बजट में त्रुटियों को दूर करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

बजट में यह प्रथम बार स्वीकार किया गया है कि अर्थव्यवस्था तथा उद्योग के विकास का आधार कृषि है। अमरीका में 9 अथवा 10 प्रतिशत आबादी ही कृषि में लगी हुई है परन्तु वह समूचे देश तथा कई अन्य देशों को खाद्यान्न सप्लाई करती है। हमें अब यह बताया गया है कि अनाज का

फालतू भण्डार बनाने के लिये विदेशों से 60 अथवा 70 लाख टन अनाज का आयात किया जायेगा। परन्तु मेरे विचार में फालतू अनाज का भण्डार बनाने के लिए हमारे पास उचित व्यवस्था नहीं है। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। यह भी कहा गया है कि वर्तमान बजट से हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा। परन्तु मेरे विचार में यदि कोई परिवर्तन हुआ भी तो वह बहुत मामूली होगा। स्वीडन के डा० मिरडल ने, जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, कहा है कि भारत की आर्थिक क्रांति का स्थगन अब स्थायी हो गया है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत में औद्योगिक क्रांति को पश्चिमी देशों की औद्योगिक क्रांति की तरह नहीं आनी चाहिए। हमारी औद्योगिक क्रान्ति कार्य प्रधान होनी चाहिए। उन्होंने आगे चलकर कहा है कि प्रशासन और उद्योग में अदक्षता है। दूसरे हमारी संस्थाओं में कट्टरता तथा असमानता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया है आर्थिक तथा सामाजिक संबंधों में पहले से भी अधिक असमानता है।

इन सभी बातों के कारण देश में समाज के सभी वर्गों में बेरोजगारी तथा असंतोष फैल गया है। इसके फलस्वरूप देश में हिंसात्मक दंगे भी हुए हैं। विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। इससे हमारी नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ा है। राजनीतिज्ञ भी अपने व्यवहार की परवाह नहीं कर रहे हैं। इस बारे में पंजाब तथा बंगाल का उदाहरण दिया जा सकता है।

गत बीस वर्षों से हमारी अर्थ व्यवस्था का प्रबन्ध करने वालों ने जो गलतियां की हैं उनको ठीक नहीं किया जाता, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार सम्भव नहीं है।

Shri Sheo Narain (Basti): I welcome the budget. Perhaps it is the best which could be brought forward by any Finance Minister in the prevailing circumstances. It has been criticised as a deficit budget. The deficit is only to the tune of 62 crores and not 290 crores. Actually 150 crores of rupees have been earmarked for making the buffer stock of foodgrains and another 78 crores of rupees are meant for states as advance.

So far as our national income is concerned it has increased from 8900 million rupees to 10200 million after the achievement of independence. But it is also a fact that 40 per cent of the national income has gone to only 250 families in one country. I would request the Government to prevent accumulation of wealth in the hands of few.

During the last two years we have imported foodgrains worth 200 crores of rupees. Now it is proposed to import seven million tons of foodgrains. I would request the Government to stop the import of foodgrains even if it may cost us some hardships.

The country can become-selfsufficient in foodgrains if necessary help is provided to the farmers. Government should pay more attention for providing the irrigation facilities to the farmers. Land should be distributed amongst the landless farmers. They are the exploited lot.

Constitutional provisions in regard to the upliftment of Harijans and Adivassi have not been implemented properly. It is the duty of the Government to uplift these exploited sections of the Society.

I would request the Government to implement the recommendations of the Patel Commission made in regard to the eastern Uttar Pradesh. Some work on the lines enunciated in the recommendations were started but that has been left since long.

Partial decontrol of the sugar has benefitted the farmer. They are now getting fair price for their sugarcane. I warn the people that shortage of sugar will continue next year also.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागपुर): वित्त मंत्री ने पिछले दस वर्षों में पहली बार साहस से काम लिया है और कुछ सीमित परिवर्तनों का सूत्रपात किया है परन्तु वह पर्याप्त परिवर्तन नहीं है। इस समय हम आर्थिक संकट में फंसे हैं। हमारी योजनाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं। चौथी योजना को स्थगित कर दिया गया है।

हम अपने माल को विदेशों में बेचने में असफल रहे हैं। देश में फैली बेकारी की भी चर्चा की गई है जिससे हम सब लोग सहमत हैं। अब तक हमने अर्थ व्यवस्था के कुछ तरीके अपनाये हैं जिनके खतरनाक नतीजे निकले हैं। अब हमें अधिक साहस से काम लेना चाहिये और अफ्रीका में आइवरी कोस्ट, फिलपाइन्स, न्यूजीलैण्ड, मैक्सिको और जापान जैसे छोटे छोटे देशों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिये। इन देशों के सिद्धांतों पर चलने से हम देश में ज्यादा तेजी से आर्थिक प्रगति कर सकते हैं।

अभी देश संकट से बाहर नहीं निकला है। शोधन संतुलन की स्थिति अभी जारी है और कृषि और औद्योगिक विकास में असंतुलन है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण हमारी समस्या और कठिन हो गई है। इसको रोकने के लिये शायद ही कोई उचित कदम उठाये गये हों। हमें यह देखना है कि क्या इस बजट से पुन: अच्छा वातावरण पैदा हो जायेगा और क्या पूंजी बाजार को आवश्यक राहत मिलेगी। वित्त मंत्री को इस संबंध में अधिक साहसी और वास्तविक होना चाहिए। क्या इसके परिणामस्वरूप हमारी उत्पादन लागत में कमी होगी और हमारा निर्यात बढ़ेगा ?

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय की कमी है। उप-प्रधान मंत्री जो प्रशासन सुधार आयोग के दो वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे हैं सरकार के प्रशासन व्यय और उपभोक्ता व्यय में कमी करने में असफल रहे हैं। 1964-65 में हमारा असैनिक व्यय 107 करोड़ रुपया था जो अब बढ़कर 186 करोड़ रुपये हो गया है। हमारा रुपया बहुत बड़ी मात्रा में फिजूल खर्च हो रहा है। हमारा देश इतना अधिक खर्च सहन नहीं कर सकता।

कुछ समय के लिये सरकारी क्षेत्र में नये रोजगार के अवसर समाप्त किये जाने चाहियें। आधुनिक प्रबन्ध शैलियों को अपनाने से हम अपने रक्षा व्यय में कमी करने में समर्थ हो सकते हैं और इसके परिणाम हमारी सशस्त्र सेनाओं की कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र जनता विरोधी क्षेत्र हो गए हैं। वह वित्त और राजस्व का इकतरफा निराधार मार्ग बन गया है। इन व्यापारिक उद्योगों पर उचित दर से लाभ प्राप्त करने का देश को अधिकार है। हमें ऐसी सीमा निर्धारित करनी होगी जिसके अधीन सरकारी क्षेत्र में 2,900 करोड़ रुपये से अधिक का वर्तमान निवेश तब तक के लिये बन्द कर दिया जाये। जब तक इन सभी उपक्रमों से लाभ प्राप्त होना न आरम्भ हो जाये। सामान्य 5 प्रतिशत सुधार से केन्द्रीय राजस्व में 125 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और मुद्रा स्फीति तथा घाटे की अर्थ व्यवस्था की आधी समस्या दूर हो जायेगी। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सरकार को एक ही परियोजना पर 11.0 करोड़ रुपये की बड़ी राशि नहीं लगानी चाहिये। ऐसी बड़ी योजनाओं से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। दूसरे इस परियोजना पर जब इतना धन लग जायेगा तो अन्य छोटे उद्योग पूंजी तथा कच्चे माल आदि से वंचित रह जायेंगे। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है परन्तु अधिष्ठापित क्षमता का कुशल तथा ठीक उपयोग करने की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ऐसा प्रयास नहीं किया जाता है, जिससे उपलब्ध औद्योगिक क्षमता का पूर्ण रूप से सदुपयोग हो और उससे लाभ हो। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिये कि या तो हमारे

देश में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को अपनाना होगा और उनसे ही काम चलाना होगा या फिर हमें विश्व मंडी में मुकाबले के लिये तैयार होना होगा। इसी सन्दर्भ में मैं अप्रयुक्त क्षमता के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय के अभाव के कारण अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अलुमिनियम की वस्तुओं या केबिलों के आयात को किस आधार पर उचित ठहराया जाता है जबकि अलुमिनियम या केबिल उद्योग की क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहती है। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसा प्रयास किया जाये जिससे उपलब्ध औद्योगिक क्षमता का पूर्ण रूप से सदुपयोग हो।

वनस्पति उद्योग से नियंत्रण उठा लिया जाना चाहिये क्योंकि मूंगफली का तेल अब सस्ता होता जा रहा है। कागज उद्योग से भी नियंत्रण उठाया जाना चाहिये। कपड़ा उद्योग पर जो भारी उत्पादन शुल्क लगा हुआ है उसे कम किया जाना चाहिये क्योंकि इसके कारण रुई और धागे का उत्पादन और सूती कपड़े का निर्यात घटता जा रहा है। निगमित कम्पनियों पर लगाये जाने वाले कर की दर 55 तथा 60 प्रतिशत से घटाकर 50 तथा 60 प्रतिशत की जानी चाहिये। व्यक्तिगत आयकर से 10 प्रतिशत का अधिभार हटाया जाना चाहिये। मूल्यवृद्धि को देखते हुए आयकर की निम्नतम सीमा 4000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दी जाये। मैं स्वागत करता हूं कि अर्जित तथा अनर्जित आय में अन्तर कम कर दिया गया है। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों पर लगे कर में जो अन्तर है उसे समाप्त किया जाना चाहिये। अन्त में मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने सभा में राजस्थान नहर परि-योजना को अपने हाथ में ले लेने का आश्वासन दिया था। वह पूरा किया जाना चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जब देश में संसाधन क्षमता कम हो जाये और संसाधन आशानुकल न हों, तो ऐसी स्थिति में बजट पेश करना बहुत कठिन होता है। वित्त मंत्री के सामने एक बड़ा अन्तर था जिसे कर लगाकर या मुद्रास्फीति बढ़ाकर पूरा किया जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री के सामने केवल एक विकल्प था और वह था घाटे की अर्थ व्यवस्था का सहारा लेना। उप-प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि उसने घाटे का बजट पेश करके सभा को धोखा दिया है। यह ठीक है कि उन्होंने यह कहा था कि वह घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा नहीं लेंगे। परन्तु अर्थ-व्यवस्था गतिशील होती है, स्थिर नहीं। अर्थ-व्यवस्था एक वातावरण जो कुछ विशेष परिस्थितियों में बन जाता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करनी होती है। उप-प्रधान मंत्री जी ने विद्यमान परिस्थितियों में घाटे का बजट बनाकर उचित काम किया है। अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता आ जाने के कारण ही घाटे की अर्थ-व्यवस्था अपनानी पड़ी है।

औद्योगिक क्षेत्र में आज जो मंदी आई है उसके लिये केवल सरकार को ही नहीं बल्कि उद्योग-पतियों को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। क्या वे पिछले 50 वर्ष से सोते हुए चले आ रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में भारी असंतुलन पैदा हो गया था। औद्योगिक क्षमता 151 प्रतिशत बढ़ गई थी और वह भी दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर। हमने नियोजित अर्थ-व्यवस्था अपनाई है जिसमें सब क्षेत्र परस्पर सम्बद्ध होते हैं। यदि यह परस्पर सम्बद्धता टूट जाती है तो असंतुलन पैदा हो जाता है। कृषि उत्पादन जितना होना चाहियें था, उतना नहीं हुआ। बिजली और परिवहन की व्यवस्था के लक्ष्य पूरे नहीं हुए। परिणामतः औद्योगिक क्षमता बढ़ी और कृषक समुदाय की क्रय क्षमता घटती गई। दूसरी समस्या जो आज हमारे सामने है, वह है अर्जित

क्षमता का पूर्ण उपयोग न किया जाना। क्षमता तो बढ़ायी जाती रही परन्तु वे परिस्थितियां पैदा नहीं की गई जिनमें क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 9 करोड़ 50 लाख टन अनाज के उत्पादन का अनुमान है। यदि यह मान भी लिया जाये, तो यह भी याद रखना होगा कि 40 लाख नये लोगों को भी भोजन देना होगा। मैं अनुभव करती हूं कि कृषि को एक नया रूप देने के लिये पुनर्विचार की आवश्यकता है। कृषि के विकास का संकटकालीन कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। आज किसान को राज सहायता की आवश्यकता नहीं है उसे उर्वरक, उपकरण तथा सिंचाई-साधनों की आवश्यकता है, जिनके आधार पर वह कृषि उत्पादन बढ़ा सके। मेरा यह सुझाव भी तर्क संगत है कि अनाज के भंडारण के लिये भंडार गृह बनाये जाने चाहियें। मुझे प्रसन्नता है कि उप प्रधान मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने का वचन दिया है। विदेशी सहायता के बारे में मेरा यह सुझाव है कि हमें पूर्णतः विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। हां, उसका सहारा अवश्य लिया जा सकता है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान): भारत आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जबकि हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि हमारे देश में आर्थिक विकास का कौनसा तरीका अपनाना उपयुक्त होगा। हमारे सामने दो विकल्प हैं। या तो देश को पूंजी पतियों, बड़े व्यापारियों या एकाधिकार पतियों को सौंप दिया जाये या साहसिक निर्णय लेकर उनका आधिपत्य समाप्त कर दिया जाये, जिससे देश का राजनैतिक और आर्थिक जीवन उनके नियंत्रण से मुक्त हो जाये।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत जैसे देश के लिये यह शोभा नहीं देता कि वह भिखारियों की भांति अनाज मांग कर गुजारा करे। अतः मैं इस पक्ष में हूं कि पी० एल० 480 के अधीन भारत में अनाज का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिये। साथ ही मेरा यह सुझाव है कि अच्छी फसल को देखते हुए अनाज वसूली के कार्य-क्रम को तेजी से चलाया जाये और कम से कम 1 करोड़ टन अनाज एकत्र किया जाये।

मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री महोदय बैंकों पर धीरे-धीरे नियंत्रण लगाने के पक्ष में हैं। इससे एकाधिकार की जड़ें कमज़ोर होंगी। एकाधिकार को समाप्त करने के लिये एक और उपाय किया जाना चाहिये और वह है निर्यात और आयात व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयकरण।

वित्त मंत्री की घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण आलोचना की जा रही है। परन्तु आज धन के अभाव की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति के अभाव की आलोचना की जानी चाहिये। इस समय क्षेत्रीय पक्षपात और पृथकता की भावना तथा विघटनकारी प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है। धर्मनिरपेक्षता का जनाजा निकलता जा रहा है। साम्प्रदायिकता का विष फैलता जा रहा है। मेरठ, आसाम में जो साम्प्रदा-यिक दंगे हुए, उनसे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। घाटे की अर्थ व्यवस्था की अपेक्षा राष्ट्रीयहीनता तथा प्रदेशवाद की भावना अधिक घातक हैं और उनको समाप्त किया जाना चाहिये। अतः उप-प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मेरा यह अनुरोध है कि ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे फूट की भावना का विनाश हो और एकता की भावना जागृत हो। जनता की बात क्या आज तो विभिन्न मंत्रालयों में भी समन्वय का अभाव है।

भारत के राज्य क्षेत्र का एक बड़ा भाग कच्छ निर्णय के आधार पर पाकिस्तान को दिया जा रहा है। यह गलत बात है। कच्छ न्यायाधिकरण को सीमा निर्धारण का काम सौंपा

गया था सीमांकन का नहीं। सीमा निर्धारण का काम वकीलों या राजनीतिज्ञों का होता है जबकि सीमांकन का काम इंजिनियरों और सर्वेयरों का होता है।

आज भारत में केन्द्रीय और राज्य सरकारों में एकदलीय शासन नहीं है। कुछ राज्यों में कांग्रेसी सरकारें हैं तो कुछ में गैर-कांग्रेसी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संसाधनों में समन्वय स्थापित किया जाये और उनके सम्बन्धों को मधुर बनाया जाये। मेरा यह सुझाव है कि इसके लिये एक आयोग बैठाया जाये, जो केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों को इस प्रकार से ठीक करे कि उनमें मतभेद की गुंजाइश न रहे। इससे संघीय और राज्य सरकारों के सम्बन्ध सुधरेंगे, देश में विद्यमान अराजकता का वातावरण समाप्त होगा और एकता की प्रवृत्ति तथा प्रगति को बल मिलेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के उद्देश्य से मैं इस वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं। कुछ बातों में सदस्य विशेष रुचि लेते हैं और उनके आधार पर ही सरकार की आलोचना करते हैं। देश में बजट के प्रति प्रतिक्रिया अच्छी ही रही है। फिर भी वित्त मंत्री की कुछ सदस्यों ने घाटे की अर्थ व्यवस्था अपनाने के लिये आलोचना की है। परन्तु विचार इस बात पर करना है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा किन परिस्थितियों में लिया गया।

सरकार की बजट सम्बन्धी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बजट के मुख्य उद्देश्य हैं स्थिरता के वातावरण में आर्थिक विकास करना और सामाजिक न्याय प्रदान करने का काम करना। गत् दो वर्षों में कृषि उत्पादन में कमी ने इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उपस्थित की परन्तु इस वर्ष कृषि उत्पादन में पर्याप्त सुधार होने की आशा है। इससे मूल्यों में स्थिरता आयेगी। अब हमारे सामने जो विकट समस्या है, वह है औद्योगिक उत्पादन कम होने की। अतः हमें ऐसा प्रयास करना है जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़े और परिणामतः निर्यात भी बढ़े। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है।

उप-प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की आलोचना तो कई सदस्यों ने की परन्तु बजट का कोई उचित विकल्प किसी ने भी नहीं सुझाया। घाटे की अर्थ-व्यवस्था की आलोचना करने वाले सदस्यों ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि विकास कार्यों के खर्च में कमी की जाये अथवा अतिरिक्त कर लगाकर घाटा पूरा किया जाये। सरकारी खर्च में कमी करने की बात अक्सर कही जाती है। मैं भी यह मानता हूं कि सरकारी खर्च में कमी की जानी चाहिये। परन्तु साथ ही इस बात को भी याद रखना है कि खर्च में कमी करने की सीमित गुंजाइश है। श्री मसानी ने गैर-विकास खर्च को कम करने की दलील दी परन्तु साथ ही उन्होंने मांग की कि अनाज पर गरीब लोगों को राज सहायता दी जाये। राज सहायता देना गैर-विकास खर्च में आता है। अतः उनके दोनों कथनों में विरोधाभास है। 1967–68 में अनाज पर 106 करोड़ रुपये की राज सहायता दी गई थी। इस प्रकार यदि गैर-विकास खर्च में कमी करनी है तो अनाज पर दी जाने वाली राज सहायता को समाप्त करना ही होगा।

जहां तक विकास और गैर-विकास खर्च में वृद्धि का सवाल है, उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1950—51 की तुलना में 1968–69 में विकास कार्यों पर

बारह गुना से भी अधिक खर्च हुआ जबकि अन्य कार्यों पर होने वाला खर्च 1950–51 की तुलना में 1968–69 में केवल छः गुना बढ़ा है। गैर-विकास खर्च में कटौती की बात भी बार-बार कही जाती है। आंकड़ों के अध्ययन से मालूम होता है कि 1962–63 से 1968—69 तक गैर विकास खर्च में कुल 1172 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस राशि में से 1083 करोड़ रुपये तो प्रतिरक्षा व्यय ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज, अनाज के आयात और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र को दी जाने वाली सहायतानुदानों पर खर्च किया गया तथा शेष 89 करोड़ रुपये की राशि अन्य अनेक कार्यों पर खर्च की गई। मेरे विचार से उपरोक्त मदों पर होने वाले खर्च पर सभा को कोई आपत्ति न होगी क्योंकि प्रतिरक्षा, पुलिस और सुरक्षा पर होने वाला, ऋण के ब्याज के भुगतान पर होने वाला तथा अनाज के बफर स्टाक बनाने पर होने वाला खर्च गैर-विकास खर्च होते हुए भी अनिवार्य है।

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए]
[**Shri G. S. Dhillon** *in the Chair*]

विकास खर्च के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि 1962–63 से विकास कार्यों पर होने वाले खर्च में कुल 339 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसमें से 145 करोड़ रुपये राज्यों को विकास कार्यों के लिये अनुदान के रूप में दिये गये 30 करोड़ रुपये निर्यात प्रोत्साहन पर तथा शेष राशि योजना परिव्यय पर खर्च की गई। क्या कोई भी गम्भीरता-पूर्वक यह सुझाव दे सकता है कि इन खर्चों में कटौती की जाये। प्रशासनिक खर्च में कमी करने का सुझाव भी बार-बार दिया गया है। अब देखना यह है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक खर्च घटा है या बढ़ा है। 1954–55 में प्रशासनिक खर्च 17 प्रतिशत था जो अब घटकर 10.85 प्रतिशत रह गया है और अगले वर्ष वह 10.70 प्रतिशत रह जायेगा। सामान्य प्रशासन पर खर्च में निम्न प्रकार से वृद्धि हुई है। 1965–66 में यह 17 प्रतिशत, 1966–67 में 12 प्रतिशत, 1967–68 में 8 प्रतिशत और 1968–69 के बजट प्रस्ताव में यह 4 प्रतिशत बढ़ा है।

अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में हमने गत दो वर्षों में अत्यन्त कारगर ढंग से कार्य किया है। योजना आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सामान्य प्रशासन पर होने वाले व्यय में 5 प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था की गई है और इस समय इसकी वृद्धि की दर लगभग 4 प्रतिशत है।

इस दिशा में किये गये उपायों का तात्पर्य यह नहीं है कि और कोई उपाय किये ही न जायें। हम इस ओर अधिकतम ध्यान दे रहे हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि घाटे के बजट को पूरा करने तथा संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए व्यय में कटौती की जाये, इसीलिये मैंने जानबूझ कर सभा के सामने तथ्य और आंकड़े रखे। व्यय में कटौती करने की भी कोई सीमा होती है। अतः मैं समझता हूं कि मैंने जो तथ्य और आंकड़े सभा के सामने रखे हैं उससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये होंगे।

माननीय सदस्य श्री मसानी ने कहा था कि योजना आयोग के कर्मचारियों में वृद्धि की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में इस आयोग में कर्मचारियों की संख्या कम की गई है। अगले वर्ष आयोग के 95 कर्मचारी कम हो जायेंगे।

अब मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्य जो आज इन उपक्रमों की आलोचना कर रहे हैं, पहले बार-बार यह कहते थे कि देश की अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से इन पर किये जाने वाले व्यय में कमी नहीं की जानी चाहिए। हाल की मंदी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सरकारी क्षेत्र के तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और उनको मिल कर कार्य करना चाहिए।

वर्ष 1965–66 तक के प्रतिवेदनों पर हम पिछले वर्ष विभिन्न प्रक्रमों में विचार कर चुके हैं। वर्ष 1966–67 का प्रतिवेदन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। वर्ष 1966—67 के अन्त में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 43 अन्य संस्थानों, 12 संवर्धन तथा विकास संस्थानों, 3 वित्तीय संस्थाओं तथा निर्माणाधीन 18 उपक्रमों को मिला कर 77 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम थे। वर्ष 1966–67 के अन्त तक इनमें कुल 2841 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी। ब्याज तथा कर का हिसाब लगाये जाने से पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का मुनाफा 1966–67 में 0.02 करोड़ रुपये था जब कि यह मुनाफा 1965–66 में 20.65 करोड़ रुपये था। देश में आर्थिक मंदी के कारण मनाफे में यह कमी हुई। अन्य 43 संस्थानों में ब्याज और कर का हिसाब लगाये जाने से पहले कुल मनाफा 1965–66 में 31.97 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1966–67 में 37.67 करोड़ रुपया हुआ। ब्याज और कर घटा कर वर्ष 1965–66 में शुद्ध लाभ 7.95 करोड़ रुपये का और 1966–67 में शुद्ध घाटा 1.82 करोड़ रुपये का था।

चालू संस्थानों के शद्ध लाभ–हानि पर विचार करते समय दो–तीन तथ्य सामने आये हैं। एक तो यह कि जिन 30 संस्थानों ने वर्ष 1965–66 में 16 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था उनके वर्ष 1966—67 के लाभ में वृद्धि हुई। दूसरी बात यह कि 23 उपक्रमों के कार्य में वर्ष 1966—67 में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सुधार हुआ। तीसरी बात यह है कि इस वर्ष घाटे का कारण यह है कि तीन संस्थानों ने वर्ष 1966–67 से अपना उत्पादन आरम्भ किया और उन्हें अन्य चालू संस्थानों में शामिल कर लिया गया तथा उनमें 12 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में जानकारी रखने वाले लोग किसी उद्योग में आरम्भ होने वाली कठिनाइयों से परिचित हैं। यदि उपर्युक्त तीन उपक्रमों को शामिल न किया जाये तो अन्य उपक्रमों ने लाभ ही कमाया है।

जहां तक 15 संवर्धन और विकास सम्बन्धी उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, इनमें काफी सुधार हुआ है। इन्हें 10.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है जबकि इससे पहले वष यह राशि 1.3 करोड़ रुपये थी।

बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में कुछ माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि इस समय इस कारखाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय देश में काफी मात्रा में इस्पात उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि बोकारो इस्पात कारखाना 'फ्लैट' उत्पादों के लिये बनाया जा रहा है क्योंकि इन उत्पादों की देश में कमी है। बोकारो इस्पात कारखाने में वर्ष 1970–71 तक 13 लाख टन निर्मित इस्पात वार्षिक तैयार करने की योजना है जबकि इसकी मांग

10 लाख टन से 12 लाख टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है। इस कारखाने के न होने से हमें 'फ्लैट' इस्पात का आयात जारी रखना पड़ेगा जिस पर प्रति वर्ष 90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होती है। जब हम अभी से इस कारखाने का निर्माण आरम्भ करेंगे तभी 1971 तक इसमें उत्पादन होने लगेगा। अतः मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि इस कारखाने की इस समय आवश्यकता नहीं है।

निर्यात के क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों का कार्य पर्याप्त सराहनीय रहा है। वर्ष 1966–67 में 93.87 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का निर्यात किया गया जबकि वर्ष 1965–66 में केवल 48.69 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का निर्यात किया गया था। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्य भी सराहनीय रहा है। इस कारखाने ने वर्ष 1966–67 में 9 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का निर्यात किया जबकि 1965–66 में उसने 2.21 करोड़ के मूल्य का निर्यात किया था। राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम जैसे व्यापार निगमों ने इंजीनियरी सामान जूते रसायन, केले आदि वस्तुएं उन देशों को भेजी जहां ये पहले कहीं नहीं भेज गई थी।

अब मैं करों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने आय पर से कर छूट की सीमा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर देने का सुझाव दिया है। इससे आय कर से होने वाली आय में लगभग 18 करोड़ रुपये की कमी तो होगी ही और इसके साथ-साथ कर का आधार भी संकुचित हो जायेगा जबकि कर का आधार पर्याप्त विस्तृत हो जायगा जो कि हमारे विकास कार्यों तथा संसाधनों के प्रयोजन के हित के प्रतिकूल होगा। अतः मैं समझता हूं कि आय पर कर की छूट की सीमा बढ़ाना किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं है।

चर्चा के दौरान करों के बारे में सभा में दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि उन्नत वर्गों को कर में राहत दी गई है तथा अन्य कुछ सदस्यों के अनुसार कर में दी गई यह राहत पर्याप्त नहीं है।

लाभांश कर को हटा कर तथा अतिकर को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करके निगमित क्षेत्र को पर्याप्त राहत दी गई है। अधिक पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है और ऐसा करते समय सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इससे हमें आशा है कि निगमित क्षेत्र में अधिक धन उपलब्ध हो सकेगा।

कम आय वाले तथा मध्य आय वाले लोगों को पूंजी लगाने के लिए भी राहत दी गई है। इसके अनुसार कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश को पहली 500 रुपये की राशि को कर मुक्त किया गया है। इससे भारतीय कम्पनियों के शेयरों में लोग अधिक पूंजी लगायेंगे और वर्तमान व्यवस्था भी अधिक युक्तिसंगत हो जायेगी।

वैयक्तिक कर के क्षेत्र में अन-अर्जित और अर्जित आय पर पृथक् अधिभार हटाने का उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना है। इससे करों के प्रभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ साथ एक लाख रुपये से अधिक की मूल आय पर आय कर

बढ़ाया जा रहा है तथा 10 लाख रुपये अधिक की राशि पर भी धन कर की दर बढ़ाई जा रही है।

कर-निर्धारण और उसकी वसूली के लिए सरकार प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने की दिशा में अनेक उपाय कर रही है। आयकर सर्किलों में कृत्यशील योजना आरंभ कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत आयकर के निर्धारण, उसकी वसूली तथा प्रशासन का कार्य विभिन्न आयकर अधिकारियों में बांट दिया गया है जबकि यह कार्य पहले एक ही आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता था। इससे कार्य अधिक सुचारु ढंग से हो सकेगा। इस कार्य के लिए अब तक 71 यूनिटों में कार्य आरंभ कर दिया गया है।

कम आय के मामलों को करदाता की सुनवाई के बिना ही निबटाने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं। इससे करदाता आयकर विभाग के साथ सहयोग कर सकेंगे और उनमें पारस्परिक विश्वास कायम हो सकेगा। आयकर के मामलों में शीघ्र निर्णय के लिये पहला कर-निर्धारण को पूरा करने की अवधि को 4 वर्ष से घटा कर 2 वर्ष कर दिया गया है।

भूमि, इमारतों और अन्य सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक विभागीय अनुभाग स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

सरकार करापवचन को रोकने के लिए तरीके निकाल रही है। हम एक इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं कि आय और सम्पत्ति को छिपाने वाले व्यक्तियों न्यूनतम और अधिकतम दंड में वृद्धि की जाये जिससे कि सभी मामलों में छिपाई गई आय या सम्पत्ति को जब्त किया जा सके। इस उपाय को 1 अप्रैल, 1968 से लागू करने का विचार है। कर-अपवंचन के कदाचार को रोकने के लिए एक कदम यह भी उठाया गया है कि कोई भी कम्पनी अपनी किसी सम्बद्ध कम्पनी को निर्धारित सीमा से अधिक का भुगतान नहीं कर सकेगी।

व्यापारिक संस्थानों में अपव्यय को रोकने के लिए मनोरंजन भत्ते या कर्मचारियों के व्यय के हिसाब में दिखाये जाने व्यय में भी कटौती की जा रही है। ऊंचे वेतन पाने वाले अधिकारियों के वेतन पर भी और अधिक प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। यह प्रतिबन्ध अब गैर-निगमित क्षेत्रों के उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है।

उत्पादन शुल्क वाली वस्तुएं बनाने वाले कारखानों पर नियंत्रण रखने के प्रशासनिक भार को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है। इसके लिए निर्माताओं द्वारा स्वयं कर-निर्धारण करने का प्रस्ताव है। इस समय यह योजना 13 वस्तुओं पर लागू है किन्तु इस योजना के अनुसार कार्य करना अथवा न करना निर्माताओं पर छोड़ दिया गया है। किन्तु वर्तमान योजना के अन्तर्गत इन निर्माताओं के लिए इस योजना के अन्तर्गत कार्य करना अनिवार्य होगा। वर्तमान वित्त विधेयक के अनुच्छेद 38(1) में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार करापवंचन के लिए दण्ड को और अधिक कड़ा किया जा रहा है। अस्थायी तौर पर इस योजना को 1 मई, 1968 से लागू करने का निर्णय किया गया है तथा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक संशोधनों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उन्हें शीघ्र लागू किया जायेगा।

चर्चा के दौरान यह कहा गया है कि केन्द्र किसी न किसी तरह राज्यों को दी जाने वाली सहायता बन्द कर रहा है। यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सरकारों

के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है । ये दोनों बातें निराधार हैं । योजनाओं के लिये सहायता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए पहली योजना में 880 करोड़ रुपये, दूसरी योजना में 1058 करोड़ रुपये और तीसरी योजना में 2500 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिये गये, जो राज्यों की योजना का क्रमशः लगभग 61 प्रतिशत, 51 प्रतिशत और 61 प्रतिशत के बराबर है। राज्यों को वर्ष 1966–67 में 59.3 प्रतिशत, 1967–68 में 59.6 प्रतिशत सहायता दी गई थी और 1968–69 में 65.5 प्रतिशत सहायता देने का वचन दिया गया है। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा वर्ष 1961–62 में 178 करोड़ रुपये था जो अगले वर्ष बढ़ कर 438 करोड़ रुपये हो जायेगा। सहायक अनुदान की राशि वर्ष 1961–62 में 452 करोड़ रुपये थी जो बढ़ा कर वर्ष 1968–69 में 856 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार ऋणों और अग्रिम राशियों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह राशि वर्ष 1961–62 में 318 करोड़ रुपये थी जो अगले वर्ष बढ़ कर 431 करोड़ रुपये हो जायेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्र को ऋणों की वापसी की अवधि फिर से निश्चित किये जाने के बारे में कुछ राज्यों के प्रस्तावों का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन ऋणों के भुगतान की राशि को केन्द्र के, अपने व्यय और राज्यों को दी जाने वाली सहायता के लिये आवश्यक साधनों को निश्चित करते समय हिसाब में मिला लिया गया था। इसलिये अपनी योजना में धन लगाने की केन्द्र की क्षमता को कम करने के लिए जो कार्यवाही की जायेगी उससे केन्द्र की राज्यों को सहायता देने की क्षमता भी कम हो जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि बिहार जैसे कमी वाले राज्यों को केन्द्र ने उदारतापूर्वक सहायता दी है। केन्द्र ने कमी वाले राज्यों को 80 करोड़ रुपये की सहायता दी है।

अंत में केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय आय की वार्षिक दर केवल 4.2 प्रतिशत है जो सन्तोषजनक नहीं है। अगले वर्ष आरम्भ होने वाली चौथी योजना में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए हमें पर्याप्त प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमें पर्याप्त सहयोग और प्रयत्नों की आवश्यकता होगी।

श्री जनार्दनन (त्रिचूर) : सरकार एक ओर तो समाजवादी समाज की व्यवस्था की बात करती है और दूसरी ओर सरकार ने देश की अर्थ व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दी है। देश के स्वतन्त्र होने के समय भारत की जनता देश में चतुर्दिक विकास चाहती थी। इस लिए उसने देश के विकास के लिए दीर्घकालीन आर्थिक योजना की मांग की। कांग्रेस सरकार ने जनता की इस मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और पंच-वर्षीय योजनाएं तैयार होने लगीं। किन्तु कांग्रेस ने ये योजनाएं पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रख कर बनाईं। अब इन योजनाओं को स्थगित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। खाद्यान्नों की कमी दूर करने तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये जब सरकार से थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की मांग की गई तो उसने एक खाद्य निगम स्थापित कर दिया। किन्तु अब यह कहा जा रहा है कि इस निगम को कहीं भी कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। नीति सम्बन्धी मतभेद के कारण अभी हाल में इस निगम के प्रधान द्वारा त्यागपत्र दिये जाने का समाचार था।

जनता ने एकाधिकार को रोकने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। सत्तारूढ़ दल ने भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का नारा लगाया किन्तु इसके साथ-साथ अब सामाजिक

नियंत्रण का एक दूसरा नारा लगाया जा रहा है। इससे बैंकों पर तो किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा किन्तु बैंक कर्मचारियों के अधिकार कम हो जायेंगे और वे अपनी आवाज नहीं उठा पायेंगे। सरकार पिछले कई वर्षों से इस प्रकार छलकपट से काम कर रही है। किन्तु अब लोग इस धोखे में नहीं आयेंगे ।

अब मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में कुछ कहूंगा यह सच है कि राज्य केन्द्र से अधिक सहायता की मांग कर रहे हैं तथा रिजर्व बैंक से अधिक धन ले रहे हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार को राज्यों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यदि सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति का ध्यान किया होता तो वह इस प्रकार दृष्टिकोण कभी नहीं अपनाती। अधिक आय वाले संसाधन केन्द्र के पास हैं जब कि आर्थिक और सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, वित्त आयोग ने राज्यों को नियत किये जाने वाले राजस्व में से एक निश्चित प्रतिशत की सिफारिश की थी किन्तु सरकार ने तीसरे और चौथे वित्त आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार किया ही नहीं और वित्त आयोग के अधिकार कम कर दिये गये। इस प्रकार राज्य केन्द्र की दया के आश्रित हो गये। केन्द्रीय सरकार ने यह सब कुछ अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये किया।

केरल के बजट में इस वर्ष 18 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्नों के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता में कटौती कर दी है। यदि सरकार ने अपनी इस नीति को नहीं बदला तो इसका प्रभाव उस राज्य के विकास कार्यों पर पड़ेगा क्योंकि केरल सरकार चावल के बढ़े हुए मूल्य का भार स्वयं वहन कर रही है जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी और इस प्रकार विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण ही मूल्यों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर ही पड़ता है अपितु राज्यों के कर्मचारियों पर भी पड़ता है। राज्य सरकारों के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं किन्तु राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें केन्द्र से सहायता नहीं दी जाती है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जिनमें सरकार राज्यों की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं देती है।

आम चुनावों के बाद कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं, किन्तु केन्द्र में कांग्रेस की सरकार होने के कारण गैर-कांग्रसी सरकारों के साथ केन्द्र के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे। राज्य सरकारों और केन्द्र की नीतियों में मतभेद रहता है। केन्द्रीय सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि गैर-कांग्रेसी सरकारें समाप्त की जायें। कई राज्यों में ऐसा किया भी जा चुका है। अब केन्द्र की दृष्टि केरल और मद्रास पर है। यदि यही स्थिति रही तो देश की बर्बादी हो जायेगी। इसके लिये राज्यों और केन्द्र के सम्बन्धों में सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। सरकार को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इन सम्पूर्ण मामलों पर गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करना होगा। इसके लिए राज्यों को आर्थिक और सामाजिक मामलों में अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए।

देश में भाषा नारा, राज्यों के सीमा सम्बन्धी विवाद आदि नहीं होने चाहिए। इसके लिए सरकार को अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा और नीतियां इस प्रकार बनानी होंगी जिससे देश में स्थायित्व स्थापित हो सके।

श्री कमलाकान्त भट्टाचार्य (रानीगंज) : उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का मैं समर्थन करता हूं। इन परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता है। डाकदरों के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों का सामान्यतः समर्थन ही हुआ है। डाकदरों के बारे में स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

बजट की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि उसमें सर्वसाधारण के हितों का कितना ख्याल रखा गया है तथा सर्वसाधारण जनता को उससे कितनी राहत मिलती है। इस मापदण्ड से इस बजट को एक सफल बजट कहा जा सकता है। अतः इस बजट में जो घाटा दिखाया गया है, उसकी पूर्ति के लिये हमें केवल रचनात्मक टिप्पणियां पेश करनी चाहिये। बजट का घाटा तीन प्रकार से पूरा किया जा सकता है। घाटे का पूरा करने का पहला तरीका करों में वृद्धि करना तथा दूसरा खर्च में कमी करना तथा तीसरा उत्पादन में वृद्धि करना है। वर्तमान स्थिति में करों में वृद्धि करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु खर्च में कमी करने तथा उत्पादन मूल्य में वृद्धि किये बिना उत्पादन में वृद्धि करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

वित्त मंत्रालय द्वारा हाल में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष बट्टे खाते में डाली गई आयकर की राशि को दर्शाने वाले कुछ विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। इन विवरणों में जो राशि दिखाई गई है वह बहुत अधिक है।

यदि माननीय वित्त मंत्री उस राशि को वसूल करने का प्रयत्न करें, तो मैं समझता हूं कि बजट का घाटा बहुत हद तक पूरा किया जा सकता है।

आयकर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आयकर विभाग में बुराइयां वर्ष 1951–52 में आरम्भ हुई, जब कि आयकर प्रकटीकरण की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात् सीधे कर जांच समिति का गठन किया गया, परन्तु समिति द्वारा किया गया काम सन्तोषजनक नहीं था। कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में बताया गया था कि किन-किन पार्टियों के नाम में आयकर की कितनी-कितनी राशि बकाया है। जिन जिन व्यक्तियों के नाम बताये गये हैं, वे सब धनी व्यक्ति हैं तथा उनके नाम बहुत बड़ी राशि बकाया है। मैं अनुरोध करता हूं कि उस बकाया राशि को वसूल किया जाना चाहिये।

आयकर के अच्छे कानूनों की अपेक्षा आयकर विभाग के अच्छे प्रशासन की अधिक आवश्यकता है। वर्तमान विधि में संशोधन किये बिना ही जिसका कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सुझाव दिया गया है, वर्तमान अधिनियमों के अन्तर्गत ही काफी अधिक आमदनी हो सकती है। इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने सुझाव दिया है एक जांच की जानी चाहिए कि आयकर की बकाया राशि किस प्रकार वसूल की जाये, पिछले दस वर्षों में कितनी बकाया राशि किस-किस से वसूल करनी है तथा इस बकाया राशि के जमा होने के क्या कारण हैं। कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि 31 मार्च, 1967 के खत्म होने वाले वर्ष को आयकर की बकाया राशि 541.71 करोड़ रुपये थी। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में आयकर की बकाया राशि 300 करोड़ रुपये से अधिक नहीं थी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

इस बात की जांच की जानी चाहिए कि आयकर की बकाया राशि में इतने थोड़े समय में इतनी अधिक वृद्धि किन कारणों से हुई है। आयकर की बकाया राशि की उत्तरोत्तर वृद्धि को जो कुचक्र चल रहा है, हमें उसे समाप्त करने के लिये उचित कार्य करना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ऐसा करने में सफल होंगे।

आय कर का उल्लेख करते हुए, मुझे बिक्री कर की बकाया राशि की भी याद आ गई। कुछ समय पूर्व मुझे दिल्ली में बिक्री कर की बकाया राशि को जानने का अवसर मिला। बिक्री कर की बकाया राशि बढ़ रही है। दिल्ली में ही बिक्री कर की काफी राशि वसूल करनी बकाया है। उन पार्टियों को सभी जानते हैं, जिनसे बिक्री कर की बकाया राशि वसूल करनी है। परन्तु जब बिक्री कर वसूल करने की कोशिश की गई तो ये पार्टियां गायब हो गईं। वित्त मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि होने के नाते मैं वित्त मंत्री का ध्यान फरक्का बांध योजना की अविलम्ब पूर्ति की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की फरक्का बांध योजना पूरी की जानी चाहिये। सिंचाई मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि यह योजना वर्ष 1970 तक पूरी हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि फरक्का बांध योजना निश्चित समय पर पूरी हो जायेगी और धन की कमी के कारण इस योजना को स्थगित नहीं किया जायेगा, क्योंकि यह योजना पश्चिमी बंगाल के लिये ही नहीं, अपितु सारे पूर्वी क्षेत्र के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है। इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

अब मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। यद्यपि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अभी कहा है कि सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध संतोषजनक है, तथापि मैं कहना चाहता हूं कि उनका प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। उनके प्रबन्ध में मुख्य त्रुटि यह है कि उनके प्रशासन के प्रधान पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला होता है और जिनकी उपक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में कोई रुचि नहीं होती। उन लोगों का ध्यान केवल अपना समय पूरा करना होता है, क्योंकि उनका सेवाकाल तो वसे ही पूरा होने वाला होता है और इसलिये उनके जीवन की सफलता उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने पर निर्भर नहीं होती। इस सम्बन्ध में मैं दामोदर घाटी निगम का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। दामोदर घाटी निगम के वर्तमान प्रधान ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी लोक लेखा समिति द्वारा कटु आलोचना की गई थी, क्योंकि जब वह पहले अपने पद पर थे तब उनके कारण सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी थी। इस आलोचना के बाद उन्हें दामोदर घाटी निगम के पद से हटा दिया गया था, तथा केरल में तैनात कर दिया गया था। परन्तु उद्भूत बात यह है कि लोक लेखा समिति द्वारा इतनी कटु आलोचना किये जाने के बाद भी, उन्हें सरकार द्वारा पुनः दामोदर घाटी योजना का प्रधान नियुक्त किया गया है। जब सरकार ऐसे लोगों को इतने ऊंचे पदों पर नियुक्त करती है, तो फिर वह जनता से सरकारी उपक्रमों में विश्वास रखने की आशा कैसे कर सकती है।

इसके पश्चात् मैं लोक लेखा समिति के 20वें प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें प्रतिरक्षा सेवाओं की सभी मांगों को प्रतिरक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय की एक मांग के रूप में प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति की गई है। यद्यपि प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा लोक लेखा समिति को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया गया था, तथापि वे उनके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हुए थे। इन तीनों सेवाओं की मांगों को इकट्ठा दिखाने से मेरे दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इन तीनों सेवाओं को मिलाने का और इन पर कोई केन्द्रीय अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रयास किया गया था। संविधान के अधीन राष्ट्रपति, सेना के सर्वोच्च सेनापति हैं। संविधान द्वारा उन्हें जो अधिकार दिया गया है, उसके समान कोई अधिकारी बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये।

अब मैं उन मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि बजट से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है। स्वतन्त्र दल के एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि हमें पश्चिम की नकल करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वह एक भी उदाहरण ऐसा बता सकते हैं जब ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने वहां की संसद् को बताया हो कि अमुक व्यक्ति की ओर 34 लाख रुपये की करों की राशि बकाया है तथा अमुक व्यक्ति के नाम 40 लाख रुपये की राशि बकाया है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमने पश्चिम की नकल करनी है, तो इस संदर्भ में भी पश्चिम की नकल करनी चाहिये। वास्तव में हमारी सब कठिनाइयों की जड़ प्रशासन और व्यापारी वर्ग की सांठगांठ है। इससे हमारा जनजीवन भ्रष्ट हुआ है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

देश में विघटनकारी शक्तियां जोर पकड़ती जा रही हैं। विघटन को रोकने की ओर भी वित्त मंत्री महोदय का ध्यान गया है। भारत में काश्मीर और आसाम दो बहुत मर्मस्पर्शी स्थान हैं। इन दोनों स्थानों में असैनिक कर्मचारी बहुत सीमित हद तक काम कर रहे हैं। इन दोनों स्थानों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : On a point of order. Sir, I want to draw your attention to Article 370 of the Constitution. There is a separate Constituent Assembly in Jammu and Kashmir. Today a Constitutional amendment Bill put forth by the Government has been negatived by that Assembly and as such the present Government there has been thrown out of power. So the present Government of Jammu and Kashmir is an illegal Government. It is a serious matter and it should be discussed on the floor of the House immediately.

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। संविधान तथा परम्पराओं के अधीन इन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिये, परन्तु इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न निहित नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : Mr. Deputy Speaker, Sir, generally the poor people in the country use post cards, and an increase in the postal rates, particularly the price of post card will hit the poor people. At least the price of post card should not be increased. If any economy has to be effected, its size can be reduced. In regard to the inland letters and envelops, we can have only one of them priced at fifteen paise. This will also help the Postal Department in earning more revenue.

Crores of rupees are being spent on family planning and propaganda to popularise it but it is confined to only Hindus because Christians and Muslims did not practise it on religious grounds. According to them it militates against the scriptures of Islam. Moreover according to the Hindu Code Bill a Hindu can have only one wife. But there is no such restriction on

[राम गोपाल शालवाले]

Muslims. If this is allowed to continue, it will lead to another partition of the country. The Muslim League in its Session recently held in Kerala has demanded the creation of separate Muslim majority district in that State. Therefore, we have to be very cautious in this regard.

The system of education in the country requires a radical change it requires to be reorganised because the type of education we are giving led to the growth of unemployment in the country. Today the number of educated unemployed youths in the country is about seventy thousand and by force of circumstances they are indulging in crimes and resorting to thefts, decoity and other anti-social activities. We should adopt the Japanese system of education in which emphasis is laid on vocational training.

It is to be regretted that cow slaughter has not yet been completely banned in the country even after twenty years of independence despite a pressing public demand for it. Last year when there was an agitation for cow protection, a committee had been appointed to go into this matter and submit their report within three months. But several months have passed and that report has not yet come out. Government should immediately impose a ban on cow slaughter in the country keeping in view the public demand for it.

Much of the deficit in the budget can be made up if all the Government officers decide not to take more than Rs. 1500 per month as salary.

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तुत आय-व्ययक सबसे अच्छा है। हमारे लिये यह महसूस करना जरूरी है कि हम बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं हमारे सामने कई गम्भीर समस्यायें हैं।

हमारा निर्यात आयात से कम है और आयात के मूल्य का केवल 60 प्रतिशत है जो निर्यात-मूल्य से पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऋण आदि पर ब्याज के भुगतान के लिये हमें और 25 प्रतिशत धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति में ऐसा साधारण बजट पेश करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था।

देश में विशेषत: चौथे आम चुनावों के बाद राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो गई है जो राज्य सरकारों के असन्तोषजनक कार्यों के कारण उत्पन्न हुई है। देश में आज के हालात वास्तव में शोचनीय हैं कि उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि तथा वित्तीय स्थिति जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में किसी को चिन्ता नहीं है बल्कि हर किसी को ऐसी बातों की चिन्ता है जिनका आधुनिक विज्ञान तथा आधुनिक विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रस्तुत आय-व्ययक का उद्देश्य औद्योगिक पुनर्निर्माण है। औद्योगिक क्षेत्र में आई मन्दी का मुकाबला करने के लिये मंत्री महोदय ने अतिरिक्त लाभांश कर को समाप्त करके, कम्पनी लाभ पर अतिकर 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करके और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कुछ विशेष प्रोत्साहन देकर सराहनीय काम किया है। यह राहत देकर जिस सुधार की आशा की जाती थी, वह आज शेयर बाजार में दिखाई पड़ती है।

किन्तु प्रस्तुत बजट मुख्यत: गैर-योजना प्रधान है। पिछले दस वर्षों से सरकारी क्षेत्र में सरकारी खर्च निरन्तर घटता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र में भी मन्दी आई है और इससे औद्योगिक गतिविधि को गहरा धक्का पहुंचा है। इस वर्ष कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत

और राष्ट्रीय आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष घाटे की अर्थ-व्यवस्था 300 करोड़ तक की है और अगले वर्ष 290 करोड़ रुपये। ऐसी परिस्थिति में यह समझ में नहीं आता कि योजना का कार्य कैसे स्थगित किया जा सकता है। यदि उसे स्थगित किया जाता है तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए उसके परिणाम घातक होंगे।

मैं नहीं समझता कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था स्वतः बुरी है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था से यह जरूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति होगी। यदि सरकारी खर्च से माल और सेवाओं की सप्लाई उनकी मांग से अधिक हो, तो निश्चय ही मुद्रास्फीति नहीं होगी। लेकिन वित्त मंत्री के वक्तव्य से मालूम होता है कि औद्योगिक उत्पादन में केवल 5 से 6 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी जिससे परिचलन में डाली गई अतिरिक्त मुद्रा नहीं खप पायेगी अतः मुद्रास्फीति का दबाव अवश्य ही बढ़ेगा। इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां जो पहले से ही देश में विद्यमान हैं, योजना में तदनुपाती प्रयत्न के बिना रुक नहीं सकेंगी।

देश में आज हम जो गड़बड़ी देखते हैं वह अधिकांशतः योजना और आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रादेशिक सन्तुलन न होने के कारण है। उदाहरणार्थ, आसाम राज्य बिजली क्षमता, विशेषतः पन बिजली के मामले में बहुत समृद्ध है लेकिन वह केवल 140 मैगावाट बिजली पैदा कर सका है जो सम्पूर्ण भारत की बिजली का 1.4 प्रतिशत है। इसलिये वित्त मंत्री को ऐसे क्षेत्रों के पिछड़ेपन की ओर ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा वहां बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है जिसका प्रयोग कागज तैयार करने में किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्यवश हम आज तक सरकारी क्षेत्र में कागज का एक कारखाना नहीं लगा सके। प्रत्येक क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं और आसाम ऐसा क्षेत्र है जहां सरकारी उद्योगों से काफी लाभ हो सकता है। वहां कागज अथवा सीमेंट का कारखाना लगाया जा सकता है।

आसाम में छोटी रेलवे लाइनें हैं और बड़ी लाइनें अभी नहीं बिछाई गई हैं, गोहाटी में ब्रह्मपुत्र पर एक पुल है और ब्रह्मपुत्र पर जोगीगोपा में एक दूसरा पुल बनाने की तुरन्त आवश्यकता है। वास्तव में दो या तीन पुलों की आवश्यकता है लेकिन फिलहाल जोगीगोपा में एक पुल निहायत जरूरी है।

[**Mr. Speaker** *in the Chair*
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

चीनी आक्रमण के पश्चात् नेफा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है और उसके प्रति विशेष रुचि तथा ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय व्यावहारिक परिषद् द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण में कहा गया है नेफा की ओर विशेषतः सड़कों के विकास तथा वन संसाधनों का लाभ उठाने के सम्बन्ध में ध्यान देने की जरूरत है और उसने आगे यह सिफारिश की है कि इस कार्य के लिये अगले चार या पांच वर्षों में 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायें। किन्तु इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से समेकित करने के लिए आय-व्ययक में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे हमारी रक्षा सम्बन्धी स्थिति अधिक सुदृढ़ हो।

पिछले तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में कृषि तथा सामुदायिक विकास पर 2,300 करोड़ रुपये और 3,000 करोड़ रुपये सिंचाई तथा बिजली पर खर्च किये गये जो उस अवधि में सरकारी क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का 35 प्रतिशत

राशि है। इसलिये कृषि के क्षेत्र में विनियोजन हमारे सीमित साधनों की तुलना में बहुत अधिक था, इसके बावजूद प्रगति धीमी क्यों रही? इसका कारण यह है कि हमारी बहुत-सी सिंचाई परियोजनाओं की योजनाएं समुचित रूप से नहीं बनाई गई थी और यदि वे ठीक तौर पर भी बनाई गई थीं तो उन्हें उचितरूप से क्रियान्वित नहीं किया गया। इसलिए जो कुछ भी सिंचाई क्षमता निर्मित की गई वह किसानों तक नहीं पहुंची।

इसी प्रकार भूमि सुधार के मामले में भी, हम उस तरह जिस तरह चाहते थे आगे नहीं बढ़ पाये। अधिक अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों के लिये उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। लेकिन उर्वरकों के सम्बन्ध में एक और झगड़ा चालू है कि वे नेफ्था आधारित हों अथवा तरल अमोनिया आधारित, और इस उधेड़ बुन में नुकसान कृषक उठा रहे हैं। चूंकि इन किस्मों के लिये उर्वरकों की सख्त जरूरत है, अतः सरकार उर्वरकों के बारे में तुरन्त निश्चय करे और उनके शीघ्र उत्पादन के सम्बन्ध में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में बातचीत को अन्तिम रूप दे।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : The present budget could be regarded as the best one under the prevailing circumstances but there is a room for doubt whether the huge amount totalling 40 per cent provided for defence in the budget could not effect the interest of the country in other fields. Despite the fact that we are spending a huge amount on defence every year, we have not been able to regain our territories occupied by other countries. Pakistan has forcibly occupied a part of Kashmir which is a part and parcel of this country. Instead of regaining the lost territories, we have even given back our territory which we had regained in Kashmir. I want to ask the Government when this is our policy in regard to our own territories what is the use of incurring huge expenditure on defence.

Emergency Commissioned Officers, who were recruited at the time of Chinese aggression are being discharged. This is not good on the part of the Government.

I would like to invite the attention of the Government to the fact that the muslims in the country, even after twenty years of independence have not been given due representation in the Defence Forces. If one goes through their past record, one will find that they have always been faithful, sincere and loyal to their employer. Under Hindu kings, they fought bravely against the Muslim invaders. During Indo-Pak conflict in September, 1965 Muslims in our Armed Forces had fought against the aggressor bravely and showed their valour. Loyalty of Muslims to the country should not be doubted. They should be given a chance to serve in the police force and the armed forces.

It is very difficult to understand how infiltrators can enter the country when we have such a big army. They should not be allowed to enter our country.

Religionism, Linguisum and communalism are rampant in the country. It is necessary to give a serious thought to the threats posed by these disruptive forces.

Elections in Jammu and Kashmir were not free and fair. There is no doubt in my mind that no body in Kashmir wants to link his fate with Pakistan. The Government should remove the present Kashmir Government and hold free and fair elections in the State witha a view to install-

ing a truely representative Government there. The present Government will not be able to solve the Kashmir problem and help the country to regain Azad Kashmir. We can get back that part of Kashmir which Pakistan has forcibly occupied if we decide firmly that Pakistan has not right over that territory.

There is no check on rising prices, unemployment which is on the increase and that is why there is restlessness among the people.

Lakhs of muslims have been expelled from Assam, and Rajouri area of Jammu and Kashmir. The muslims expelled from Rajouri had given information about our enemy. Why are they expelled? Is the Government prepared to take them back. The Government should issue certificates to the people there indicating that they are Indian nationals.

Our steel mines in the public sector have suffered losses worth crores of rupees. The Government should pay attention towards improving them. The Government should also improve our export and import policy. They should also see to it that under invoicing and over-invoicing are checked.

श्री दण्डपाणि (धारापुरम) : महात्मा थिरुवालूवर ने कहा है कि जिस देश में न तो भुखमरी है और न महामारी और जहां आक्रमण का कोई भय नहीं है वास्तव में वही देश है। हम अपने देश में क्या देख रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गरीब और गरीब हो गये हैं तथा अमीर और अमीर।

सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन का स्तर गिरता जा रहा है। पिछले वर्ष उनके मंहगाई भत्ते में कुछ बढ़ौत्तरी की गई थी परन्तु उसके कुछ भाग का नकद भुगतान नहीं किया गया और उसे उनके भविष्य निधि के लेखे में जमा किया गया। अब वित्त मंत्री उन्हें यह कह रहे हैं कि उसे वहां से निकलवाया न जाये ताकि मूल्य स्थिर रह सकें। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार स्वयं तो नोट छापने में लगी हुई है और उन लोगों को ऐसी सलाह दी जा रही है।

इस समय एक बात मैं और कहना चाहता हूं। कोयम्बटूर नगर को तुरन्त ही 'बी' श्रेणी का नगर मान लिया जाना चाहिये। लोगों की चिरकालीन आकांक्षाओं पर विचार किया जाना चाहिये। दूसरे, कोयम्बटूर भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में एक है।

माननीय वित्त मंत्री ने मितव्ययिता की बात कही थी। यदि सरकार का मितव्ययिता बरतने का इरादा है तो उसे मद्रास सरकार के द्वारा स्थापित किये गये उदाहरण का अनुकरण करना चाहिये। मद्रास के मंत्रियों ने अपने वेतनों में स्वयं कटौती कर दी हैं। उन्होंने छोटी गाड़ियों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है जैसा कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। उन्होंने ऐसे पदों को जिनकी आवश्यकता नहीं थी समाप्त कर दिया है। अतः उनके अनुसार न चलने से मितव्ययिता की बात करना निराधार है। हम एक ओर तो बचत की बात करते हैं और दूसरी ओर देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने ब्याज की दर कम कर दी है। यदि सरकार यह चाहती है कि लोग अधिक धन जमा करें तो उसे ब्याज की दर वही देनी चाहिये जो पहले दी जाती थी।

अब मैं कृषि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे देश में किसानों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें उर्वरक बहुत ऊंचे दामों पर दिये जाते हैं। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि तमिल नाड को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सप्लाई किये जायें तो वहां पर कृषि का बहुत उत्पादन बढ़ सकता है। यदि मद्रास राज्य में पानी की व्यवस्था कर दी जाये तो वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में खेती की जा सकती है। सरकार को अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी को

850 (ai) LSD—7

[श्री दण्डपाणि]

बांटने और तत्सम्बन्धी विवादों के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।

हम देखते हैं कि आयव्ययक में राज्यों के अनुदानों के लिये 243 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। समूचे देश के लिये यह धन राशि बहुत कम है।

सरकार राज्य सरकारों से ऋणों पर जो ब्याज लेती है उसकी दर भी कम की जानी चाहिये जसा कि उसने बैंक की दरों में कमी की है।

अब मिठाई आदि छः वस्तुओं पर कर लगाने का प्रस्ताव हैं। इससे सरकार को 13 करोड़ 72 लाख रुपये मिलने की आशा है। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि मिठाई और कसीदे पर से कर समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान, श्री सी० एन० अन्नादुरै ने केन्द्रीय बजट पर जो टिप्पणी की थी, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि केन्द्र कम से कम 500 करोड़ रुपये बचा सकता था और इस धन को राष्ट्रीय निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिये राज्यों में बांटा जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों में सुधार किया जाना चाहिये, प्रतिरक्षा व्यय में कमी की जानी चाहिये और प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिये। कर से बचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये तथा उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जानी चाहिये।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे देश में 73 अनसूचित बैंक और 27 अनानुसूचित बैंक हैं। भारत के स्टेट बैंक समेत इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी 70 करोड़ 53 लाख रुपये है। ये बैंक लोगों की जमा राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः यदि सरकार इन बैंकों को अपने अधिकार में ले ले तो बेकार पड़े धन को सार्वजनिक कल्याण कार्यों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।

मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। जैसे हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय साहित्य भी होना चाहिये। इसके लिये मद्रास के निर्माण-कार्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि तिरुक्कुटल को राष्ट्रीय साहित्य मान लिया जाय जाना चाहिये। सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये और तिरुक्कुटल को राष्ट्रीय साहित्य मान लेना चाहिये।

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरन तारन) : मैं विधेयक के परिणामों के बारे में कुछ न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय ने मंदी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित व्यावहारिक और यथार्थवादी बजट पेश किया है और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये वास्तव में प्रयत्न किया है।

मेरे ख्याल से यह पहला बजट है जिसमें कृषि को नियमित उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि कृषि सम्बन्धी अनसंधान की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह बात उल्लेखनीय है कि पंजाब में अधिक उपज वाले बीजों के कारण बहुत अच्छी फसल हुई है। खाद्य उत्पादन के मामले में पंजाब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा ऐसा समय शीघ्र ही

आने वाला है जब वहां पर फालतू अनाज पैदा होने लग जायेगा। मझे इस बात की आशंका है कि इससे वहां पर गोदामों की समस्या पैदा हो जायेगी और मूल्य स्तर पर इसका कुप्रभाव पड़ने से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः मैं माननीय उप प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। मेरा यह सुझाव है कि फालतू अनाज को लेकर उसे केन्द्रीय गोदामों में भेजने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

मैं सरकार का ध्यान एक और विवादास्पद मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मामला चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। चंडीगढ़ अभी भी एक संघ राज्य क्षेत्र है। इसके भविष्य का निर्णय करने के हेतु किसी प्रकार के केन्द्रीय पंच फैसले का प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसके शासन पर इस बार खर्च बढ़ कर 7 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए यदि सरकार इसके भविष्य का निर्णय कर दे तो यह 7 करोड़ रुपये की रकम बचाई जा सकती है।

आरम्भ में चण्डीगढ़ का पंजाब की राजधानी के रूप में विकास किया गया था तथा वहाँ पर सभी इमारतें, इस बात पर विचार करते हुए कि किसी समय पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा अन्य सीमावर्ती राज्य उसमें मिलाये जायेंगे, केन्द्रीय सरकार की सलाह से बनायी गयी थी। परन्तु इस समय चंडीगढ़ का भविष्य अन्धकार में पड़ा हुआ है। चंडीगढ़ चारों ओर से पंजाब से घिरा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और उसकी राजधानी सीमा से दूर होनी चाहिये, पंजाब राज्य की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। पंजाब विश्वविद्यालय को सोलन से हटा कर चंडीगढ़ लाया गया था। हमने उस विश्वविद्याय को कई वर्षों में एक राज्यीय विश्वविद्यालय बनाया। अब यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और इसको चार राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से धन मिलता है। इस विश्व-विद्यालय में पंजाब की ओर से पंजाबी, हिमाचल प्रदेश की ओर से उर्दू और हरियाणा की ओर से हिन्दी के लिये संघर्ष होता है। अतः इस विश्वविद्यालय के भविष्य का निर्णय अवश्य ही अब कर दिया जाना चाहिये। यदि पटियाला और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को असम्बद्ध विश्वविद्यालय मान लिया जाता है तो पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब राज्य को दे दिया जाना चाहिये। इसी तरह से अन्य राज्यों को भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर हमले के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE ASSAULT ON THE JUDGE OF SUPREME COURT

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने यह बात मेरे ध्यान में लाई है कि उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश को छुरा मारा गया है। अब गृह मंत्री आ गये हैं। इसलिए यदि वह सभा को कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

गृह-मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, आज (13 मार्च, 1968) को लगभग ढाई बजे दोपहर जब मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतउल्ला मामला संख्या 162/65 का फैसला लिखवा रहे थे और दो अन्य न्यायाधीश श्री ए० एन० ग्रोवर तथा श्री सी० ए० वैद्यलिंग उनके दोनों तरफ बैठे हुए थे उस समय अचानक ही एक हमलावर हाथ में छुरा लेकर न्यायालय कक्ष के

मंच की ओर बढ़ा। जैसे ही वह व्यक्ति न्यायाधीश के पास पहुंचा एक कोर्ट मास्टर उस हमलावर से बचकर एक ओर चला गया तथा हमलावर एकदम मुख्य न्यायाधीश के मेज के सामने आ गया। मुख्य न्यायाधीश ने मेज पर से सम्भवत: अपने बचाव के लिये किसी भारी वस्तु को उठाया। तब हमलावर, श्री न्यायाधीश श्री ग्रोवर की ओर मुड़ा और उन पर झपटा और इस पर दोनों व्यक्ति गिर गये। लाइब्रेरियन, एक राइटर, मास्टर और मुख्य न्यायाधीश ने हमलावर का मुकाबला किया और उसे पकड़ लिया।

न्यायाधीश श्री ग्रोवर को तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ के अधिकारियों ने बतलाया है कि श्री ग्रोवर के सिर में मामूली चोट आई है जिसमें टाँके लगा दिये गये हैं और उन्हें अब कोई खतरा नहीं है। तथापि उनसे कहा गया है कि उन्हें अभी अस्पताल में आराम करना चाहिये।

हमलावर ने अपने आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गोपालचरण दास का पुत्र मनमोहन दास बताया है। पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टोली के साथ इस मामले की जाँच कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : यह एक गम्भीर घटना हुई है तथा इस पर चर्चा करने के लिये कल अवश्य ही अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, ठीक है।

श्री **गु० सिं० ढिल्लो** (तरन तारन) : इस खबर को सुन कर मेरा दिल बोलने को नहीं कर रहा है। अत: मैं इस बारे में फिर बोलूंगा।

सामान्य आयव्ययक सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET GENERAL DISCUSSION—*contd.*

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री की सद्भावना की सराहना करता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य डाक दरों में वृद्धि किये जाने के खिलाफ हैं। यह वृद्धि 24 या 25 करोड़ रुपये का घाटा पूरा करने के लिये की गई है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह इतनी धनराशि प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करके, रसीदी टिकट का मूल्य बढ़ा कर और इसी विभाग में बचत करके बचाई जा सकती थी।

मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 31 दिसम्बर, 1967 तक बकाया करों की राशि 560 करोड़ रुपये थी। इसमें से अधिकतर बकाया राशि बड़ी-बड़ी कम्पनियों, पूंजीपतियों, फिल्म कलाकारों की ओर है जिनके पास काफी मात्रा में काला धन है और जो उसे आसानी से दे सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री को इन बकाया रकमों को वसूल करने में क्या कठिनाई

नजर आती है। उन्हें इसका कारण सभा और देश को बताना चाहिये। यदि ये कर उचित ढंग से वसूल किये जायें तो न नये कर लगाने की आवश्यकता है और न ही घाटे की अर्थव्यवस्था करने की आवश्यकता है। जनता समझती है कि यह सरकार कर बढ़ा कर कागज़ी कार्यवाही करती है और व्यवहार में लोग कर अपवंचन करते हैं। गरीब लोगों को कर देने पड़ते हैं और धनवान व्यक्ति आयकर विभाग तथा अन्य विभागों के साथ गुठजोड़ कर के करों का अपवंचन करते हैं। यह बात केवल राजस्व की ही नहीं है सचाई तो यह है कि जनता के मन में निस्सहाय, अन्याय और दमन की भावना पैदा हो गयी है। इसलिये करों की बकाया राशि अवश्य वसूल की जानी चाहिये, चाहे इस प्रयोजन से कितना ही धन क्यों न खर्च करना पड़े। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस संबंध में हुई प्रगति से समय समय पर, सभा को अवगत करते रहेंगे। यदि ये कर वसूल न किये जायें तो सरकार को नये कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

अब कर बहुत बढ़ गये हैं। वर्ष 1954 में लगभग 94 करोड़ रुपये के कर थे जो अब बढ़ कर 1300 करोड़ रुपये के हो गये हैं अर्थात करों में 14 गुना वृद्धि हो गयी है। एक उच्चस्तरीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिये जो इस बात पर विचार करे कि क्या करों का बोझ एक क्षेत्र से हटा कर दूसरे क्षेत्र पर डाला जा सकता है या नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सुझाव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। वास्तव में इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता होती है।

चौथे आम चुनावों के बाद विभिन्न राज्य सरकारों का स्वरूप बदल गया है। विभिन्न राज्यों में हाल की घटनाओं से पता चलता है कि लोकतांत्रिक जीवन से लोगों का विश्वास उठ रहा है। विभिन्न विधानसभाओं में जिस प्रकार से जनता के प्रतिनिधि गैर जिम्मेदारी और असभ्य तरीकों से आचरण कर रहे हैं, उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस लिये कांग्रेस को इन दलों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। उन्हें किसी दल बदलने वाले गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने की प्रवृत्ति को आश्रय नहीं देना चाहिये। उन्हें किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक औचित्य का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार केवल धन या लाभ के लिये ही नहीं किया जाना चाहिये बल्कि हमारे पास इन उपक्रमों का संचालन करने के लिये लोगों की कमी है क्यों कि इन्हें वाणिज्यिक सिद्धांतों पर चलाने के लिये हमारे पास कोई भारतीय प्रबन्धक सेवा नहीं है।

हमारी आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि हमें सिंचाई की केवल बड़ी परियोजनाओं पर आश्रित न रह कर सिंचाई की छोटी परियोजनाओं पर भी उपयुक्त ध्यान देना चाहिये। नागार्जुन सागर एक बड़ी परियोजना है जिस पर अब 161 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है यह पहली अनुमानित राशि से 70 करोड़ रुपया अधिक है। हमारे क्षेत्र में एक निजाम सागर परियोजना है। यदि इसे पूरा कर दिया जाये तो उससे भी काफी क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इसलिये छोटी सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

डा० मैत्रेय बसु (दार्जीलिंग) : इस बजट में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उनसे गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक आर्थिक शक्ति केन्द्रिय होगी। अब तक की गयी तीन जांच पड़तालों में इस बात का प्रमाण मिल गया है कि गत तीन योजनाओं में काफी मात्रा में आर्थिक शक्ति संकेन्द्रित हुई है। एकाधिकार आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। अब अतिकर को 35 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर के, लाभांश कर को समाप्त करके और नये उपकरण की लागत के संबंध में विकास छूट को 35 प्रशितशत तक बढ़ा कर और फिर वार्षिकी जमा योजना को समाप्त करके आर्थिक शक्ति को संकेन्द्रित करने के कार्य को और भी सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

[डा० मैत्रेय बसु]

हमारे परिवहन मंत्री ने पत्तन और गोदी उद्योग के लिये एक आयोग की स्थापना की है। परन्तु मुझे खेद है कि जिन सदस्यों को पत्तन और गोदी संबंधी कार्यों की पूरी जानकारी है उन्हें इस आयोग में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारी वर्तमान कठिन स्थिति के लिये चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों को दोषी ठहराया जाता है अथवा सूखे और बाढ़ को उसका मुख्य कारण बताया जाता है। निसन्देह इन घटनाओं से हमारी स्थिति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु मैं यह पूछना चाहती हूं कि पिछली दो योजनाओं में वर्ष 1960 तक राष्ट्रीय आय की वृद्धि का 42 प्रतिशत किसने हड़प किया था? यह धन राशि मुख्य तौर पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथ लगी थी। क्या इस धन राशि से पूंजी निर्माण और उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता था?

देश के उत्तर पूर्वी भाग में कच्चे पटसन के मूल्य की क्या स्थिति है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पटसन के उद्योगपति अब भी राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। अब भी वे पटसन के देहाती उत्पादकों को अपना दास बना कर रखते हैं।

हमारी सरकार को पता होना चाहिये कि एक बेरोजगार व्यक्ति रोजगार पर लगे व्यक्ति की अपेक्षा देश को अधिक मंहगा पड़ता है। कम से कम परिवहन मंत्री को तो इस बात का पता है। परन्तु इसके बावजूद छंटनी की जा रही है। पत्तन में वे डीजल इंजन और डीजल लोकोमोटिव चालू करके और भाप इंजनों को कम करके वह अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। स्वचालित यंत्र लग जाने से कर्मचारियों की छंटनी और भी अधिक की जा रही है। फिर तापीय संयंत्रों और कोक भट्टियों से रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं परन्तु इस बात को शायद जानबूझ कर भुलाया जा रहा है।

सरकार निजी बचत के लिये कहती तो है परन्तु वह बचत कैसे हो सकती है? देहाती क्षेत्र में बचत करने की क्षमता ही नहीं है। यदि इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती रही तो कुछ भी निजी बचत नहीं हो सकेगी। जब तक रोजगार के अधिक अवसर नहीं पैदा किये जाते और किसानों को अधिक सहायता नहीं दी जाती तब तक जनसाधारण से बचत की आशा नहीं करनी चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सोलहवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

***काश्मीर में सामान्य निर्वाचनों के बारे

Re : GENERAL ELECTIONS IN KASHMIR

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : राजनीतिक स्थिति के अतिरिक्त यह आरोप लगाया गया है कि काश्मीर में जो पिछले चुनाव हुए थे, वे निष्पक्ष और न्यायोचित और सत्ताधारी कांग्रेस सरकार

***आधे घण्टे की चर्चा
Half an Hour Discussion.

के प्रभाव से मुक्त नहीं थे । शत्रु देशों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार काश्मीर के लोगों को भावनाओं को दबाने का प्रयत्न कर रही है । इस प्रकार की आलोचना को देखते हुए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये था और काश्मीर में निष्पक्ष चुनाव करवाने चाहिये थे ।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए]
[**Shri G. S. Dhillon** *in the Chair*]

आरम्भ में हीं निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया था कि मार्च के महीने में काश्मीर में बहुत सर्दी रहेगी और इस लिये चुनावों के लिये अप्रैल का महीना उपयुक्त रहेगा । परन्तु राज्य सरकार ने जोर दिया और निर्वाचन आयोग को इस बात के लिये सहमत कर लिया कि 21 फरवरी को चुनाव करवाये जायें । उस समय राज्य का दो-तिहाई भाग बरफ से ढका पड़ा था । इसी रवैये से सरकार के इरादों का पता चल जाता है । भारत सरकार के इस दृष्टिकोण से अधिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं । बहुत ही साधारण कारणों से केवल विरोधी पक्ष के 141 नामांकन पत्रों को कोई न कोई बहाना बनाकर रद्द कर दिया गया था । सत्ताधारी दल के 210 व्यक्ति निर्विरोध चुने गये थे । इनके निर्विरोध चुने जाने का कारण यह था कि विरोधी पक्ष सभाओं में जानबूझ कर गड़बड़ की गयी, उनकी जीपों और गाड़ियों को नुक्सान पहुंचाया गया और उन्हें जला दिया गया था । वर्ष 1964 से ही धारा 144 लगायी गयी थी । जलूसों पर पाबन्दी लगी हुई थी । सामान्यत: सभाएं करने की अनुमति नहीं दी जाती थी । सादिक सरकार के भाव के अन्दर ही काश्मीर में चुनाव लड़े गये थे । यदि काश्मीर में यही स्थिति रही तो काश्मीर में प्रयोग किये गये इन हथकंडों से भारत के अन्दर ही नहीं अपितु संसार में भी भारत के नाम पर धब्बा लगेगा ।

इस प्रकार के चुनावों के बारे में जब विभिन्न राजनीतिक दलों को सूचना मिली तो उन्होंने भारत सरकार से चुनाव रोकने का अनुरोध किया परन्तु उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी । बाद में जब मत डालने का समय आया तो उसी की पूर्व रात्रि को बहुत से जाली मत-पत्रों का पता चला । इसकी सूचना राष्ट्रपति तथा भारत के गृह-सचिव को दी गयी थी, वे इस स्थिति को जानते हैं । ऐसी स्थिति में श्री सुंदरम चुनाव देखने के लिये स्वयं काश्मीर पहुंचे । वहां दो दिन ठहर कर उन्होंने नौकरशाही ढंग से घोषणाएं की जिन से सादिक सरकार के कुकृत्यों पर परदा पड़ गया । उन्होंने कहा कि सरसरी निगाह से देखने पर नामांकन-पत्रों का अस्वीकार करना उचित नहीं था । उनका कहना है कि चुनाव के मामलों की जांच एक अन्य न्यायाधीश को करनी चाहिये । परन्तु नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता । जम्मू और काश्मीर के चुनाव नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति चुनाव अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये नामांकन पत्रों के मामले पर तत्काल पुनर्विचार नहीं कर सकता । भारत सरकार तथा वहां की कांग्रेस सरकार ने इस नियम को भी नहीं बदला । सादिक सरकार को वहां पर बनाये रखने के लिये ही इस प्रकार के चुनाव वहां पर करवाये गये थे । इस सारे मामले की जांच करने के लिये एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिये । वर्तमान सरकार को हटा देना चाहिये और वहां पर फिर से चुनाव करवाये जाने चाहिये । सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को वहां जा कर देखना चाहिये कि चुनाव निष्पष ढंग से हो रहे हैं या नहीं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): In so far as the question of elections of Jammu and Kashmir are concerned I would like to ask only two questions. I want to know whether Election Commission had informed the Law Ministry that there were some polling stations in Jammu and Kashmir where there were only 200-400 votes but when the votes were taken out of ballot boxes they were 1100-1200? If so, how could it happen in the ballot boxes?

[Shri Prakash Vir Shastri]

My second question is that the Government of Jammu & Kashmir had been defeated by two votes on the constitutional amendment Bill and in view of this whether Law Ministry or Government of India would advise the State Government to resign and arrangements may be made by the fresh elections in the State ?

Shri Rabi Ray (Puri) **:** The elections of Jammu and Kashmir were not fair and impartial. People of the State are very much agitated over this issue, would it not be, therefore, proper to dismiss the present Government and conduct fresh elections there ?

Shri Ghulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : Whether it is a fact that while recounting the votes of a polling booth of gureg constituency in the High Court, only 191 bellot papers were found in a box whereas it was told that the total valid Votes were 413 in that ballot box

Shri Randhir Singh (Rohtak) **:** The hon'ble Member should have not raised this issue because it may embarass the position of our country. I want to know whether any complaints of irregularities during the cause of elections have been received by the Government apart from the election petitions pending in the Election Tribunal ? If so, the number of such complaints and whether thse complaints were enquired into or not and if they were enquired into, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : Many complaints were received by Election commission about general elections in Kashmir. Some of them were verbal complaints and others were in the form of letters and applications etc. The complaints, which were made orally before the Election Commission, were found to be baseless after investigations. Neither duplicate ballot papers were got printed and distributed nor any proof thereof had been submitted.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : इस प्रकार के मत-पत्र भारत के प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा तत्कालीन राज्यपाल को भी भेजे गये थे। मैं अब भी ऐसे हजारों मत-पत्र पेश कर सकता हूं।

Shri M. Yunus Saleem : At the time of *Prima facie* enquiry conducted by Election Commission no such ballot paper was produced. As regards the objections made against the illegal rejections of nomination papers, the complainants were told that redress could only be through election petitions and that nothing could be done on the part of the Election Commission.

The House is aware that elections to Lok Sabha from Jammu and Kashmir were condcted according to the provisions of the Representation of People Act and election to State Assembly were conducted according to the provisions of the State Act. So far as the question of Lok Sabha seats are concerned, four election petitions had been filed and 57 election petitions were filed in respect of elections to State Assembly. When the nomination papers were rejected, the Cheif Election Commissioner had visited Jammu and Kashmir and made on the spot investigations.

The election petitions which were earlier filed before the Election Tribunal were later transferred to the High Court in view of the amendments made in the Representation of the People Act of Jammu and Kashmir so that people may feel that justice will be done. In order to ensure fair deal, the additional judges have been appointed from places other than Jammu and Kashmir for the purpose of dealing with election petitions. We hope that election petitions will be decided soon.

Is it for the High Court to decide whether Returning Officer had rejected the nomination papers rightly or wrongly. It has been alleged that they were rejected on flimsy grounds. One of the reasons for rejections of the nomination papers was that some of the applicants had entered into Contracts with the Government and they were subsisting the contracts at that time and these contracts had not been completed. The second ground for rejection was that some of the applicants were found to be Government servants and when they had filed nomination papers they were still continuing in Government service. The third ground of rejections was that some of the applicants had not attached copies of the electoral roll with their nomination papers. The fourth ground of rejection was that some of the applicants had not taken oath of allegiance to the constitution. We should not however go into the merits and demerits of these cases as this matter is sub-judice. I, however, assure the House that Government and Election Commission had taken all necessary steps to ensure free and fair election in Jammu and Kashmir.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 14 मार्च, 1968 /24 फाल्गुन 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 14, 1968/Phalguna 24, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS III—850 LS—28-9-68—600